सोमवार, 05 अग्रहायण, शक संवत् 1934
(26 नवम्बर, 2012 ई0)

खण्ड-482

अंक-2

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही नेता विरोधी दल ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गयी नियम-311 की सूचना को लिये जाने का अनुरोध किया, इसी मध्य बसपा के सदस्य बैनर दिखाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इसी के साथ भाजपा के भी सदस्य बैनर दिखाते हुए अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। राष्ट्रीय लोकदल के भी कतिपय सदस्य बैनर लेकर फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य ही मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।

(प्रतियां बाँटी गईं)

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने प्रश्नोत्तर की मद लिये जाने हेतु पुकारा। उन्होंने नेता विरोधी दल एवं वेल में खड़े सदस्यों से स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया लेकिन सदन में घोर व्यवधान बना रहा जिसके कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 4 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

11 बजकर 14 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।

11 बजकर 24 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

11 बजकर 45 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई। बसपा के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये राष्ट्रीय लोकदल के श्री वीरपाल राठी सहित कतिपय अन्य सदस्य भी बैनर लेकर फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाएं स्वीकार की गयीं जो पढ़ी हुई मानी गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सरधना रोड पर आवासीय कालोनी डिफेंस इनक्लेव को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर में सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री प्रदीप माथुर	जनपद मथुरा में यमुना नदी पर मथुरा-वृन्दावन-मांट के बीच बने जर्जर पुल की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री दलजीत सिंह	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूटधाम के सभी मण्डलों में लो वोल्टेज के कारण जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
6	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	वाराणसी नगर में मानक के अनुसार पूरे संसाधन के साथ ट्रामा सेन्टर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री कमाल युसुफ मलिक	जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की ग्राम पंचायत अगया में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत गबन किये जाने के उपरान्त विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
8	श्री मदन चौहान	जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में प्राकृतिक व पौराणिक दो (कैथला झील व कल्याणपुर झील) झीलों में भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटवाकर मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री सुरेश कुमार बंसल	मेरठ रोड सिहानी चुंगी गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य मार्ग की सड़क निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री सुभाष पासी	जनपद गाजीपुर के क्षेत्र सैदपुर में अमवरा रजबहा तथा शारदा सहायक खण्ड-23 को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जल निगम द्वारा इंडिया मार्का हैंडपम्प लगाये जाने में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री विजय कुमार दुबे	प्रदेश के सहकारी बैंक के बन्द होने के कारण निवेशकर्ताओं एवं कर्मचारियों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में।
13	श्री अगयश राम सरन वर्मा	पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में केबिल की तारों को सही तरीके से न लगाये जाने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्नों की कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो अग्राह्य की गयीं। घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने औचित्य के प्रश्न की सूचना पर डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री प्रमोद तिवारी को पुकारा जिस पर श्री प्रमोद तिवारी ने श्री अध्यक्ष से सदन को व्यवस्थित कराने का अनुरोध किया।

श्री अध्यक्ष ने नेता विरोधी दल से पुनः अनुरोध किया कि वे अपने सदस्यों को स्थान ग्रहण करने के लिए कहें। लेकिन सदन में घोर व्यवधान बना रहा।

संसदीय कार्य मंत्री ने बसपा सदस्यों के आचरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बसपा शासन काल में पाले गये गुण्डों द्वारा फैली अराजकता को खत्म करने में समय लगेगा तथा जो पूर्व मंत्रिगण फरार चल रहे हैं उन्हें तलाशा जा रहा है।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य सहकारिता मंत्री ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य सिंचाई मंत्री ने उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, वर्ष 2011-2012 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2010 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा

उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2011 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य बेसिक शिक्षा मंत्री ने लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनायी गयी ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य-संचालन) विनियमावली, 2004 प्रथम संशोधन-1, 2012'' को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनायी गयी ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिए निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, संशोधन-3, 2012'' को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-564/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(78)-2012, दिनांक 30 जून, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-855/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(80)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-869/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-

आदेश-(81)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-899/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(83)-2012, दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1070/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(84)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1071/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(85)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 को उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 के नियम-19 (3) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य ही प्रमुख सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

(1) श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 मार्च, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

(2) 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 मार्च, 2012

को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

(3) शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 मार्च, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 जून, 2012 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से सिफारिश सहित दिनांक 27 जून, 2012 को वापस प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 जून, 2012 के उपवेशन में स्वीकार नहीं किया तथा जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 जुलाई, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 03 जुलाई, 2012 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 जुलाई, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

(सदन में खड़े बसपा के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जायें एवं प्रश्नकाल न हो तथा शून्य प्रहर अर्थात् नियम-51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें।

2-दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुतीकरण के तुरन्त बाद प्रश्नकाल लिया जाए।

3-दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को पूर्व निर्धारित असरकारी दिवस अब दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को विधायी कार्य के बाद लिया जाय (आधा दिन दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के स्थान पर)।

4-दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा तथा उसके बाद विशिष्ट महानुभाव के निधन के निर्देश लिये जायं।

5-दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

नवम्बर, 2012

23 शुक्रवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
24 शनिवार 25 रविवार	बैठक नहीं होगी।
26 सोमवार	1-**11.00 बजे पूर्वाह्न** वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। 2-**11.05 बजे पूर्वाह्न** प्रश्नकाल। 3-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। 4-अन्य कार्य, यदि कोई हो।
27 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं। 2-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
28 बुधवार	गुरुनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा का अवकाश--बैठक नहीं होगी।

<u>नवम्बर, 2012</u>

29 गुरुवार 1–विधायी कार्य।

2–असरकारी दिवस आधा दिन दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के स्थान पर।

30 शुक्रवार विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि “यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।” प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय लोकदल के श्री वीरपाल राठी ने रिपोटर्स टेबिल पर चढ़कर विरोध स्वरूप बैनर दिखाया।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित किया।

नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दे, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर

प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के लिए, विधान सभा के पाँच-पाँच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की सभा में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने बसपा द्वारा किये जा रहे विरोध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तत्समय की बसपा सरकार के भगोड़े मंत्री सरेण्डर करें या जवाब दें यहां सदन में। आज नियम 56 के अन्तर्गत नियम 311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो अग्राह्य हुईं।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना से सम्बन्धित नाम पुकारा एवं नेता विरोधी दल से अनुरोध किया कि अपने सदस्यों को स्थान ग्रहण कराकर अपनी बात रखें। जिस पर बसपा के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये।

प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल द्वारा विचार व्यक्त करने के मध्य ही श्री दलवीर सिंह तथा

श्री प्रदीप माथुर अपनी-अपनी बात कहने लगे। श्री हुकुम सिंह ने कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिस पर श्री अध्यक्ष ने अनुमति दी, इस पर नेता विरोधी दल ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। श्री अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सूचना पहले नम्बर पर है इस व्यवस्था पर आप लोग राय कर लें कि पहले कौन बोलेगा। इसी मध्य भाजपा एवं रालोद के सदस्य नारे लगाते हुए फ्लोर पर आ गये।

तत्पश्चात् बसपा के सदस्य भी पुनः सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में पुनः घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। लोकदल के सदस्य श्री वीरपाल राठी धरने पर बैठ गये।

भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति, सुश्री सावित्री बाई फूले तथा श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने पर महिला सुरक्षा सहायकों द्वारा बल पूर्वक रोका गया।

सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो जाने के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 02 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

1 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही सदन के फ्लोर पर पहले से ही बैठे बसपा तथा रालोद के सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री विजय कुमार दुबे	प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में शिक्षा के प्रभावित होने एवं बी0एड0, टी0ई0टी0 पास बेरोजगार डिग्री धारकों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
2	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	शासन के सुस्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से नक्शा स्वीकृत करते समय 15% पार्क शुल्क की बैंक गारण्टी मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :--

1	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर चकफेरी मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत में पूर्ण अधिष्ठापित पानी पीने के हैण्डपम्पों का रिबोर कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी/विद्युत दरों में भारी वृद्धि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन व चयनित शादी अनुदान के पात्रों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5	प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी	उ0 प्र0 में उच्च न्यायालय एवं उ0 प्र0 सरकार द्वारा तम्बाकू, गुटखा व सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6	श्री केशव प्रसाद मौर्य	जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री सतीश महाना	प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के मानदेय प्रवक्ताओं को एक समान वेतन दिए जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री प्रदीप माथुर	पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं पूर्व पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा के सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन का पुर्ननिर्धारण कराए जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

(सदन में लगातार घोर व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की करायी गयी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति

त्रिपाठी द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मवई में साधन सहकारी समिति गणेशपुर में गेंहू क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतूपुर संतपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन के फ्लोर पर खड़े बसपा, भाजपा एवं राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान लगातार बना रहा)

सदन का उपवेशन घोर व्यवधान के मध्य ही अपराह्न 01 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-482, अंक-2
सोमवार, 05 अग्रहायण, शक संवत् 1934
(26 नवम्बर, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2012)

(खण्ड 482 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने का अनुरोध	9
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ...	9
प्रश्नोत्तर	9-95
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	96
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सरधना रोड पर आवासीय कालोनी डिफेंस इंक्लेव को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
शाहजहांपुर में सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद मथुरा में यमुना नदी पर मथुरा-वृन्दावन-मांट के बीच बने जर्जर पुल की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98-99
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम के सभी मण्डलों में लो वोल्टेज के कारण जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
वाराणसी नगर में मानक के अनुसार पूरे संसाधन के साथ ट्रामा सेन्टर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की ग्राम पंचायत अगया में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत गबन किये जाने के उपरान्त विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्राकृतिक व पौराणिक दो (कैथला झील व कल्याण झील) झीलों में भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटवाकर मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
मेरठ रोड सिद्वानी चुंगी गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य मार्ग की सड़क निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	101
जनपद गाजीपुर के क्षेत्र सैदपुर में समुवास रजवहा तथा शारदा सहायक खण्ड-23 को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101-102
प्रदेश के सहकारी बैंकों के बन्द होने के कारण निवेशकर्ताओं एवं कर्मचारियों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	102
पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में केविल तारों को सही तरीके से न लगाये जाने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	103-104
बसपा द्वारा सदन में किये जा रहे विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी (जारी)	104
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	104
छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (अध्यादेश संख्या-4 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	104
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)..	105
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश सन् 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2012) (सदन के पटल पर रखा गया)	105
भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, वर्ष 2011-2012 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)...	106
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वर्ष 2010 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	106

विषय	पृष्ठ-संख्या
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वर्ष 2011 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	106
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	106
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य-संचालन) नियमावली, 2004 प्रथम संशोधन-1, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)	106
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिए निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, संशोधन-3, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	107
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-564) ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(78)-2012, दिनांक 30 जून, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)	107
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-855/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(80)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	107
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-869/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(81)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	107
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-899/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(83)-2012, दिनांक 7 सितम्बर, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	107-108
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1070/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(84)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	108
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1071/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(85)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	108
उ0 प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 (सदन के पटल पर रखी गयी)	108
श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उ0 प्र0 विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
द ग्लोकल यूनिवर्सिटी उ0प्र0 विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	109
शोभित विश्वविद्यालय उ0प्र0 विधेयक, 2011 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	109
उ0प्र0 लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	109
उ0 प्र0 विनियोग विधेयक, 2012 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	109-110
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	110-111
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित) ...	111-112
छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	112
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	112
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव	113
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	113-114
बसपा द्वारा सदन में किये जा रहे विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी ...	114-115
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	115-117
कानून-व्यवस्था विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर पहले बोलने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	117-119
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	119-120
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की करायी गयी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री वक्तव्य	120-122

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मवई में साधन सहकारी समिति गनेशपुर में गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	122-123
जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतूपुर संतपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य...	123-124
नत्थियां	125-140

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-359

1. अंसार अहमद, श्री	इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री	लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0	इलाहाबाद
7. अजीत कुमार, श्री	फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री	अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री	बरेली
10. अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री	उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री	बलरामपुर
19. अभय सिंह, श्री	फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री	लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री	गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री	एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0	बरेली
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
29. अली यूसुफ अली, श्री	रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री	गोण्डा
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
32. अविनाश, श्री	सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
34. आदिल शेख, श्री	आजमगढ़
35. आनन्द सिंह, कुंवर	गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री	बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री	बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री	आजमगढ़
39. आशा किशोर, श्रीमती	छत्रपति शाहूजी महराज नगर
40. आशीष कुमार यादव, श्री	एटा
41. आशीष यादव, श्री	बदायूं
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
43. इकबाल, श्री	बिजनौर
44. इन्दल कुमार, श्री	लखनऊ

45.	इन्द्रजीत कोरी, श्री	कानपुर नगर
46.	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
47.	इन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर
48.	इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
49.	इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
50.	उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री	लखीमपुर खीरी
51.	उदयराज, श्री	उन्नाव
52.	उदय लाल मौर्या, श्री	वाराणसी
53.	उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
54.	उमाकान्ती, श्रीमती	जालौन
55.	उमा भारती, सुश्री	महोबा
56.	उमाशंकर, श्री	बलिया
57.	उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
58.	ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
59.	ओम कुमार, श्री	बिजनौर
60.	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
61.	ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री	जौनपुर
62.	ओम प्रकाश वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
63.	कमाल अख्तर, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
64.	कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
65.	कलराज मिश्र, श्री	लखनऊ
66.	काली चरन सुमन, श्री	आगरा
67.	कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
68.	कृष्ण कुमार ओझा, श्री	बहराइच
69.	कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री	झांसी
70.	कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
71.	केशव प्रसाद, श्री	कौशाम्बी
72.	कैलाश, श्री	गाजीपुर
73.	कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
74.	कौशल सिंह कुंवर, श्री	महराजगंज
75.	गंगा, श्री	कुशीनगर
76.	गजराज सिंह, श्री	पंचशील नगर
77.	गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
78.	गयाचरण दिनकर, श्री	बांदा
79.	गयादीन अनुरागी, श्री	हमीरपुर
80.	गायत्री प्रसाद, श्री	छत्रपति शाहूजी महराज नगर
81.	गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
82.	गुटियारी लाल दुवेश, श्री	आगरा
83.	गुलाब चन्द, श्री	जौनपुर
84.	गुलाम मौहम्मद, श्री	मेरठ
85.	गेंदा लाल चौधरी, श्री	महामायानगर
86.	गोमती यादव, श्री	लखनऊ
87.	गोरख पासवान, श्री	बलिया
88.	चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
89.	चन्द्रा रावत, श्रीमती	लखनऊ
90.	चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
91.	छोटेलाल वर्मा, श्री	आगरा
92.	जगतम्बा सिंह, श्री	मिर्जापुर
93.	जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
94.	जगपाल, श्री	सहारनपुर
95.	जगराम पासवान, श्री	बलरामपुर
96.	जन्मेजय सिंह, श्री	देवरिया
97.	जफर आलम, श्री	अलीगढ़
98.	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
99.	जमीर उल्ला खां, श्री	अलीगढ़
100.	जमील अहमद कास्मी, श्री	मुजफ्फरनगर
101.	जय प्रकाश निषाद, श्री	गोरखपुर
102.	जय प्रकाश अंचल, श्री	बलिया
103.	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
104.	जाकिर अली, श्री	गाजियाबाद
105.	जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती

106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
107. तसलीम, श्री बिजनौर
108. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ
पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
111. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
112. दलजीत सिंह, श्री बांदा
113. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
114. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
115. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
116. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
117. दीपनारायण सिंह
(दीपक यादव), श्री झांसी
118. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
119. देवनरायन उर्फ
जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
120. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
121. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
122. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
123. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
124. धर्मराज, श्री बाराबंकी
125. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
126. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
127. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
128. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
129. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
130. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
131. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
132. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
133. नागेन्द्र सिंह ‘‘मुन्ना यादव’’, श्री प्रतापगढ़
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
136. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
137. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
138. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
139. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
140. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
141. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
142. पीतमराम, श्री पीलीभीत
143. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
144. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
145. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
146. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
147. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
148. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
149. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
150. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
151. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
152. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
153. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
154. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
155. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
156. फसीहा बशीर
(गजाला लारी), चौधरी देवरिया
157. फेरन लाल, श्री ललितपुर
158. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
159. बदलू खां, श्री उन्नाव
160. बब्बन, श्री चन्दौली
161. बाबू खां, श्री हरदोई
162. बाबूलाल, श्री गोण्डा
163. बावन सिंह, श्री गोण्डा
164. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
165. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
166. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी

167. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
168. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
169. बैजनाथ, श्री मऊ
170. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
171. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
172. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
173. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
174. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
175. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
176. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
177. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
178. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
179. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
180. मनबोध, श्री देवरिया
181. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
182. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
183. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
184. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
185. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
186. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
187. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
188. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
189. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
190. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
191. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
192. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
193. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
194. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
195. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
196. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
197. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
198. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
199. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
200. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
201. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
202. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
203. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
204. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
205. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
206. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
207. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
208. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
209. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
210. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
211. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
212. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
213. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
214. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
215. यासर शाह, श्री बहराइच
216. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
217. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
218. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
219. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
220. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
221. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
222. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
223. रणजीत सुमन, श्री एटा
224. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर

225. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
226. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
227. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
228. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
229. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
230. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
231. रवि शर्मा, श्री झांसी
232. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
233. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
234. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
235. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
236. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
237. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
238. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
239. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
240. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
241. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
242. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
243. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
244. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
245. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
246. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
247. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
248. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
249. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
250. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
251. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
252. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
253. राम गोविन्द, श्री बलिया
254. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
255. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
256. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
257. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
258. राम मगन, श्री बाराबंकी
259. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
260. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
261. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
262. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
263. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
264. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
265. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
266. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
267. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
268. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
269. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
270. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
271. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
272. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
273. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
274. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
275. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
276. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
277. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
278. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
279. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
280. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
281. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
282. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
283. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
284. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर

285.	विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
286.	विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
287.	विजय सिंह, श्री	रामपुर
288.	विनय तिवारी, श्री	लखीमपुर खीरी
289.	विनोद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
290.	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
291.	विशम्भर सिंह, श्री	बांदा
292.	वीरपाल राठी, श्री	बागपत
293.	वीर सिंह, श्री	चित्रकूट
294.	वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
295.	वेदराम भाटी, श्री	गौतमबुद्ध नगर
296.	शंखलाल मांझी, श्री	अम्बेडकरनगर
297.	शकुन्तला देवी, सुश्री	शाहजहांपुर
298.	शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री	लखीमपुर खीरी
299.	शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
300.	शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
301.	शाकिर अली, श्री	देवरिया
302.	शारदा प्रताप शुक्ला, श्री	लखनऊ
303.	शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री	आजमगढ़
304.	शिव कुमार बेरिया, श्री	रमाबाई नगर
305.	शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
306.	शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
307.	शिवाकान्त ओझा, प्रो0	प्रतापगढ़
308.	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
309.	शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
310.	शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
311.	श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
312.	श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
313.	श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री	आजमगढ़
314.	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
315.	श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
316.	श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
317.	संगीत सिंह सोम, श्री	मेरठ
318.	संग्राम यादव, डा0	आजमगढ़
319.	संजय कपूर, श्री	रामपुर
320.	संजय प्रताप जयसवाल, श्री	बस्ती
321.	सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
322.	सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री	कानपुर नगर
323.	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
324.	सत्यदेव पचौरी, श्री	कानपुर नगर
325.	सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
326.	सत्यवीर मुन्ना, श्री	इलाहाबाद
327.	सन्त प्रसाद, श्री	गोरखपुर
328.	सन्तराम, श्री	जालौन
329.	सन्तोष पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
330.	सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
331.	सावित्री बाई फूले, सुश्री	बहराइच
332.	सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर
333.	सियाराम सागर, डा0	बरेली
334.	सीमा, श्रीमती	जौनपुर
335.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
336.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
337.	सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज
338.	सुदेश शर्मा, श्री	गाजियाबाद
339.	सुधाकर, श्री	मऊ
340.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
341.	सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र

342.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
343.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर
344.	सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर
345.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
346.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
347.	सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर
348.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
349.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
350.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
351.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
352.	सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
353.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
354.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
355.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
356.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
357.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
358.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
359.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
360.	रिक्त	देवरया

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था विषयक 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिया जाय।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये भाजपा के सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बैनर दिखा कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसी के साथ राष्ट्रीय लोक दल के कतिपय सदस्य बैनर लेकर फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने आसन पर जायं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा बार-बार स्थान ग्रहण किये जाने के अनुरोध के बावजूद घोर व्यवधान जारी)

11.01 बजे वित्तीय वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य वेल में खड़े होकर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण प्रदर्शन हो गया। आपने अपनी बात कह ली अब आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर वापस जायं। माननीय नेता विरोधी दल अब हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न (नत्थी क)

श्री अध्यक्ष-

मैं अगली मद ले रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य)

माननीय सदस्यगण आप अपने स्थान पर जायं। माननीय मौर्या जी, अब हो गया है। माननीय सदस्यों को कहिये अपने स्थान पर जायं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मा0 सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे।

आप लोग अपनी सीट पर वापस जाएं।

एक सदस्य सदन के फ्लोर से 'गन्ने का बकाया भुगतान करो।'

मा0 सदस्य अपनी सीट पर जाएं।

(घोर व्यवधान के मध्य ही) (गन्ना व्यवस्था ठीक करो की मांग)

सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 04 मिनट पर 10 मिनट के स्थगित कर दी। 11 बजकर 14 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया है। 11 बजकर 24 मिनट पर सहायक मार्शन ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है। 11 बजकर 45 मिनट सहायक मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गिरते हुए भू-जल स्तर की समस्या हेतु कार्य योजना

**1-श्री हुकुम सिंह एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते हुए भू-जल स्तर की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने वर्षा एवं अन्य स्रोतों से उपलब्ध जल का संचय करने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जी हां।

प्रदेश में गिरते हुए भू-जल स्तर की समस्या के समाधान हेतु संकटग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न विभागों यथा-लघु सिंचाई, कृषि, ग्राम्य विकास, वन, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा जल निगम द्वारा अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्धन के कार्य कराये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, चेकडैम का निर्माण, भूमि संरक्षण से सम्बन्धी मेड़ बन्धी आदि कार्य एवं वनीकरण के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डेंगू पीड़ित मरीजों के बचाव के उपाय

**2-श्री सतीश महाना, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) एवं डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 2012 में डेंगू से पीड़ित कितने मरीज प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से कितने मरीजों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार डेंगू से बचाव हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

प्रदेश में माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 2012 में डेंगू से पीड़ित 151 मरीज प्रकाश में आये हैं तथा उनमें से 02 मरीजों की मृत्यु हुई है।

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

जी हां।

डेंगू से बचाव हेतु कार्य योजना एवं समय सारिणी बनाई गयी है, जिसे सारे जनपदों को प्रेषित किया गया है, उसी के अनुसार डेंगू से रोकथाम की कार्यवाही की जा रही है। जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं :-

1-डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों की तत्काल पहचान, निदान एवं उपचार।

2-स्वास्थ्य शिक्षा, प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन।

3-इन्टीग्रेटेड वेक्टर कन्ट्रोल द्वारा मच्छरजनित परिस्थितियों को समाप्त किया जाना।

4-सर्विलेन्स पर विशेष बल देते हुए रोगों से रोकथाम एवं बचाव।

5-प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग/एडवोकेसी एवं अन्तर्विभागीय सहयोग।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 अन्तर्गत योजनाओं में घोटालों की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने की मांग

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत कराये जाने वाली योजनाओं में हो रही अनियमितताओं/घोटालों की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने की घोषणा के अनुसार जांच प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो जांच के मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा जांच की क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 2014 में योजना समाप्त होने से पहले जांच पूरी कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने की काई घोषणा नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने की कार्य योजना

*2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी के गठन के उपरान्त गंगा नदी के प्रदूषण में कोई कमी आई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं, जिनके कार्य पूर्ण होने पर नदी के प्रदूषण में कमी परिलक्षित होना सम्भव है।

भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन क्लीन गंगा, 2020 के अन्तर्गत दीर्घकालीन योजना बनायी गयी है।

एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत 07 परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	नगर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण
1	इलाहाबाद	1-सीवरेज एण्ड नान सीवरेज स्कीम फार पोल्यूशन अबेटमेन्ट आफ गंगा। 2-सीवरेज वर्क्स इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-ई
2	वाराणसी	1-जापान इण्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी (जायका) सहायतित गैप-II प्रोजेक्ट 2-रिबर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट की अस्सी घाट से तुलसी घाट का पुनरोद्धार योजना
3	गढ़मुक्तेश्वर	सीवरेज सिस्टम एण्ड सीवेज ट्रीटमेन्ट वर्क्स एट गढ़मुक्तेश्वर
4	कन्नौज	कन्नौज सीवरेज योजना फेज-II
5	मुरादाबाद	प्रीवेन्शन आफ पोल्यूशन आफ रिबर रामगंगा एट मुरादाबाद फेज-I

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन क्लीन गंगा, 2020 के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से गंगा एवं इसकी दो सहायक नदियों (काली एवं रामगंगा) को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु इन नदियों के किनारे बसे हुए क्रमशः 26, 3 एवं 2 नगरों हेतु प्रदूषण नियंत्रण की योजनायें विरचित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे गुरुवार के तारां0 प्रश्न सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में शुष्क शौचालय की संख्या एवं इसकी जांच कराये जाने के निर्देश

*4-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितने शुष्क शौचालय हैं ? क्या सरकार की जानकारी में है कि ''स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास'' योजना के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद फिरोजाबाद में शुष्क शौचालयों की संख्या शून्य दर्शायी गयी जबकि सन् 2011 में राष्ट्रीय जनगणना के सर्वेक्षण के दौरान जनपद फिरोजाबाद में लगभग 50,000 (पचास हजार) शुष्क शौचालय होने का संज्ञान आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

पूर्व में वर्ष 2008 से 2011 के दौरान जनपद के नगरीय निकायों में 2600 शुष्क शौचालय चिन्हित किये गये थे जिन्हें न्यू इन्टीग्रेटेड लो कास्ट सेनीटेशन योजना 2008 के अन्तर्गत जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कराये जाने की सूचना दी गई तथा जिलाधिकारी द्वारा जनपद के नगरीय क्षेत्र में चिन्हित सभी शुष्क शौचालयों को कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा तुड़वाकर जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन का कार्य भी पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र दिनांक 27-06-2011 के पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया था। जनगणना 2011 के आंकड़ों में जनपद फिरोजाबाद के नगरीय निकायों में 1240 शुष्क शौचालय होने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद ने सूचित किया है कि उक्त आंकड़ों के दृष्टिगत सर्वेक्षण में 837 शुष्क शौचालय नगरीय निकायों में पाये गये हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1958/69-1-2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में आई0एल0सी0एस0 योजना के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों का शत-प्रतिशत भौतिक स्थलीय सत्यापन जनपद स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की नीति

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास देने की सरकार की क्या नीति है ? क्या पूर्व सरकार की भांति सरकार ऐसे लोगों को इन्दिरा आवास के अतिरिक्त आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति व गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास विहीन पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की नीति है।

इन्दिरा आवास के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना का प्रारम्भ करने हेतु वर्ष 2012-13 में बजट प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर निगम के हटाये गये संविदा कर्मियों को पुनः समायोजित करने की मांग

*6-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, वाराणसी में वर्ष 1999 से 2005 के मध्य रखे गये 181 संविदा कर्मियों को दिनांक 23-07-2012 को जारी आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया है जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके परिवार के रक्षार्थ उनका पुनः समायोजन/वैकल्पिक नौकरी या बेरोजगारी भत्ता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शासनादेश संख्या-104 म0न0वि0/9-1-12-203सा0/2010, दिनांक 23-07-2012 के अनुपालन में अनियमित ढंग से नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवायें दिनांक 31-07-2012 से समाप्त कर दी गयी है।

ऐसे कर्मियों के समायोजन/पुनः नौकरी में लिये जाने अथवा इन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद में सार्वजनिक स्थलों पर तोड़-फोड़ के उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही

*7-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 अगस्त, 2012 को अलविदा की नमाज के उपरान्त जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद में उपद्रवियों द्वारा पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर तोड़-फोड़ कर सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साम्प्रदायिक सौहार्द्र की प्रतीक प्रतिमाओं को भी खण्डित करते हुए जनभावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन उपद्रवियों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

दिनांक 17-08-12 को लखनऊ में अलविदा की नमाज के बाद घटित घटनाओं के सम्बन्ध में थाना-चौक पर 04, थाना-वजीरगंज पर 03 एवं थाना-हजरतगंज पर 02 अभियोग पंजीकृत हुए।

दिनांक 17-08-12 की घटना के संदर्भ में थाना-कोतवाली इलाहाबाद पर मु0अ0सं0-249/12 तथा मु0अ0सं0-250/12 पंजीकृत किया गया है। पूर्वोक्त मुकदमें में 18 अभियुक्तगण के विरुद्ध चार्जशीट ए-169/12 दिनांक 14-10-12 प्रेषित की गयी है। द्वितीय अभियोग विवेचनाधीन है। इलाहाबाद में उपद्रवियों द्वारा पार्कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर साम्प्रदायिक सौहार्द की प्रतीक मूर्तियों को खण्डित नहीं किया गया है।

उपरोक्त अभियोगों में विवेचनात्मक कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

*8-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[1ले गुरुवार के तारां0 प्रश्न सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने की कार्य योजना

*9-श्री सुरेश राणा, श्री जाकिर अली, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस एवं कारगर नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान सरकार के गठन के बाद प्रदेश में दिनांक 16-03-2012 से 15-10-2012 तक के अपराधों में विगत वर्ष के सापेक्ष हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, बलवा, डकैती एवं लूट के अपराधों में कमी आयी है।

अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में संगठित पेशेवर अपराधियों का चिन्हांकन, सक्रियता के आधार पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही घटित अपराधों का सही पंजीकरण, पंजीकृत अपराधों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा मा0 न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी, अपराध के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों का चिन्हांकन एवं ऐसे स्थानों पर आवश्यक पुलिस बल के व्यवस्थापन की कार्य योजना बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अम्बेडकर गांवों में पात्रता के आधार पर इन्दिरा आवास दिये जाने की योजना

*10-श्री सुनील कुमार सिंह यादव एवं श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डा0 अम्बेडकर गांवों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को इन्दिरा आवास दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी गांवों के बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों को भी इन्दिरा आवास दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। वर्तमान समय में अम्बेडकर ग्रामों में सामान्य ग्रामों के समान, इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवास आवंटित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सभी ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों व बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर बनायी गयी स्थायी पात्रता सूची के आधार पर इन्दिरा आवास दिये जाते हैं।

प्रदेश में कुम्भ मेले में गंगा नदी की सफाई हेतु निर्माणाधीन योजनायें

*11-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी कुम्भ मेले को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी की सफाई एवं शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई तात्कालिक योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

इलाहाबाद नगर से गंगा एवं यमुना नदी में गिरने वाले घरेलू जलमल को नदी में गिरने से रोकने की योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिसके अन्तर्गत पोंगहट एस0टी0पी0 10 एम0एल0डी0, नैनी एस0टी0पी0 20 एम0एल0डी0, नुमायाडाही एस0टी0पी0 50 एम0एल0डी0, कोडरा एस0टी0पी0 12.5 एम0एल0डी0 तथा राजापुर एस0टी0पी0 30 एम0एल0डी0 क्षमता की एक-एक स्ट्रीम को कुम्भ मेला तक चालू करना प्रस्तावित है। इस प्रकार इन पांचों ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के चालू हो जाने के उपरान्त इलाहाबाद में कुल सीवेज शोधन हेतु 211.50 एम0एल0डी0 की क्षमता उपलब्ध हो जायेगी जो कुम्भ मेला 2013 के समय सीवेज शोधन हेतु पर्याप्त होगी।

उक्त के अतिरिक्त छोटे-बड़े 35 ऐसे नाले जो उक्त कार्यक्रमों में टेप नहीं हो सकते हैं के गन्दे पानी को शोधित करने हेतु बायोरेमोडियल तकनीक का प्रयोग किया जायेगा जिससे गंगा एवं यमुना में अशोधित पानी न जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सीमा में ट्रेनों में जहरखुरानी एवं अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रभावी योजनाएं

*12-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सीमा में ट्रेनों में नशीला पदार्थ खिलाकर यात्रियों को लूटने, सामानों की चोरी, ट्रेनों में घुसकर असलहे के बल पर यात्रियों को आतंकित कर डकैती डालने तथा महिला यात्रियों से अभद्रता आदि की घटनायें पुलिस की स्कोर्ट ड्यूटी रहने के बाद भी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बढ़ती घटनाओं को रोकने एवं यात्रियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। हालांकि गत वर्ष की तुलना में जी0आर0पी0 उ0 प्र0 के अन्तर्गत इस वर्ष ट्रेनों में जहरखुरानी, चोरी, लूट, डकैती एवं छेड़खानी जैसे अपराधों में कमी आयी है।

गत वर्ष की तुलना में जी0आर0पी0 उ0 प्र0 के अन्तर्गत इस वर्ष ट्रेनों में हुए अपराधों में कमी आयी है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु जी0आर0पी0 द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ट्रेनों में अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा हेतु निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं :-

1-रात्रिकालीन ट्रेनों में जी0आर0पी0 के द्वारा स्कोर्ट कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। कतिपय ट्रेनों में आर0पी0एफ0 द्वारा स्कोर्ट लगाया जाता है।

2-ट्रेनों की आकस्मिक चेकिंग कराकर संदिग्ध एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करायी जाती है।

3-रेलवे स्टेशनों व विभिन्न ट्रेनों में हैण्डबिल/स्टीकर लगाकर व फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को सतर्क रहने हेतु सावधान किया जाता है।

4-विभिन्न रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में अपराधकारित करने वाले अपराधियों का फोटो एलबम बनाया गया है ताकि पीड़ित यात्रियों द्वारा तत्परता से पहचान करवाकर कार्यवाही की जा सके।

5-जी0आर0पी0 द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है।

6-''सी0सी0टी0वी0'' द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाती है।

7-रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आवागमन के समय ''लाउडहेलर'' व रेलवे के ''पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम'' के माध्यम से प्रसारण करते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने हेतु सतर्क किया जाता है।

8-सीमावर्ती प्रदेशों से भी अपराधियों के सम्बन्ध में सूचनाओं का आदान-प्रदान करके आवश्यक कार्यवाही कराई जाती है।

9-अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

10-उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ सहित प्रदेश के नगरों/महानगरों में कूड़े की समस्या के निराकरण के उपाय

*13-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के नगरों, महानगरों में कूड़े की समस्या को देखते हुए क्या सरकार नयी तकनीक से आधुनिक कूड़ा घरों का निर्माण कराकर शहरों को कूड़ा मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के महानगरों, नगरों में कूड़े के एकत्रीकरण हेतु आधुनिक कूड़ा घरों का निर्माण सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा कराया जाता है। नगरों को कूड़ा मुक्त करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियमावली, 2000 प्रख्यापित की गयी है। इस नियमावली में ठोस अपशिष्टों (सालिड वेस्ट) को आधुनिक तकनीकी से प्रबन्धन किये जाने का प्रावधान है। यह नियमावली प्रदेश के सभी नागर निकायों पर समान रूप से लागू है तथा इसका अनुपालन सभी नागर निकायों के लिए अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 26 नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के लिए आवंटित परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हो पा रही हैं। नगर निगम/नगर पालिका परिषद्ों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सेक्टर में पी0पी0पी0 मोड़ पर 05 चरणों में कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। प्रथम चरण में नगर निगम, सहारनपुर (अवशेष) तथा 16 अन्य नगर पालिका परिषद्ों का चयन किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में रुपये 75.00 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए मूलभूत सुविधाएं बढ़ाये जाने की मांग

*14-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए प्रदेश में महानगरों के अतिरिक्त उनसे छोटी नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रों में तथा छोटे शहरों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा संचालित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श अन्तर्गत प्रदेश के 06 नगर निगमों तथा 01 नगर पालिका परिषद् तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत 07 नगर निगमों तथा 39 नगर पालिका परिषदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से आदर्श नगर योजना संचालित की गयी हैं जिनमें नगरीय

निकायों की मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि से भी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य कराये जाते हैं। इनके साथ ही साथ नागर निकायों द्वारा भी अपने संसाधनों से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल यौन शोषण/दुराचार की घटनाओं को रोकने के उपाय

*15-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रैल से जुलाई, 2012 तक बाल यौन शोषण/दुराचार की कितनी घटनायें हुई हैं ? क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई नया तथा कारगर कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक बाल यौन शोषण/दुराचार की 251 घटनाएं हुई हैं।

जी नहीं।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-375 से 377 में उपलब्ध प्राविधान पर्याप्त हैं।

प्रदेश में एस0एम0एस0, फेसबुक एवं ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने वालों के विरुद्ध साइवर सेल का गठन

*16-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एस0एम0एस0, फेसबुक, ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक, साम्प्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने वाले अपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रदेश में एस0एम0एस0, फेसबुक एवं ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक, साम्प्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने वाले अपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु वर्तमान में प्रदेश में दो साइबर इकाइयां क्रमशः जनपद लखनऊ एवं आगरा में स्थापित हैं जिससे सम्बन्धित अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु इन इकाइयों द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वीजा अवधि समाप्ति के बाद अपने देश नहीं लौटने वालों की संख्या एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*17-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वीजा अवधि की समाप्ति के अनेक वर्षों बाद भी अपने देश नहीं लौटे ऐसे पाकिस्तानी तथा बांगलादेशी नागरिकों की संख्या क्या है ? क्या यह

सही है कि उनमें से बहुत से ऐसे नागरिक स्लीपिंग माड्यूल्स के रूप में आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी लापता पाकिस्तानी एवं बांगलादेशी नागरिकों को तलाशने एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पाक राष्ट्रिक	-37
बांगलादेशी राष्ट्रिक	-03

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अन्तर्गत नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने की प्रस्तावित योजनायें

*18-श्री सतीश महाना

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी की प्रदेश में क्या कार्य योजना प्रस्तावित है तथा कितने जनपदों में कार्य करने हेतु कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? उक्त कार्य योजना का विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल मिशन क्लीन गंगा, 2020 के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से गंगा एवं इसकी दो सहायक नदियों (काली एवं रामगंगा) को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु घरेलू अवजल शोधन की योजनायें प्रस्तावित है।

गंगा, काली एवं रामगंगा के किनारे स्थित कुल 31 नगरों की कार्य योजना प्रस्तावित की गयी है, जिसमें 05 नगरों नामतः इलाहाबाद, वाराणसी, कन्नौज, मुरादाबाद तथा गढ़मुक्तेश्वर की कुल 07 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है तथा इलाहाबाद नगर की 2 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से अभी प्राप्त होनी है।

योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

स्वीकृत योजनायें-

1-वाराणसी नगर-

(1) जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-II प्रोजेक्ट एट वाराणसी-इस योजनान्तर्गत 140 एम0एल0डी0 क्षमता का एक नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, 18 कि0मी0 सीवर लाइन, 02 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 205 नग कम्यूनिटी ट्वायलेट तथा 10 नग धोबी घाट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) डेवेलपमेन्ट आफ एरिया एराउन्ड अस्सी घाट एट वाराणसी इस योजनान्तर्गत 07 नग यूरिन ब्लाक, 11 नग ट्वायलेट ब्लाक, 06 नग चेन्जरूम, 04 नग पेयजल फाउन्टेन, 02 नग वाज टोरबेस, 10 फूड तथा 10 नग क्राप्ट स्टाल्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

2-गढ़मुक्तेश्वर-

सीवरेज सिस्टम एण्ड सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वर्क्स एट गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद की योजना-इस योजना के अन्तर्गत 09 एम0एल0डी0 क्षमता के दो नग सीवेज-ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स, 69 कि0मी0 सीवर लाइन तथा 02 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना है।

3-कन्नौज नगर-

कन्नौज सीवरेज स्कीम फेज-II-इस योजना के अन्तर्गत एक नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, 02 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है।

4-मुरादाबाद-

प्रीवेन्शन आफ पाल्यूशन आफ रीवर राम गंगा एट मुरादाबाद फेज-II-इस योजना के अन्तर्गत 58 एम0एल0डी0 क्षमता का एक सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, 264.00 कि0मी0 सीवर लाइन तथा 11 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है।

5-इलाहाबाद नगर-

इस नगर हेतु कुल 04 योजनायें तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी, जिनकी स्थिति निम्नवत् है :-

(1) सीवरेज तथा नान सीवरेज योजना फार पाल्यूशन एबेटमेन्ट आफ रीवर गंगा एट इलाहाबाद के अन्तर्गत 105 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, 14.4 कि0मी0 सीवर लाइन, 04 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 143 कम्यूनिटी ट्वायलेट्स, 05 नग धोबी घाट का निर्माण प्रस्तावित है।

(2) सीवरेज वर्क्स इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-ई एट इलाहाबाद की योजना के अन्तर्गत 109.00 कि0मी0 सीवर लाइन तथा 02 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है।

भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित योजनाएं

(1) 14 एम0एल0डी0 क्षमता का एक सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।

(2) डिस्ट्रिक्ट-सी हेतु सीवरेज सिस्टम की योजना के अन्तर्गत 122 कि0मी0 सीवर लाइन का निर्माण।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में कुम्भ मेला हेतु विद्युत विभाग को आवंटित धन का विवरण

*19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में आगामी कुम्भ मेला, 2013 हेतु नगरीय विद्युत विभाग को आवंटित धन का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त आवंटित धन का वितरण किन-किन मदों पर कितना-कितना किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगामी कुम्भ मेला, 2013 हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण के स्थायी कार्यों हेतु धनराशि रु0 83.9452 करोड़ वितरण के अस्थायी कार्यों हेतु धनराशि रु0 47.53 करोड़ तथा पारेषण से सम्बन्धित कार्यों हेतु धनराशि रु0 9.0548 करोड़ स्वीकृत किया गया है।

उक्त आवंटित धन वितरण के स्थायी कार्यों को पूर्ण कराने के मद में धनराशि रु0 83.9452 करोड़, अस्थायी कार्यों को पूर्ण कराने के मद में धनराशि रु0 47.53 करोड़ तथा पारेषण से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण कराने के मद में धनराशि रु0 9.0548 व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश पुलिस बल में सुधार हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्यवाही

*20-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के पुलिस बल में सुधार करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-310/1996 प्रकाश सिंह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में पुलिस सुधारों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

1-राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाये।

2-पुलिस महानिदेशक का चयन वरिष्ठतम् अधिकारियों का पैनल बनाकर किया जाये एवं उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाये।

3-पुलिस महानिरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के कार्यकाल का भी निर्धारण किया जाये।

4-अपराधों की विवेचना के कार्य को कानून व्यवस्था के कार्य से पृथक किया जाये।

5-पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाये।

6-पुलिस कम्प्लेन्ट अथारिटी की स्थापना की जाये।

7-राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाये।

उपर्युक्त निर्देश बिन्दुओं में बिन्दु संख्या-7 पर कार्यवाही भारत सरकार से सम्बन्धित है। निर्देश बिन्दु संख्या-1, 2, 3, 4 एवं 5 के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं। निर्देश बिन्दु संख्या-6 के सम्बन्ध में कोई शासनादेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी क्योंकि पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई के लिए अनेक फोरम पहले से ही विद्यमान हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

01-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2012 से 01 अगस्त, 2012 तक सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये एवं कितने जख्मी हुये ? क्या सरकार बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अनाधिकृत वाहनों का संचालन बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मासिक आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर प्रदेश में 01 अप्रैल, 2012 से 31-7-2012 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या-6,909 तथा घायलों की कुल संख्या-9681 है।

अनधिकृत वाहनों का संचालन रोकने हेतु पुलिस/परिवहन विभाग द्वारा अनधिकृत संचालन व वाहनों के विरुद्ध समय-समय पर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

02-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[2सरे बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

03-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सोनभद्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माणकर्ता एजेन्सी का विवरण

04-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2011-12 तक कुल कितनी सड़कें निर्मित की गयीं ? क्या सरकार विकास खण्डवार निर्मित सड़कों की सूची तथा निर्माणकर्ता एजेन्सी का नाम उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार की जानकारी में है कि उनमें से अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सरकार जर्जर सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द सिंह 'गोप'-

जनपद सोनभद्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2011-12 के मध्य कुल 59 सड़कों का निर्माण कराया गया है।

विकास खण्डवार निर्मित सड़कों की सूची एवं सम्बन्धित निर्माणकर्ता एजेन्सी/ठेकेदार के विवरण के पृष्ठों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उक्त की 05 प्रतियां मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग के कार्यालय में रख दी गयी हैं।

जी नहीं। निर्माण के उपरान्त सड़कों पर यातायात के आवागमन के फलस्वरूप तथा प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली छोटी मोटी कमियों को अनुरक्षण के दौरान ठीक करा दिया जाता है। वर्तमान में उपर्युक्त अवधि में निर्मित समस्त सड़कें पांच वर्षीय अनुरक्षण के अन्तर्गत हैं और आवश्यकतानुसार इन सड़कों का अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के अन्तर्गत कार्य शुरू कराये जाने की मांग

05-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति प्राप्त हो जाने तथा मुकदमे समाप्त हो जाने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रोजेक्ट को शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बरेली में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के अन्तर्गत प्लान्ट के संचालन हेतु उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में सड़कों कि किनारे खुली दुकानों में मुर्गे काट कर गन्दगी फैलाने की रोकथाम की मांग

06-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम मेरठ के अन्तर्गत सम्पूर्ण शहर में रिक्शा-ठेलों पर गली-गली एवं सड़कों के किनारे खुली दुकानों में खुलेआम मुर्गे काटे जा रहे हैं जिसके कारण शहर में गन्दगी तथा बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर निगम के संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अतः गन्दगी के कारण बीमारी फैलने का कोई प्रश्न नहीं है।

ऐसा कोई प्रकरण नगर निगम के संज्ञान में नहीं आया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच में ब्लाकवार लाभार्थियों को इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त की निर्गत धनराशि

07-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में ब्लाकवार कुल कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त न मिलने के कारण अपूर्ण हैं ? क्या सरकार अपूर्ण इन्दिरा आवासों को पूरा करने के लिए दूसरी किश्त जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द सिंह 'गोप'-

जनपद बहराइच में वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में स्वीकृत इन्दिरा आवासों में से एक भी आवास अपूर्ण नहीं है।

सरकार द्वारा इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराने हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेयजल समस्या के निराकरण के उपाय

08-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेयजल समस्या के निदान हेतु लगाये जा रहे हैण्डपम्प मानक से कम गहराई पर लगाकर प्रति वर्ष रि-बोर के नाम पर कार्यदायी संस्था द्वारा लाखों की क्षति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मेरठ में रि-बोर हो रहे हैण्डपम्पों की गहराई एवं मानक की जांच कराकर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद मेरठ में सभी हैण्डपम्प मानक के अनुसार द्वितीय स्ट्रेटा पर अधिष्ठापित किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय स्ट्रेटा 30 से 40 मीटर के मध्य है, इसलिए उक्त जनपद हेतु 35 मीटर गहराई का यूनिट स्टीमेट स्वीकृत है। जनपद मेरठ में विगत 06 वर्षों में कुल अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के सापेक्ष मात्र 03 प्रतिशत हैण्डपम्प ही रि-बोर कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

09-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में वर्ष 2007 से अगस्त, 2012 तक कितने हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं और उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं एवं कितने बन्द पड़े हैं ? क्या यह सही है कि बन्द पड़े सभी हैण्डपम्प मानक के अनुसार न लगाये जाने के कारण बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय अनियमितता की जांच कराकर कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद मेरठ में वर्ष 2007 से अगस्त, 2012 तक कुल 9498 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं एवं उक्त अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में स्थायी रूप से खराब होने की कोई सूचना नहीं है। माह अक्टूबर, 2012 तक अस्थायी रूप से 12 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प खराब होने की सूचना प्राप्त हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के थाना खंदौली में तीन मासूम बच्चियों से दुराचार कर हत्या करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

10-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011 में जनपद आगरा के थाना खंदौली में तीन मासूम बच्चियों मुस्कान, तराना एवं माना के साथ दुराचार करने के बाद हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् अब तक अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2011 में जनपद आगरा के थाना खंदौली जनपद आगरा में तीन बच्चियों मुस्कान, तराना एवं माना के अपहरण एवं हत्या की घटना घटित हुई है।

दिनांक 21-4-2011 को थाना खंदौली पर 9 वर्षीय कु0 मुस्कान के अज्ञात मोटर साइकिल सवारों द्वारा अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-180/11 पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग की विवेचना में अभियुक्त तन्नू पुत्र बन्ने निवासी सैमरा का नाम प्रकाश में आया जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं उसके विरुद्ध दिनांक 30-6-2011 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। इसी प्रकार दिनांक 28-5-2011 को 5 वर्षीय कु0 तराना की अज्ञात मोटर साइकिल सवारों द्वारा अपहरण करने एवं गढ़ी नैनसुख गांव के जंगल में उसका शव मिलने पर मु0अ0सं0-216/11 पंजीकृत हुआ। विवेचना में अभियुक्तों का पता न लगने से अन्तिम रिपोर्ट को रोककर पुनः घटना के अनावरण हेतु वर्तमान विवेचक को निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 6-10-2011 को कु0 माना 6 वर्षीय की हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-370/11 पंजीकृत किया गया। विवेचना में अभियुक्तों का पता न लगने से अन्तिम रिपोर्ट को रोककर पुनः घटना के अनावरण हेतु वर्तमान विवेचक को निर्देश दिये गये हैं। विवेचना सम्प्रति प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की कतिपय नगर पंचायतों में पेयजल की समस्या के निराकरण के उपाय

11-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत अल्हागंज एवं जलालाबाद में पेयजल की समस्या के निदान हेतु खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने तथा नये हैण्डपम्पों (इन्डिया मार्का-II) को लगवाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। जिला योजना (नगरीय पेयजल) 2012-13 में जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 175 रि-बोर तथा 100 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का प्रावधान किया गया है। इसके सापेक्ष नगर पंचायत, अल्हागंज में 18 रि-बोर एवं 05 नये तथा नगर पंचायत, जलालाबाद में 22 रि-बोर एवं 10 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के ग्राम पंचायतों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने की मांग

12-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 132, जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में इण्डिया मार्का-II नल लगवाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-7-2012 जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता जल निगम, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्राप्त सूची में उल्लिखित हैण्डपम्पों का स्थलीय निरीक्षण कराकर मानक के अनुरूप अधिष्ठापन योग्य पाये गये हैण्डपम्पों को चिन्हित कर लिया गया है तथा जिला प्रशासन से उक्त हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आर्सेनिक रिमूवल प्लान्ट के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना

13-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आर्सेनिक पानी होने के कारण तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प एवं पानी की टंकी लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विकास खण्ड बैरिया, मुरलीछपरा, बेलहरी (आंशिक) एवं रेवती (आंशिक) आते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र की 143 बस्तियों के इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा (50 पी0पी0बी0) से अधिक पायी गयी है।

इन आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल योजनाओं, अतिरिक्त गहरे हैण्डपम्पों एवं आर्सेनिक रिमूवल प्लाण्ट के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना है।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत आर्सेनिक प्रभावित समस्त बस्तियों में दिनांक 31-3-2013 तक आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

14-श्री संजय कपूर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों जिनकी मरम्मत के पांच वर्षों की गारण्टी की समयावधि समाप्त हो गयी है, अब

जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का पुनर्निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के निर्माणोपरान्त 05 वर्ष तक उनके अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का है तथा उसके लिये राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से धनराशि की व्यवस्था की जाती है। उक्त अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों को उनके रख-रखाव हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

अगस्त, 2012 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये तथा 05 वर्ष की अनुरक्षण अवधि पूर्ण हो चुके कुल 8001 मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। 05 वर्ष से अधिक अवधि के क्षतिग्रस्त मार्गों का रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी विभागीय निधियों से कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था नहीं है। यदि 05 वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है तो पेवमेन्ट कण्डीशन इन्डैक्स के आधार पर उसको उच्चीकरण हेतु योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा मार्गों का सामान्य रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी विभागीय निधियों से विहित प्रक्रियानुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार मार्गों का पुनर्निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के नगर निगम द्वारा कतिपय कार्यों की मरम्मत का कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कराया जाना

15-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011-12 के लिए नगर निगम अलीगढ़ में फुटकर, रिपेयर/मरम्मत के कार्यों जैसे गढ्ढ़ा भरना, पुलिया की मरम्मत, मेनहोल ठीक करना तथा टूटी नाली ठीक कराने के टेण्डर स्वीकृत हो जाने के उपरान्त भी उस कार्य को न कराकर उसकी आड़ में नये कार्य कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा वर्ष 2011-12 में पुलियों की मरम्मत, टूटी नाली, सड़क आदि आवश्यक कार्यों को कराने हेतु समाचार-पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित कराकर पंजीकृत ठेकेदारों से प्रतिशत दरों के आधार पर निर्माण कार्यों के आइटमों की दरें आमंत्रित की गयी थी। न्यूनतम दर पर नगर निगम द्वारा अतिआवश्यक नाली सड़क, पुलियों की मरम्मत के कार्य कराये गये हैं। अति आवश्यक प्रकृति के निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा-117(6)(बी0) के अन्तर्गत कराये जाते हैं। अन्य समस्त कार्य निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त ही कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नेशनल मिशन क्लीन गंगा कार्यक्रम अन्तर्गत रामगंगा नदी को प्रदूषण से बचाने की योजना

16-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली से गुजर रही रामगंगा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु इसमें गिर रहे सीवर के पानी एवं फैक्ट्रियों के नालों पर प्रतिबन्ध लगाकर प्रदूषण रहित बनाने हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार नेशनल रिवर गंगा बेसिन एथॉरिटी अथवा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के सहयोग से इसे प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां, नेशनल गंगा रिवर बेसिन एथारिटी कार्यक्रम (नेशनल मिशन क्लीन गंगा 2020) के अन्तर्गत रामगंगा नदी को प्रदूषण से बचाने की योजना है।

नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक गंगा नदी में बिना शोधित अवजल प्रवाहित नहीं किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से पी0सी0एस0 की परीक्षा उत्तीर्ण पर्वतीय संवर्ग के अभ्यर्थियों को समायोजित कराये जाने की मांग

17-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से पी0सी0एस0 की परीक्षा उत्तीर्ण पर्वतीय संवर्ग के 83 अभ्यर्थियों में से उत्तरांचल राज्य का गठन होने के पश्चात् कितने अभ्यर्थियों को सेवायोजित कर लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष अभ्यर्थियों को समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्मिलित राज्य/अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर पर्वतीय संवर्ग हेतु संस्तुत 11 अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विभागों द्वारा नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-3032-3040/2002 उत्तरांचल राज्य प्रति सिद्धार्थ श्रीवास्तव तथा अन्य तथा सम्बद्ध अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5-6-2003 को पारित निर्णय के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य में नियुक्ति प्रदान न करने का निर्णय लेते हुए दिनांक 20-2-2004 को शासनादेश निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मेरठ के थाना सरूरपुर के ग्राम हर्रा में राहुल पुत्र जयपाल का धर्म परिवर्तन कराये जाने का कथित प्रकरण

18-सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर में नाबालिक राहुल पुत्र जयपाल को एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने बहला-फुसलाकर माह अप्रैल, 2012 में धर्म परिवर्तन करा दिया है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा सीवर डालने हेतु खोदी गयी सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

19-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा सीवर लाइन बिछाये जाने के लिए जो सड़कें खोदी गई हैं, को सरकार पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा नगर में यमुना कार्य योजना-द्वितीय चरण, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा ब्रांच एवं लेटरल परियोजना, राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सदर्न जोन-II सीवरेज योजना तथा रेलवे ट्रैक के किनारे बसी मलिन बस्तियों में सीवर योजना के कार्य कराये गये। इनके अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने हेतु खोदी गई सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य शत्-प्रतिशत कराया जा चुका है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा सीवरेज योजना फेज-1, पार्ट-1, (सेन्ट्रल व ताजगंज जोन) के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। सीवर लाइन बिछाने हेतु खोदी गई सड़कों की पुनर्स्थापना के कार्य को मार्च, 2013 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में बारिश से जल भराव से निपटने हेतु प्रभावी कार्य योजना

20-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बारिश के दिनों में होने वाले जल भराव से निपटने के लिए सरकार कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम द्वारा धन की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनायी जाती है। वर्तमान में निम्न विवरण के अनुसार जल निकासी हेतु नाले बनाये जाने की योजना स्वीकृत की गयी है :-

कार्य का नाम

1-ताजगंज जोन में ग्वालियर रोड पर गोपालपुरा मोड़ से ग्रीन पेट्रोल पम्प तक नाला निर्माण कार्य।

2-ताजगंज जोन में ताल फिरोज से मधु नगर चौराहे तक भूमिगत नाले के निर्माण का कार्य।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित नालों का निर्माण/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है :-

कार्य का नाम

1-रामनगर से केदार नगर होते हुए अलबतिया रोड तक कवर्ड नाले का निर्माण कार्य।

2-हरीपर्वत जोन-1 के अन्तर्गत मास्टर प्लान रोड पर मल्होत्रा नर्सिंग होम से आर0बी0एस0 चौराहे से होकर नागरथ नर्सिंग होम तक नाले का निर्माण कार्य।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के मोहल्ला क्रिकेट तालाब में मान्यवर काशीराम जी दलित बाहुल्य बस्ती में समग्र विकास योजना के माध्यम से विकास कार्य कराये जाने की मांग

21-श्री रामहेत भारती-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर शहर के मोहल्ला क्रिकेट तालाब (अम्बेडकर नगर) में मान्यवर कांशीराम दलित बाहुल्य समग्र विकास योजना के माध्यम से कराये जा रहे विकास कार्य अवशेष एवं अधूरे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में दलित बस्तियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना था जिसमें कुल 21 कार्य प्रस्तावित किये गये थे। प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि अनुसूचित जाति हेतु एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत उक्त कार्यों को कराये जाने की व्यवस्था पूर्व में ही विद्यमान है। अतः इस योजना को समाप्त किये जाने से योजना में परिकल्पित कार्य प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि पूर्व से संचालित योजनाओं से उनकी पूर्ति हो जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उप निरीक्षक, थानाध्यक्षों के पदों की नियुक्ति पर आरक्षण व्यवस्था के अनुसार प्राविधान

22-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष (एस0ओ0) के पदों पर आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद सीतापुर में आरक्षण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित 06 थानाध्यक्षों के सापेक्ष 01 थानाध्यक्ष एवं 02 उप निरीक्षक थानाध्यक्ष समतुल्य एस0एस0आई0 के पद पर नियुक्त हैं। अन्य 03 उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

23-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[गोपनीयता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में प्रोटोकाल के अनुसार गाड़ियों में लाल/नीली बत्ती तथा हूटर लगाने के प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरण

24-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रोटोकाल के अनुसार कौन-कौन से लोग गाड़ियों में लाल/नीली बत्ती तथा हूटर लगाने के लिए प्राधिकृत हैं ? क्या इसकी नियमित जांच का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो वह क्या है और विगत तीन वर्षों में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लाल/नीली बत्ती तथा हूटर लगाने के सम्बन्ध में शासकीय अधिसूचना संख्या-1772/30-4-2007-25पी/77, दिनांक 23-8-2007, अधिसूचना संख्या-1397/30-4-2008-25पी/77, दिनांक 04-07-2008 व अधिसूचना संख्या-1462/30-4-10-25पी/77, दिनांक 22-07-2010 के द्वारा व्यवस्था निर्धारित है।

प्रदेश के जनपदों में समय-समय पर अभियान चलाकर वाहनों पर अनाधिकृत रूप से लगायी गयी लाल, नीली बत्ती व हूटर/साइरन/प्रेशर हार्न का प्रयोग करने वालों पर कार्यवाही की जाती है। विगत तीन वर्षों में लाल फ्लैशर बत्ती के चालान 720, सीज 31, नीली फ्लैशर बत्ती के चालान 799, सीज 237 तथा हूटर/साइरन/प्रेशर हार्न के चालान 69065 तथा सीज 3756 वाहन किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि जारी करने सम्बन्धी जानकारी

25-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 12551 इन्दिरा आवास के निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा कब तक धनराशि जारी की जायेगी एवं लाभार्थियों को कब तक इन्दिरा आवास प्रदान करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

इन्दिरा आवास योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत अनु0 जाति/जनजाति तथा 40 प्रतिशत गैर अनु0 जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में दिये जाने का प्राविधान है।

12551 का 60 प्रतिशत=7531

12551 का 40 प्रतिशत=5020

जनपद-बहराइच में बी0पी0एल0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची में अनु0 जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थी अवशेष न होने के कारण कुल लक्ष्य 12551 में से 60 प्रतिशत अनु0 जाति/जनजाति के 7531 आवास जनपद हरदोई को स्थानान्तरित किये जाने और उनके लिए निर्धारित धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध पत्र दिनांक 12-7-2012 द्वारा भारत सरकार से किया गया है।

कुल लक्ष्य में से गैर अनु0 जाति/जनजाति के 40 प्रतिशत अर्थात् 5020 आवासों में से अब तक 3761 इन्दिरा आवास स्वीकृत करते हुए लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। शेष 1259 इन्दिरा आवास, वर्ष 2012-13 हेतु चयनित डा0 लोहिया समग्र ग्रामों के लाभार्थियों को दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर स्थित बनकटवा में सुलभ शौचालय निर्मित कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

26-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर स्थित बनकटवा एवं वार्ड नं0-19 नकहा नं0-1 में सुलभ शौचालय निर्मित कराये जाने के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमशः ख-5 नं0-308022, दिनांक 8-8-12 एवं पत्रांक ख-5 नं0-308020, दिनांक 8-8-12 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कर आगणन धनांक रु0 30.00 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के रामनगर कालोनी के निवासियों की समस्याओं के ज्ञापन सहित प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

27-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के रामनगर कालोनी के निवासियों की समस्याओं के ज्ञापन सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-5 नं0-111474, दिनांक 8-8-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 24.00 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की योजना सम्बन्धी जानकारी

28-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद्, बस्ती जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में सम्मिलित है। उ0 प्र0 के लिए आवंटित परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण भारत सरकार से नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं करायी जा सकती हैं। कार्यक्रम के द्वितीय चरण के प्रारम्भ होने तथा नई परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने की स्थिति में बस्ती की सीवरेज परियोजना को यथाप्रक्रिया भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री मनीष असीजा-

[3सरे सोमवार के लिये स्थगित।]

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाकों के ग्रामों में बन्द पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर चालू कराये जाने की मांग

30-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पेयजल की समस्या के निदान हेतु 135-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा व ब्लाक ददरौल के 40 ग्रामों में बन्द पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद शाहजहांपुर के कुल 15 विकास खण्डों हेतु 750 नग हैण्डपम्पों के रि-बोर का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त के क्रम में प्रति विकास खण्ड निर्धारित लक्ष्य 50 रि-बोर हैण्डपम्प की सीमा के भीतर हैण्डपम्पों का रि-बोर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के सीवेज सिस्टम जल निकासी की योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

31-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के सीवरेज सिस्टम जल निकासी की योजनाओं को भारत सरकार के जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में शामिल कराने हेतु प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक क-5 नं0-111457, दिनांक 30-7-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

गोरखपुर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में सम्मिलित हैं। कार्यक्रम की अवधि मार्च, 2012 में समाप्त हो जाने के कारण योजना को स्वीकृत कराया नहीं जा सका। कार्यक्रम के द्वितीय चरण के प्रारम्भ होने तथा भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं को स्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रश्नगत परियोजनाओं को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

32-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग

33-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार से आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार सिफारिश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 द्वारा भारत के प्रधान मंत्री जी से दिनांक 7-11-1994 एवं दिनांक 5-9-1995 को यह अनुरोध किया गया है कि वह जिस स्थान पर उपयुक्त समझे मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय में निर्णय लेकर राज्य सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

34-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 132, जलालाबाद, शाहजहांपुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर शुद्ध पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की योजना है ? यदि हां, तो इस प्रकार कितने हैण्डपम्प लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार मा0 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का प्राविधान नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के थाना परौर के कतिपय गांवों को हटा कर थाना कलान में शामिल करने की मांग

35-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना परौर के अन्तर्गत आने वाले गांव रजुवापुर व चितानगला जो कलान थाने के निकट हैं जबकि परौर थाने से उक्त ग्रामों की दूरी 25-30 कि0मी0 है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को थाना परौर से हटाकर थाना कलान में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत ग्रामों को थाना परौर से हटाकर थाना कलान में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-1978पी/छः-पु-6-12-1ए0क्यू0/2012, दिनांक 20-11-2012 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथास्थिति नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से उपलब्ध कराये जाने की मांग

36-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की समस्या होने के कारण आये दिन जाम/धरना/प्रदर्शन एवं कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगर की जनता को सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के तहत योजना वर्ष 2005-06 में बनाई गई थी, किन्तु प्रदेश के लिए आवंटित परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण परियोजना भारत सरकार को संदर्भित नहीं की जा सकी। इस नगर निकाय में वर्ष अक्टूबर, 2008 में 13 ग्राम सभायें सम्मिलित होने के कारण उक्त ग्राम सभाओं की पेयजल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रि-आर्गनाइजेशन सर्वे कराकर पुनरीक्षित परियोजना को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के द्वितीय चरण के प्रारम्भ होने तथा नई परियोजनाओं को विचारार्थ लिए जाने पर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु यथा प्रक्रिया प्रेषित किया जायेगा।

जनपद गोरखपुर नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा सम्बन्धी जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

37-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर स्थित वार्ड नं0-04 में नगर निगम के गाटा संख्या-163 की 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन पर कब्जा किये जाने के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्रश्नकर्ता का पत्र ख-5 नं0 308028, दिनांक 08-08-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र पर दिनांक 9-10-2012 को नगर निगम द्वारा नगर निगम सम्पत्ति का बोर्ड लगवा दिया गया है। उक्त भूमि नगर निगम के कब्जे में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के ग्राम पंचायतों में पात्रता सूची के आधार पर इन्दिरा आवास दिये जाने की मांग

38-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 132, जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में स्थाई पात्रता सूची के आधार पर ऐसे कितने नाम हैं जिन्हें अभी तक इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है ? क्या सरकार बचे हुए पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां। विधान सभा क्षेत्र 132, जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में अभी तक स्थायी पात्रता सूची के अनुसार इन्दिरा आवास योजना का लाभ न पाये लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

विकास खण्ड का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1-जलालाबाद	3242
2-मिर्जापुर	2783
3-कलान	1888
	योग :-7913

जी हां।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत स्थायी पात्रता सूची में अवशेष पात्र लाभार्थियों को आगामी वर्षों में बजट की उपलब्धता व यथा समय लागू शासनादेशों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के प्रत्येक राजस्व ग्राम में खराब पड़े हैण्डपम्पों को संचालित कराये जाने की मांग

39-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 132, जलालाबाद के प्रत्येक राजस्व ग्राम में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का विवरण क्या है तथा उनमें से कितने हैण्डपम्प चालू एवं कितने खराब हैं ? क्या खराब हैण्डपम्पों को सुचारु रूप से संचालित कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

132, विधान सभा क्षेत्र-जलालाबाद के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों में कुल 332 राजस्व ग्रामों में 6828 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इनमें से 242 नग इण्डिया मार्क- II हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब हैं।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद शाहजहांपुर हेतु निर्धारित 750 नग रिबोर हैण्डपम्पों के लक्ष्य के सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों में हैण्डपम्पों को रिबोर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद व कटरा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

40-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, जलालाबाद व कटरा जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत 60 एवं 25 प्रतिशत इलाका गंगा, रामगंगा एवं बहगुल नदी की बाढ़ से प्रभावित होने के कारण प्रदूषित पानी पीने से स्थानीय लोग गम्भीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-जलालाबाद व कटरा का अधिकांश क्षेत्र गंगा, रामगंगा एवं बहगुल नदी के बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ से प्रभावित बस्तियों में निर्धारित मानक के अनुसार इण्डिया मार्क-मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है, जिनके द्वारा जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उक्त हैण्डपम्पों के पानी पीने से स्थानीय लोगों के किसी गम्भीर बीमारी के शिकार होने का कोई मामला। संज्ञान में नहीं आया है। उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र-जलालाबाद के बाढ़

प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रफियाबाद कलान ग्राम पेयजल योजना, जेरारहीमपुर ग्राम पेयजल योजना तथा भरटौली ग्राम पेयजल योजना निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर की ग्राम सभा जरौली कोठी के मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

41-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर की ग्राम सभा जरौली कोठी में रास्ता अत्यन्त खराब होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में सी0सी0 रोड का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हां।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को आय-व्ययक के आयोजनागत मद में राज्य सरकार द्वारा कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अपितु यह विभाग एक राजकीय कार्यदायी संस्था के रूप में अन्य विभागों/संस्थाओं की योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्यों को, उनसे 'डिपाजिट' के रूप में प्राप्त धनराशि से, सम्पादित कराता है। चूंकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को ग्राम सभा जरौली कोठी, जनपद-शाहजहांपुर के रास्तों पर सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति/धनराशि प्राप्त नहीं है, इसलिये उक्त निर्माण कार्य को इस विभाग के द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर की तारीख उतरौला के ग्राम मुबारकपुर में नरेगा/मनरेगा द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

42-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के ग्राम मुबारकपुर में नरेगा/मनरेगा के अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में कराये गये कार्यों एवं उस पर भुगतानित धनराशि का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के प्रधान द्वारा फर्जी भुगतान लेने एवं कराये गये कार्यों में घोर अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

42-जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के ग्राम मुबारकपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कराये गये कार्यों एवं भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

<u>वित्तीय वर्ष 2010-11</u>

क्र0-सं0	कराये गये कार्य	व्यय की गयी धनराशि
1	झिनकूडीह से सम्पर्क मार्ग की योजना तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 12,300.00
2	मुल्ला के खेत से पी0डब्ल्यू0डी0 तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 43,440.00
3	पप्पू की दुकान से सेक्टर रोड तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 15,600.00

4	नोखई के दुकान से कहरपुरवां ग्राम तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 94,340.00
5	रामरूचिपुरवां से नथईपुर सरहद तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 31,600.00
6	बरगदही से रामरूपपुरवां दिलीप के चक तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 12,100.00
7	गोकुलाबुजुर्ग सरहद से भैसाही तालाब तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 60,480.00
8	पिच रोड से पिपरा सरहद तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 35,000.00
9	रंजीत के घर से पिपराग्रन्ट सरहद तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 39,360.00
10	जगराम के घर से पिपराग्रन्ट सरहद तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 26,040.00
	कुल योग :-	रु0 3,89,460.00

<u>वित्तीय वर्ष 2011-12</u>

क्र0-सं0	कराये गये कार्य	व्यय की गयी धनराशि
1	खलील के घर से गोकुलाबुजुर्ग तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 21,600.00
2	प्राथमिक पाठशाला से पिपरा सरहद तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 1,20,360.00
3	धनीराम के घर से तालाब तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 9,000.00
4	मग्गू के घर से घिसयावन के घर तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 11,160.00
5	खेलावन के चक से गोकुला सरहद तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 15,840.00
6	शिवकुमार के चक से गोकुलाबुजुर्ग सरहद तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 18,000.00
7	मन्नू के घर से ननकन के घर तक खड़न्जा कार्य।	रु0 99,980.00
8	पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से सेक्टर रोड तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 16,560.00
9	बैतुल्ला के घर से नथईपुर सरहद तक खड़न्जा कार्य।	रु0 22,6005.00
10	तोताराम की दुकान से मोहर्रम अली के घर तक खड़न्जा कार्य।	रु0 93,813.00
11	सेक्टर रोड से तुलाराम के घर तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 64,080.00
12	बुधराम के चक से तुलराम के घर तक आंशिक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 28,800.00
13	पिपराग्रन्ट सरहद से चिन्नू के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 48,960.00
14	जगतराम के खेत से बरईडीह ग्राम तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 20,160.00
15	ननकन के मशीन से जाफर के घर तक मिट्टी पटाई कार्य।	रु0 22,320.00
	कुल योग	रु0 8,16,638.00

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न थानों में पंजीकृत अपराध का विवरण

43-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 06-03-2012 से 14-8-2012 तक प्रदेश में कुल कितने आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में पंजीकृत हुये ? इनमें से हत्या, लूट बलात्कार, वाहन चोरी के कितन-कितने प्रकरण पंजीकृत हुये तथा चोरी गये कितने वाहन रिकवर हुये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 06-03-2012 से प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 120682 आपराधिक अभियोग पंजीकृत हुये हैं।

इनमें से हत्या, लूट, बलात्कार व वाहन चोरी के पंजीकृत प्रकरण क्रमशः 3139, 1766, 1221 व 13704 हैं तथा बरामद किये गये वाहनों की संख्या 3956 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अनेकों कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

44-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बाउण्ड्रीवाल विहीन खैलार, बबीना रूरल, बबीना कैण्ट, सिमराबारी, रक्सा, अम्बावाय पारीक्षा, चिरगांव, बड़ागांव, बरुआसागर, झांसी कैण्ट, लाल कुर्ती आदि कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश सरकार द्वारा ''अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना'' नाम से योजना संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों यथा-मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के द्वारा समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक ''कार्यान्वयन समिति'' का गठन किया गया है एवं उक्त समिति को जनपद में स्थित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों का चयन करने एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। शासन स्तर से जनपद झांसी के लिये इस मद में रु0 94.36 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय इलाकों में नगर पंचायत बनवाने की मांग

45-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत (खैलार बी0एचई0एल0 सिमरावारी) की वोटर जनसंख्या लगभग 15 हजार है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे नगर पंचायत बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मानकों के आधार पर परीक्षण करके नगर पंचायत सृजन किये जाने पर विचार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अनेकों गांवों में पेयजल समस्या के निराकरण की मांग

46-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खाड़ी, भण्डरा, कोटी, पुनावली कला, वि0खं0 बड़ागांव में रमगुणवां भूपनगर, वि0खं0 चिरगांव में सिकरी धमना, बरल, छवानी, आदि गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुये सरकार पानी की टंकी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ग्राम-कोटी को बबीना ग्रामीण पेयजल योजना तथा ग्राम-बरल को बरल ग्राम पेयजल योजना द्वारा पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम-खाड़ी, भण्डरी, पुनावली कला, रमगुणां भूपनगर, सिकरी धमना, हवानी आदि सभी ग्रामों में निर्धारित मानक के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिसके माध्यम से जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के अनेकों विकास खण्डों में फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना किये जाने की मांग

47-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव, चिरगांव व बबीना में फायर ब्रिगेड के स्टेशन न होने के कारण कई बार लोगों के मकान एवं किसानों के खलिहान जलकर नष्ट हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव, चिरगांव व बबीना में अग्निशमन सुरक्षा, अग्निशमन केन्द्र, झांसी द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों में हो रही लूटपाट एवं हत्या की घटनाओं को रोकने के उपाए

48-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों में लगातार हो रही लूट एवं हत्या की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों में हो रही घटनाओं को रोकने हेतु समय-समय पर जनपदीय पुलिस अधिकारियों को परिपत्र निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश एवं जनपद आगरा में गुमशुदा एवं बरामद बच्चों की संख्या तथा घटनाओं को रोकने के उपाय

49-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 में अब तक प्रदेश में तथा जनपद आगरा में कितने बच्चे गुमशुदा हैं तथा अब तक कितने गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हुई है ? क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2012 में अब तक प्रदेश में 2644 बच्चे गुम हुये, जिसमें से 1222 बच्चों की बरामदगी की जा चुकी है तथा जनपद आगरा में 183 बच्चे गुम हुये, जिसमें से 119 बच्चों की बरामदगी की जा चुकी है।

जी नहीं।

इन घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जनपदीय पुलिस अधिकारियों को परिपत्र निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के कतिपय मोहल्लों में सड़क एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

50-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के रामनगर मोहल्ले में रामनगर चौराहे से आर0के0 सिंह और भोलानाथ मिश्र के मकान तक सड़क एवं नाली के निर्माण सम्बन्धी स्थानीय निवासियों के ज्ञापन सहित प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कर आगणन धनांक रु0 24.00 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के अनेकों स्थानों पर सड़क एवं गली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

51-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के मोहल्ला नकहा नं0 2 (पंडित टोला) निकट नकहा जंगल रेलवे स्टेशन, गोरखपुर में सड़क एवं नाली के निर्माण सम्बन्धी संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 9.90 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के घोसी पुरवा रेलवे क्रासिंग से भगौती चौराहे तक जल भराव की समस्या सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

52-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 के साथ गोरखपुर महानगर के शास्त्रीनगर के नागरिकों का ज्ञापन जो शास्त्री नगर मोहल्ले में घोसी पुरवा रेलवे क्रासिंग से भगौली चौराहे तक जमाव के सम्बन्ध में है, नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में सम्बन्धित नाले तथा मुहल्ले की नालियों की सफाई करा दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

53-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के भेड़ी मण्डी कुन्दनलाल का हाता में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्प को ठीक कराये जाने की मांग

54-श्री आरिफ अनवर हाशमी

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 69/35, कुन्दन लाल का हाता लालकुआं, भेड़ी मण्डी, लखनऊ में लगा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्प को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जलकल विभाग नगर निगम, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 जल निगम को प्रेषित रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों की सूची में संदर्भित हैण्डपम्प सम्मिलित हैं। धन की उपलब्धता के आधार पर रि-बोर का कार्य कराया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना अन्तर्गत डाली गयी सीवर लाइनों से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

55-श्री सलिल विश्नोई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत डाली गई सीवर लाइनें सुचारु रूप से कार्य करने लगी हैं ? यदि हां, तो क्या सीवर लाइन डालने से क्षतिग्रस्त मार्गों एवं गलियों की मरम्मत कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 199 कि0मी0 सीवर लाइन के सापेक्ष 157 कि0मी0 सीवर लाइन बिछा दी गयी है, जिसमें से 16.10 कि0मी0 सीवर लाइन क्रियाशील कर दी गयी है।

बिछायी गयी 157 कि0मी0 सीवर लाइन में से लगभग 98 कि0मी0 कच्चे मार्गों पर ट्रेन्चलेरा विधि से सीवर लाइन बिछायी गयी है, जिसमें सड़क पुनर्स्थापना नहीं करनी है। अवशेष 59 कि0मी0 में से 49 कि0मी0 मार्गों का पुनर्निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा करा दिया गया है। शेष 10 कि0मी0 मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर में फूलबाग सहित नगर के ओवरहेड टैंकों का कनेक्शन गंगा बैराज से करने सम्बन्धी जानकारी

56-श्री सलिल विश्नोई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर नगर में फूलबाग सहित नगर के ओवरहेड टैंकों (पानी की टंकी) का कनेक्शन गंगा बैराज से कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर में फूलबाग सहित नगर के ओवर हेड टैंकों (पानी की टंकी) को गंगा बैराज के पानी से, फीडरमेन के माध्यम से भरकर, चालू करने का लक्ष्य सितम्बर, 2013 निर्धारित है। इस हेतु गंगा बैराज स्थित 200-200 एम0एल0डी0 जल शोधन संयंत्र, गंगा बैराज से फूलबाग तक डाली जाने वाली क्लीयर वाटर फीडरमेन, उच्च जलाशय एवं भूमिगत जलाशय एवं सम्पूर्ण योजना की टेस्टिंग तथा

कमीशनिंग का कार्य पूर्ण कर प्रश्नगत उच्च जलाशयों व भूमिगत जलाशयों को चालू कर जनता को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के कतिपय गांवों के ट्यूबवेलों एवं हैण्डपम्पों से काला पानी आने का कथित प्रकरण

57-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में गंगा के किनारे स्थित रामनगर के डोमरी व सूजाबाद गांव में ट्यूबबेलों एवं हैण्डपम्पों से काला पानी आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके कारणों की जांच कराकर शुद्ध पेयजल हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। डोमरी एवं सुजाबाद ग्रामों के किसी भी ट्यूबवेल अथवा हैण्डपम्प में काला पानी नहीं आ रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के गांव बाराखुर्द में सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण युक्त कराये जाने की मांग

58-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के गांव बाराखुर्द के राम लड़ैते के मकान से सत्यपाल नाई के मकान तक के एक सार्वजनिक रास्ते को गांव के दबंगों द्वारा बन्द कर अतिक्रमण कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते को खुलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम बाराखुर्द में सत्यपाल नाई के दक्षिण दिशा में एक आम रास्ता पूरब से पश्चिम की तरफ की जाता है जो सत्यपाल नाई के मकान से उत्तर दिशा की तरफ रामोऔतार पुत्र राम भरोसे के मकान के पास से पूरब दिशा को मुड़ कर बाराकलां से तिलौआ को जाने वाली सड़क से उत्तर की तरफ से एक खड़न्जा पश्चिम दिशा की तरफ को जाता है जो आगे चलकर उत्तर की दिशा में मुड़कर राम लड़ैते पुत्र रामचन्द्र के मकान को होता हुआ आगे चला जाता है। इस प्रकार से मौजूदा समय में सत्यपाल नाई के मकान से राम लड़ैते के मकान तक जाने वाले रास्ते पर कोई अवरोध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में कतिपय अपराधों की घटनाओं की संख्या एवं थानेवार कार्यवाही का विवरण

59-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में मार्च, 2012 से दिनांक 21-08-12 तक हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, लूट व महिलाओं के साथ छेड़खानी की कितनी-कितनी घटनायें घटी हैं ? क्या सरकार थानेवार कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराते हुए अपराधों को रोकने हेतु कोई प्रभावी उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद में मार्च, 2012 से दिनांक 21-08-12 तक हत्या, डकैती, चोरी बलात्कार दहेज हत्या, अपहरण, लूट व महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटित घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

हत्या	डकैती	चोरी	बलात्कार	दहेज हत्या	अपहरण	लूट	छेड़खानी
58	03	1276	19	21	118	36	19

थानेवार कृत कार्यवाही का विवरण एवं अपराधों को रोकने हेतु प्रभावी उपाय संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के जाती टोला विकास नगर में सड़क निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

60-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के जाप्ती टोला, विकास नगर में सड़क निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111274 दिनांक 08-08-12 संलग्नक सहित नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण का आगणन धनांक रु0 23.68 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के महानगर क्षेत्र के माउन्ट फोर्ट इण्टर कालेज के कूड़ाघर हटवाये जाने की मांग

61-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के महानगर क्षेत्र में माउण्ट फोर्ट इण्टर कालेज के समीप में कूड़ाघर में आवारा जानवर एकत्र होकर कूड़े/गन्दगी को सड़क में फैला देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कूड़ेघर को स्कूल के समीप से हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नियमित रूप से कूड़े का उठान होता है एवं सफाई कराई जाती है। कभी-कभी आवारा पशु आ जाते हैं जिन्हें समय-समय पर पकड़ा जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कूड़ाघर के आसपास अन्य कोई स्थल उपलब्ध न होने के कारण।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 125-134 पर)

लखनऊ निरालानगर पोस्ट आफिस के पास तिकोना बायोटेक पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग

62-श्री सलिल विश्नोई-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0-64 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में निरालानगर पोस्ट आफिस के सामने तिकोना बायोटेक पार्क में सौन्दर्यीकरण हेतु गार्डेन लाइटें एवं सेमी हाई मास्ट लाइट ठीक कराने तथा जलापूर्ति हेतु सबमर्सिबल पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

निराला नगर पोस्ट आफिस के सामने तिकोना बायोटेक पार्क में गार्डेन लाइट क्षतिग्रस्त है जिन्हें ठीक कराने की कार्यवाही प्रगति पर है। सेमीहाईमास्ट लाइट ठीक करा दी गई है तथा जलापूर्ति हेतु सबमर्सिबल पम्प वर्तमान में लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद् फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्ज दिलाये जाने की मांग

63-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् फिरोजाबाद की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 480056 (चार लाख अस्सी हजार छप्पन) है तथा वर्तमान में नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में नागरिकों की वोटर संख्या 4.51 लाख तथा पूरी आबादी लगभग 7.8 लाख है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 2,79,102 है तथा सीमा विस्तार के अन्तर्गत 13 ग्राम सभाओं के शामिल हो जाने के उपरान्त 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 4,82,652 है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद, फिरोजाबाद के वोटरों की संख्या 4,51,573 है। वर्ष 2011 की जनगणना के सम्बन्ध में रिवीजन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा दिलाये जाने के प्रस्ताव पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है। तदोपरान्त ही नगर निगम बनाने का निर्णय लिया जा सकता है।

प्रदेश में रिक्शा ठेला चालकों से लाइसेन्स शुल्क के नाम पर अवैध वसूली के रोके जाने की मांग

64-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में गरीब एवं मेहनतकश रिक्शा चालकों, हाथ ठेला चालकों एवं फेरीवालों से लाइसेंस शुल्क वसूलने के नाम पर दबंगों द्वारा अवैध वसूली की जाती है ? यदि हां, तो

क्या सरकार वसूली के नाम पर हो रहे इस अवैध कारोबार को बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन प्रत्येक निकाय की उपविधियों के अनुसार लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया जाता है। लाइसेन्स शुल्क की वसूली सम्बन्धित निकायों द्वारा ही की जाती है।

गोरखपुर महानगर के सावरकर नगर में सड़क निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

65-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के सावरकर नगर में छोटू अहमद के मकान से मक्खन सिंह के मकान तक सड़क निर्माण से सम्बन्धित संलग्नक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111474 दिनांक 08-08-12 संलग्नक सहित नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 5.50 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने की मांग

66-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के कैंट विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन के अभाव में घरों की गन्दगी नाले के द्वारा गंगा जी में गिर रही है? यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने हेतु पूरे शहर में सीवर लाइन बिछाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वाराणसी शहर की सीवरेज व्यवस्था लगभग 95 वर्ष पुरानी है एवं शहर का मात्र 25-30 प्रतिशत क्षेत्र ही सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित है। वर्तमान में वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अतिरिक्त अवजल की निकासी नालों के माध्यम से होती है।

प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत जायका (जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी) सहायतित योजना में रु0 496.90 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें सिस वरूणा क्षेत्र में ट्रंक सीवर लगभग 30 कि0मी0 एवं एक सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट 140 एम0एल0डी0 क्षमता का एवं 03 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 13वें वित्त आयोग द्वारा रु0 51.87 करोड़ की रिहैविलटेशन आफ सीवरेज की योजना स्वीकृत की गयी है, जिस पर रु0 15.00 करोड़ वर्ष 2012-13 के लिये अवमुक्त हुआ है और कार्य प्रारम्भ करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। वाराणसी शहर के ट्रांस वरूणा क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रांस वरूणा सीवरेज योजना लागत रु0 309.12 करोड़ का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत 142.58 कि0मी0 सीवर लाइन, 2 पम्पिंग स्टेशन एवं 120 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट में सीवर लाइन बिछाये जाने की कार्य-योजना

67-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के कैंट विधान सभा क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की बड़ी गैबी कालोनी में भूमिगत सीवर लाइन हमेशा ओवरफ्लो रहने के कारण अत्यन्त समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर नई सीवर लाइन बिछाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ

जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र, जो सिस वरूणा क्षेत्र में आता है, की वर्तमान सीवर लाइन अण्डर साइज है, जिसके कारण कभी-कभी ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न होती है। इसके निराकरण हेतु नियमित रूप से सीवर सफाई करायी जाती है।

प्रश्नगत कालोनी में सीवर की समस्या के निदान हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सीवर लाइन के पुनरोद्धार का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2012-13 हेतु रु0 15.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी महानगर के रानीपुर वार्ड में ट्यूवबेल को चालू कराये जाने की मांग

68-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महानगर के रानीपुर वार्ड में वर्ष 2011-2012 में स्थापित मिनी ट्यूबेल से अभी तक जलाआपूर्ति चालू नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्यूबेल को चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, जलापूर्ति चालू कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट में सीवर लाइनों पर हो रही ओवरलोडिंग के निराकरण के उपाय

69-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के कैंट विधान सभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्मित हो रही बहुमंजिली इमारतों से लोड बढ़ने के कारण सीवर लाइनें ओवरफ्लो कर रही हैं ? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु क्या सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जनपद वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र, जो सिस वरूणा क्षेत्र में आता है, की वर्तमान सीवर लाइन अण्डर साइज है, जिसके कारण कभी-कभी ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न होती है। इसके निराकरण हेतु नियमित रूप से सीवर सफाई करायी जाती है।

वाराणसी नगर निगम में वाराणसी सीवरेज के पुनरोद्धार हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत एक योजना रु0 51.84 करोड़ की स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध वर्ष 2012-13 हेतु रु0 15.00 करोड़ अवमुक्त हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गनर व थानों में तैनात पुलिस आरक्षियों के दैनिक भत्ते की असमानता को दूर करने की मांग

70-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गनर को 100/-रु0 दैनिक भत्ता दिया जाता है जबकि पुलिस लाइन एवं थानों में तैनात पुलिस आरक्षियों को 300/- रु0 दैनिक भत्ता मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा नगर/शैडो को पुलिस लाइन एवं थानों पर तैनात आरक्षियों के समान ही दैनिक भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

कोई असमानता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के ग्राम कटैया से खानपुर तथा जर्जर सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

71-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के ग्राम कटैया से खानपुर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित जर्जर सड़क की

मरम्मत सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-07-12 अध्यक्ष, जिला पंचायत गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को नगर पंचायत गठित करने की मांग

72-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के आसपास के क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से ताजगंज नगर पंचायत गठित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मानकों के अनुसार उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद की नगरपालिका परिषद् लोनी के मुहल्लों में जल निकासी सफाई की व्यवस्था कराये जाने की मांग

73-श्री जाकिर अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद् लोनी में आने वाले मुहल्लों/कालोनियों में जल निकासी तथा सफाई की समुचित व्यवस्था तथा दवाओं का नियमित छिड़काव न होने के कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड एवं तीब्र ज्वर आदि बीमारियों के प्रकोप से जनसामान्य को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी, सफाई एवं नियमित दवाइयों का छिड़काव कराया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद् लोनी, गाजियाबाद के समस्त वार्डों में जल निकासी एवं सफाई की समुचित व्यवस्था है। फागिंग/कीटनाशक दवाइयों का नियमित छिड़काव किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

74-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या-55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र के कतिपय विकास खण्डों में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन एवं योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों की जानकारी

75-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर, राबर्ट्सगंज तथा चोपन की क्षेत्र पंचायतों में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 तक स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने लाभार्थियों का चयन कर उन्हें किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-सोनभद्र के विकास खण्ड-म्योरपुर, राबर्ट्सगंज एवं चोपन में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष चयनित कर लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों तथा उनसे सम्बन्धित योजनाओं का विवरण-

विकास खण्ड	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		परियोजनाओं का नाम
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
म्योरपुर	1104	1128	846	996	1321	1349	सिंचाई कूप, सिलाई, कढ़ाई, गल्ला व्यवसाय, टेन्ट हाउस, मसाला उद्योग, फल व्यवसाय एवं जनरल स्टोर इत्यादि।
राबर्ट्सगंज	1185	778	915	810	1455	618	सब्जी की खेती, जनरल स्टोर, कालीन निर्माण, डेयरी/पशु-पालन, खिलौने/फोटो फ्रेमिंग इत्यादि।
चोपन	1679	1303	1336	987	808	806	बकरी पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन नलकूप सिंचाई, टेन्ट हाउस के अन्य लघु उद्योग।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सोनभद्र के कतिपय विकास खण्डों में अलग-अलग क्षेत्रिय के स्वीकृत आवासों का विवरण

77-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर, राबर्ट्सगंज तथा चोपन की क्षेत्र पंचायतों में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में किन-किन

ग्राम पंचायतों में कितने-कितने अलग-अलग श्रेणी के आवास स्वीकृत किये गये ? क्या खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उनकी पात्रता को प्रमाणित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-म्योरपुर, राबर्ट्सगंज तथा चोपन में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अलग-अलग श्रेणी में स्वीकृत आवासों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	विकास खण्ड	आवास का प्रकार			
		इन्दिरा आवास	इन्दिरा आवास (स्टी0, पैकेज)	महामाया आवास	महामाया सर्वजन आवास
2009-10	म्योरपुर	240	46	253	88
2009-10	राबर्ट्सगंज	126	532	72	107
2009-10	चोपन	1328	969	17	430
	योग-	1694	1547	342	625
2010-11	म्योरपुर	132	71	156	13
2010-11	राबर्ट्सगंज	185	31	372	149
2010-11	चोपन	228	478	2197	113
	योग-	545	580	2725	275
2011-12	म्योरपुर	450	0	442	133
2011-12	राबर्ट्सगंज	127	0	12	6
2011-12	चोपन	474	0	953	325
	योग-	1051	0	1407	464
	महायोग-	3290	2127	4474	1364

जी हां।

जी हां।

(सूची मा0 मंत्री जी के कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओवरा के खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

78-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार की खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को बोरिंग

कराकर ठीक कराने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

वर्ष 2012-13 में प्रति विकास खण्ड 50-50 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने की कार्य योजना है। जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत राबर्ट्सगंज, चोपन एवं म्योरपुर विकास खण्ड के आंशिक भाग सम्मिलित हैं, जिसमें निर्धारित कार्य योजना के अनुसार हैण्डपम्पों को रिबोर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 संगीत नाटक एकेडमी गोमतीनगर के कर्मचारियों के रिटायरमेन्ट की आयु 60 वर्ष किये जाने की मांग

79-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 संगीत नाटक एकेडमी, गोमतीनगर जो कि एक सरकारी संस्था है, में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष ही है जबकि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अरूण कुमार कोरी-

उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग की एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसमें कर्मचारियों/अधिकारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष है।

संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के मार्ग को सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

80-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत मधुबन दोहरी घाट मार्ग पर जजौली कब्रिस्तान से जयन्त पाण्डेय के ट्यूबवेल तक आवागमन के लिये सी0सी0 सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आय-व्ययक के आयोजनागत मद में राज्य सरकार द्वारा कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अपितु यह विभाग एक राजकीय कार्यदायी संस्था के रूप में

अन्य विभागों/संस्थाओं की योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्यों को, उनसे 'डिपाजिट' के रूप में प्राप्त धनराशि से, सम्पादित कराता है। चूंकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जनपद-मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत मधुबन दोहरी घाट मार्ग पर जजौली कब्रिस्तान से जयन्त पाण्डेय के ट्यूबवेल तक के रास्तों पर सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति धनराशि प्राप्त नहीं है, इसलिये उक्त निर्माण कार्य को इस विभाग के द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं हैं।

प्रदेश के नगरों एवं महानगरों में लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण

81-श्री सुरेश राणा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों एवं नगरों में मई, 2012 से जुलाई, 2012 तक भीषण गर्मी में कितने नये हैण्डपम्प लगाये गये हैं और कितने रिबोर हुए हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के महानगरों एवं नगरों में मई, 2012 से जुलाई, 2012 तक 189 नये हैण्डपम्प तथा 265 रिबोर हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं।

गोरखपुर महानगर के शास्त्रीनगर के टैम्पों स्टैण्ड में सुशील श्रीवास्तव के घर तक खड़न्जा एवं गली के निर्माण हेतु आगणन धनराशि तैयार

82-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के शास्त्रीनगर में टैम्पो स्टैण्ड से श्री सुभाष गुप्ता के घर तक तथा राजेन्द्र नगर पश्चिमी में स्थित चित्रगुप्त नगर में रामवृक्ष के दुकान से परमात्मा श्रीवास्तव तथा कौशल किशोर के घर से सुशील श्रीवास्तव के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित संलग्नकों सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 3,75,400/- तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज में मनरेगा योजना के कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच

83-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज विकास खण्ड बृजमनगंज में विगत 3 वर्षों से मनरेगा योजना में हुए कार्यों में सरकार भ्रष्टाचार की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

वित्तीय वर्ष 2009-2010 में मनरेगा कार्यों में अनियमितता सम्बन्धी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त न होने के कारण विकास खण्ड बृजमनगंज की जांच नहीं हुई है। यदि साक्ष्य से समर्थित कोई

शिकायत प्राप्त होती है तो जांच करायी जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 के उक्त विकास खण्ड में मनरेगा कार्यों की जांच करायी गयी है और जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी बृजमनगंज के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के शास्त्रीनगर रास्तों पर सड़क एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

84-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के शास्त्रीनगर, शिव पार्क के उत्तर में केवटहिया गांव के रास्ते पर सड़क एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-5 नं0 111474 दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 2,53,000/- तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के थानों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने की कार्यवाही

85-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में कितने थाने अभी तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए हैं ? क्या इन थानों को भी कम्प्यूटरीकृत कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

नवसृजित 05 थाना, म्योरपुर, शाहगंज, हाथीनाला, जुगैल एवं रामपुर बरकोनिया कम्प्यूटरीकृत नहीं हुये है।

सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम) योजनान्तर्गत इन थानों को आच्छादित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में मा0 सांसदों/विधायकों को सुरक्षा की दृष्टि से गनर उपलब्ध कराया जाना

86-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनप्रतिनिधि/विधायकों को सुरक्षा की दृष्टि से एक गनर उपलबध कराया गया है ? यदि हां, तो क्या कभी-कभी गनर के छुट्टी पर चले जाने से जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा में कमी होने से असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनप्रतिनिधि/विधायकों की सुरक्षा को नियमित बरकरार रखने के लिये गनर की अवकाश की अवधि हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 जनप्रतिनिधि (मा0 सांसदों/विधायकों) को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1773/6-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25-04-2001 सहपठित शासनादेश संख्या-1174/6-पु-2-2007-700(1)/2001 दिनांक 30-07-2007 एवं शासनादेश संख्या-786/6-पु-2-2008-700(1)/2001 दिनांक 05-05-2008 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत एक गनर/शैडों पदेन निःशुल्क अनुमन्य है और औचित्य पाये जाने पर 10 प्रतिशत निजी व्यय पर एक अतिरिक्त गनर/शैडों भी देय है। इसके अतिरिक्त विशेष जीवनभय होने पर जनपदीय सुरक्षा समिति से आख्या प्राप्त कर उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अतिरिक्त गनर/शैडों भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

मा0 जनप्रतिनिधि (मा0 सांसदों/विधायकों) की सुरक्षा में नियुक्त गनर/शैडों के अवकाश पर जाने पर उसके स्थान पर महानुभाव के संबंधित जनपद से उपलब्धता के आधार प्रतिस्थानी उपलब्ध कराया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराये जाने की मांग

87-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड-77 श्याम नगर के क्षेत्र गिरजानगर में रेलवे लाईन के किनारे की सड़क एवं नाली क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सड़क, जल भराव एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हाँ ।

प्रश्नगत क्षेत्र प्राईवेट सोसाइटी के अन्तर्गत आता है जोकि अभी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं है । अतः उक्त क्षेत्र के विकास का दायित्व नगर निगम का नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

88-श्री रमेश चन्द-

[1 ले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

89-श्री रमेश चन्द-

[1 ले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी मे पेयजल की समस्या का निराकरण

90-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु मार्च, 2007 से दिनांक 15-08-12 तक कुल कितने

हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया गया, कितने रि-बोर कराये गये तथा कितने विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये गये हैं ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभावार तथा शहरी क्षेत्रों में वार्डवार/कालोनीवार विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के दृष्टिगत मार्च, 2007 से दिनांक 15-08-2012 तक कुल 1725 नग हैण्डपम्प, 742 नग रि-बोर हैण्डपम्प एवं विधायक कोटे के अन्तर्गत कुल 230 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया गया ।

विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग के कार्यालय कक्ष में सूची अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद में प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण का कार्य

91-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हैं तथा इन सड़कों पर कितना कार्य हुआ है और इस पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या स्वीकृत सड़कों का कार्य आज भी अधूरा है तथा पूर्ण सड़कों को मानक के अनुरूप न बनाये जाने से सड़कों की हालत काफी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरी सड़कों का निर्माण तथा जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने के साथ-साथ उक्त स्वीकृत सड़कों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद में वर्ष 2001-02 से वर्ष 2007-08 तक कुल 89 सड़कों का निर्माण/उच्चीकरण कराया गया है। वर्ष 2007-08 के पश्चात् जनपद में उक्त योजनान्तर्गत कोई सड़क स्वीकृत नहीं हुयी है। उपर्युक्त अवधि में निर्मित/उच्चीकृत की गई 89 सड़कों की फेजवार/वर्षवार सूची संलग्न है (संलग्नक-1)।

समस्त स्वीकृत सड़कों का निर्माण/उच्चीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

उपरोक्त उल्लिखित मार्गों के निर्माण/उच्चीकरण में रु0 5608.74 लाख व्यय किये गये हैं।

जी नहीं । सड़कों का निर्माण योजना के दिशा-निर्देशों व निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार किया गया है। मार्गों की गुणवत्ता का परीक्षण समय-समय पर निर्माण के दौरान व निर्माणोपरान्त नेशनल तथा स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा किया जा चुका है। उक्त मार्गों में से 63 मार्गों को योजनान्तर्गत निर्धारित अनुरक्षण अवधि के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् अथवा अन्य कारणों से अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अवशेष 26 सड़कों को नियमित अनुरक्षण निर्धारित 05 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणोपरान्त मात्र 5 वर्ष तक ही अनुरक्षण का प्राविधान है। तदोपरान्त लोक निर्माण विभाग को सड़कें हस्तान्तरित कर दी जाती है, अतः 05 वर्ष की

निर्माण अवधि के उपरान्त हस्तान्तरित सड़कों पर अनुरक्षण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय संसाधनों की उपलब्धता व उनकी प्राथमिकता/कार्य योजना के आधार पर किया जाता है। स्वीकृत समस्त 89 सड़कों की सूची संलग्नक-1 पर प्रस्तुत है।†

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणोपरान्त 05 वर्ष की अवधि के अन्दर आने वाले मार्गों का नियमित अनुरक्षण कराया जा रहा है। जो मार्ग लो0नि0वि0 को उक्त अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप हस्तान्तरित हो चुके हैं, उनका अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता है।

92-श्री जाकिर अली-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजियाबाद में मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों की मजदूरी में अनियमितता की जांच की मांग

93-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2008 से अगस्त, 2012 तक मनरेगा के अन्तर्गत किन-किन विभागों द्वारा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा न करके मस्टर रोल भरकर अनियमित रूप से किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरवन्दि कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। सभी भुगतान चेक द्वारा किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करवाये जाने की मांग

94-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में कुल कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान सभा क्षेत्र-लोनी में माह सितम्बर, 2012 तक 73 नग हैण्डपम्प अस्थाई रूप से एवं 76 नग हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे।

जी हां।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अस्थाई रूप से खराब इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के मरम्मत के कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज विभाग द्वारा कराये जाते हैं। उपरोक्त 73 नग अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प जो सामान्य मरम्मत योग्य थे, ग्राम पंचायतों द्वारा ठीक करा दिये गये हैं।

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 135-140 पर

स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये जाते हैं। 76 नग स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प जो रि-बोर योग्य हैं में से 31 नग हैण्डपम्प अभी तक रि-बोर कराये गये हैं। अवशेष 45 नग रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष रि-बोर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में डपका नाले का गन्दा पानी गंगा नदी में गिरने से रोकने की उपाय

95-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-2 में आने वाला डपका नाला सहित गंदा पानी लेकर गंगा में गिरने वाले नाले बन्द करने अथवा इसका रास्ता बदलने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-2 के डबका नाले के ओवर फलों को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिये गंदे पानी का रास्ता बदलकर जाजमऊ एस0टी0पी0 तक ले जाने हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यांश के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने का कार्य कराया जा रहा है। वार्ड-2 के शेष नाले यथा सत्ती चौरा नाला, धोबीघाट नाला, गोलाघाट नाला, नानराव घाट नाला आदि के गंदे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने का प्रकरण छावनी परिषद् कानपुर के क्षेत्रान्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

96-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[1 ले गुरुवार के अता0 प्रश्न सं0-57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर महानगर के शास्त्रीनगर टैम्पों स्टैण्ड से साकेतनगर तक नाली निर्माण कराये जाने की मांग

97-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के शास्त्री नगर टैम्पो स्टैण्ड से हनुमत व्यायामशाला होते हुए साकेत नगर की बाउन्ड्री तक नाली निर्माण से सम्बन्धित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-5 नं0-111474, दिनांक 8-8-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 1,21,600/-तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील रूधौली के गांव मझौवाकला में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

98-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रुधौली तहसील के मझौवाकला गांव में जल प्रदूषित होने के कारण डायरिया से दो मौतें हो चुकी हैं तथा अन्य गांव भी प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जल प्रदूषण को रोकने एवं ऐसे स्थानों को चिन्हित करके शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद-बस्ती के रूधौली तहसील के मझौवाकला में 14 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प लगे हैं। डायरिया से प्रभावित मरीजों के आस-पास के इण्डिया मार्क- II हैण्डपम्पों के पानी की जांच में पानी की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

99-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित कामाख्या देवी मन्दिर तथा अमौनी मठ जैसे अन्य दर्शनीय स्थलों के पर्यटन विकास के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-4-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की तहसील फरेन्दा में शुद्ध पेयजल हेतु योजना की जानकारी

100-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा जो बाढ़ प्रवाहित एवं जल जमाव का क्षेत्र है, में शुद्ध पेयजल हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद-महराजगंज की तहसील फरेन्दा में 05 पाइप पेयजल योजनाओं एवं 7539 नग अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम घरखेड़ा को जाने वाले सम्पर्क मार्ग को बनवाये जाने की मांग

101-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर के ददरौल ब्लाक के ग्राम घरखेड़ा को जाने वाले सम्पर्क मार्ग को पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में चयनित करके बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड ददरौल के ग्राम घरखेड़ा को जाने वाला सम्पर्क मार्ग खड़न्जा स्तर तक निर्मित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है और इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खड़न्जा मार्ग से जुड़ी हुयी बसावट को एकल सम्पर्कता के अन्तर्गत जुड़ा हुआ माना जाता है। अतः उक्त मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ के थाना आशियाना के पीछे पड़ी खाली जमीन पर अनधिकृत कूड़ा स्थल को खाली करवाये जाने की मांग

102-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में थाना आशियाना के पीछे गुरुद्वारा रोड पर पड़ी खाली जमीन पर नगर निगम द्वारा अवैध रूप से कूड़ा डालने के कारण फैलने वाली दुर्गन्ध से वहां के नागरिकों को आना जाना मुश्किल हो रहा है एवं बीमारियां फैलने का खतरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनधिकृत कूड़ा स्थल हटवाकर भूमि खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत खाली पड़ी भूमि पर नगर निगम द्वारा कूड़ा नहीं डाला जाता है। निजी रूप से कालोनी में लगे असमियों द्वारा घर से कूड़ा एकत्रित कर गन्दगी फैलाई जाती है जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय खाद्य एवं सफाई निरीक्षक से आख्या प्राप्त कर नगर निगम के पत्र संख्या 315/यू0एन0ए0-5 दिनांक 14-8-2012 द्वारा थानाध्यक्ष थाना आशियाना को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा स्थल पर फैली गन्दगी को हटवाकर सफाई कराई जा चुकी है। प्रश्नगत भूमि हर्बल गार्डेन के रूप में केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की भूमि है, जिन्हें उक्त भूमि की फैन्सिंग कराये जाने हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 25-10-2012 प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

103-श्री मनीष असीजा-

[1ले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में वैवाहिक कार्यक्रम आदि में फायरिंग की घटनाओं को रोकने के हेतु प्रभावी कार्यवाही

104-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कानूनी रूप से समारोहों में फायरिंग पर रोक होने के बाद भी व्यवहारिक रूप से अभी भी प्रायः कई समारोहों में खुलेआम फायरिंग होने से लोगों को जनहानि उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई ठोस कानून बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शादी विवाह, जन्मदिन, विजयी प्रदर्शनों, जुलूसों व लोक जमाव के स्थानों पर खुशी जाहिर करने के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग एवं फायरिंग की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु शासन के पत्र सं0-1172आर/छः-पु-5-2012, दिनांक 3-7-12 तथा हर्ष फायरिंग कर शस्त्रों का दुरुपयोग करने वाले शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलम्बित/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश शासनादेश सं0-1171 आर/6-पु-5-12 दिनांक 3-7-12 द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मायानगर मोहल्ले में जल निकासी की समस्या

105-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित मायानगर मोहल्ले की मायानगर महल वाली रोड पर स्थित मंदिर के सामने एक छोटा नाला जल निकासी हेतु खोल दिये जाने से दूसरे मोहल्लों का गन्दा पानी आने से जल भराव हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले के पानी की निकासी को बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नाले को बन्द किये जाने पर जल निकासी अवरुद्ध हो जाने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

लखनऊ के मायानगर मोहल्ले पोल में खराब स्ट्रीट लाइट लगवाने की व्यवस्था

106-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित मायानगर मोहल्ले की मायानगर महल वाली रोड पर लगे स्ट्रीट लाइट के कितने खम्भों की स्ट्रीट लाइट ठीक है तथा कितने

खम्भों की स्ट्रीट लाइट खराब है ? क्या सरकार खराब स्ट्रीट लाइटों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मायानगर मोहल्ले में मायानगर महल वाली रोड पर 10 संख्या में प्रकाश विन्दु लगे हैं। सभी प्रकाश विन्दु प्रज्वलित हैं।

सभी प्रकाश विन्दु प्रज्वलित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में शुद्ध पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्थापित करने की मांग

107-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रूधौली में रमजान के शुभ अवसरों पर शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु सरकार अतिरिक्त इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प 250 नग लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाता है। जनपद-बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों-रूधौली, रामनगर, सल्टौआ, गोपालपुर (आंशिक) तथा साऊघाट (आंशिक) की कुल आबादी 598051 में कुल 7194 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस तरह प्रति हैण्डपम्प लगभग 83 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। इस प्रकार भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

जनपद गाजियाबाद की ग्रामीण जनता को पेयजल की किल्लत से मुक्ति दिलाने का प्रयास

108-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की ग्रामीण जनता को पेयजल की किल्लत से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

वर्तमान में जनपद-गाजियाबाद के 18 ग्रामों की पाइप पेयजल योजनायें ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की 03 पाइप पेयजल योजनायें, सुठारी पेयजल योजना, भोजपुर पेयजल योजना एवं चिरोड़ी पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 400 नग नये/रि-बोर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के कतिपय इलाकों में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

109-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दोहरी घाट मधुवन मार्ग पर सोनवर्षा प्रधान मंत्री सड़क से होते हुए सोनवर्षा अनुसूचित बस्ती से शिवकुमार के घर होते हुए चन्द्रवारी चौहान बस्ती तक की सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 7.76 किलोमीटर है, पर गिट्टी डालकर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही उक्त मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोई कार्य कराया गया है।

प्रश्नगत मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आच्छादित न होने के कारण इसका निर्माण इस योजना के अन्तर्गत कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बेची गयी कालोनियों में अवस्थापना सेवायें ठीक करने की मांग

110-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बेची गयी कालोनी आशियाना, कानपुर रोड, योजना में सेक्टर एम में सड़क, सीवर, पार्क आदि अवस्थापना सेवायें नहीं हैं जबकि हाउस टैक्स एवं जलकर लगातार लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी की अवस्थापना सेवायें ठीक करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आशियाना कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एम में पेयजलापूर्ति हेतु दो नलकूप लगे हुये हैं जिससे सेक्टर-एम के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। कालोनी में सीवर लाइन पड़ी हुई है जिसकी सफाई नियमित रूप से कराई जाती है। सीवर के डिस्पोजल हेतु 3 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन भी कार्य कर रहे हैं। जलकल विभाग द्वारा कालोनी के निवासियों से जलकर लिया जाता है नगर निगम द्वारा सड़क एवं पार्क का कार्य देखा जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्र के गरीबों के परिवारों को आवास की व्यवस्था

111-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी क्षेत्र के गरीबों को आवास देने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या अन्त्योदय व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये आवास की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। प्रदेश के नगरीय निकायों की मलिन बस्तियों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में रहने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में नई ''आसरा'' आवासीय भवन योजना आरम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत पात्र शहरी गरीबों को आवासीय भवन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त योजना चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ की गई है। योजना का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के नन्दौर पट्टी से काठतरॉव तक क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

112-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत नन्दौर चट्टी से काठतरॉव तक पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद-मऊ के विकास खण्ड-फतेहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत नन्दौर चट्टी से काठतरॉव तक किसी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। अपितु जनपद-मऊ के विकास खण्ड-फतेहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत नन्दौर चट्टी से मुस्तफाबाद तक नहर की पटरी पर 9.45 किलीमीटर मार्ग का निर्माण कराया गया है जो वर्ष 2008-09 में पूर्ण हुआ है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के निर्माणोपरान्त 05 वर्ष तक उनके अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित

ठेकेदार का है तथा इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से धनराशि की व्यवस्था की जाती है। तत्क्रम में जनपद-मऊ के विकास खण्ड-फतेहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत नन्दौर चट्टी से मुस्तफाबाद तक निर्मित मार्ग 05 वर्ष की सीमा के अन्तर्गत होने के दृष्टिगत उक्त मार्ग में वर्षा के कारण कुछ किलोमीटर में हुये पैचेज को भर दिया गया है।

योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में निर्मित मार्गों का पुनर्निर्माण कराया जाना अनुमन्य नहीं है।

113-श्री सुरेश राणा-

[2सरे बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना होने व मृतक को पोस्टमार्टम हाउस ले जाने आदि के लिये व्यवस्था किये जाने का विवरण

114-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना आदि से होने वाली मौत के बाद मृतक को घटना स्थल से पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने और वापस लाने के लिए कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। शवों को मर्यादित तरीके से पोस्टमार्टम एवं अन्तिम संस्कार हेतु ले जाने के लिये लावारिश शवों के निस्तारण हेतु रु0 2700/-प्रति लावारिश लाश हेतु व्यवस्था की गयी है, जिसमें मृतक को घटना स्थल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाने व मरघट/कब्रिस्तान ले जाने हेतु प्रति शव रु0 400/-किराये हेतु व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। जिन जनपदों में शासकीय वाहन उपलब्ध हैं वहां पर यथा सम्भव शवों को ढोने के लिये शव वाहन का ही प्रयोग किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पानी की समस्या के निराकरण के उपाय

115-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्पों द्वारा पानी देना बन्द होने से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए सभी ग्राम सभाओं में सरकार पानी की टंकी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-कौशाम्बी में सिराथू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 31 गांवों में पाइप पेयजल योजना एवं 7205 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

यहां के भूजल स्तर को देखते हुये नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं रिबोर योग्य हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग अधिक गहराई पर की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक प्रदेश के 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर छावनी क्षेत्र के खम्भों में समुचित प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की मांग

116-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा जनपद कानपुर नगर छावनी के क्षेत्रों में कई खम्भों पर प्रकाश की व्यवस्था न होने से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा इन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति भी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन खम्भों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद कानपुर नगर स्थित छावनी क्षेत्र नगर निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। प्रश्नगत कार्य छावनी परिषद, कानपुर से सम्बन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर के राजेन्द्र नगर में वृन्दावन कालोनी की सड़क पर गली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

117-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के राजेन्द्र नगर में वृन्दावन कालोनी के गेट से हरिराम के बाग तक सड़क एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0-111474, दिनांक 8-8-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 1,14,400/-तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के चित्रगुप्त नगर वृन्दावन कालोनी के पीछे सी0सी0 रोड एवं गली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

118-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के चित्रगुप्त नगर वृन्दावन कालोनी के पीछे सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0-111474, दिनांक 8-8-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कर आगणन धनांक रु0 27,21,000/-तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की तहसीलों में न्यायालय की स्थापना

119-श्री अगयश रामसरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित हो चुका है ? क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन तहसीलों में उक्त न्यायालय स्थापित होना शेष है तथा कब तक शेष तहसीलों में न्यायालय स्थापित हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में तहसीलों के मुख्यालय स्तर पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु सम्बन्धित बार एसोसियेशन आदि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यायालय की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर न्यायालय की स्थापना हेतु शासन द्वारा अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रदेश में व्यावसायिक शस्त्र लाइसेंसों के निरस्तीकरण से सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

120-श्री अगयश रामसरन वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार के अता0प्र0सं0-31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित व्यावसायिक शस्त्र लाइसेंसों के निरस्तीकरण से सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है तथा विलम्ब के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के कृष्णा नदी के निकट गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना

121-श्री सुरेश राणा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली (प्रबुद्धनगर) में थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के मध्य से बह रही कृष्णा नदी से हो रहे भयंकर जल प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए क्या नदी के पास गांवों में सरकार स्वच्छ पेयजल हेतु टंकियों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र-थाना भवन के मध्य से बह रही कृष्णा नदी के किनारे स्थित चंदेनामाल व कैंडी ग्रामों में पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक समस्त ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के देहात थाना भवन का निर्माण

122-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ शहर में हापुड़ देहात थाना का भवन बन गया है ? यदि नहीं, तो थाने के भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

थाना हापुड़ देहात के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रु0 44.82 लाख का व्ययभार अनुमानित है। थाना के प्रशासनिक भवन का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के जी0पी0ओ0 के सामने चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था

123-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित जी0पी0ओ0 के सामने बने चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस न होने के कारण काफी जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था स्थाई रूप से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ नगर स्थित जी0पी0ओ0 के सामने बने चौराहे पर दो शिफ्टों में 02 आरक्षियों की ड्यूटी तथा हजरतगंज से कैपिटल सिनेमाघर के बीच सड़क पर यातायात व्यवस्था हेतु 01 मुख्य आरक्षी लगातार ड्यूटी में तैनात रहते हैं, जिससे सामान्यतया यातायात जाम की समस्या नहीं रहती है।

उक्त स्थान पर प्रमुख मार्ग कुछ संकरा है। वहीं पास में रोडवेज व सिटी बसों का ठहराव (स्टापेज) भी है। इन कारणों से कभी-कभी व्यवस्त समय में यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर यातायात धीमी गति से संचालित होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में ओवर हेड टैंक का निर्माण

124-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत कितने ओवरहेड टैंकों का निर्माण कराया गया है तथा कितने ओवरहेड टैंक बनने शेष हैं ? क्या सरकार शेष ओवरहेड टैंकों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत 10 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में कुल 11 नग ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया जा चुका है। वर्तमान में स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष कोई भी ओवर हेड टेंक बनाया जाना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जाति के पुलिस अधिकारियों की तैनाती

125-श्री फेरन लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में आरक्षण के मुताबिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के एस0एच0ओ0 तथा एस0ओ0 कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जाति के अधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद ललितपुर में वर्तमान में 16 थाने हैं। आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जाति के 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के 02 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार जनपद में अनुसूचित जाति के कुल 03 एस0एच0ओ0/एस0ओ0 नियुक्त होने चाहिये। वर्तमान में अनुसूचित जाति के कुल 03 एस0एच0ओ0/एस0ओ0 जनपद ललितपुर में नियुक्त हैं।

अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के आधार पर कार्मिक की संख्या 0.5 से भी कम आती है। तद्नुरूप अनुसूचित जनजाति के किसी भी कार्मिक की नियुक्ति एस0एच0ओ0/एस0ओ0 के पद पर होना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की जगदीशपुरा मलित बस्ती के गड्ढे को पाटने की मांग

126-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदीशपुरा मलिन बस्ती आगरा के मध्य में चार एकड़ क्षेत्रफल में बने 20 फुट गहरे गड्ढे में गन्दा पानी एवं सिल्ट पड़ी होने से आये दिन वहां दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गड्ढे को पाटकर गन्दगी से निजात दिलाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, गड्ढ़ा है जिसमें पानी भर जाता है लेकिन दुर्घटना की कोई सूचना नहीं है।

जी नहीं, यह निजी सम्पत्ति है।

इस गड्ढे में पास की बस्तियों का पानी जमा होता है। इस भूमि का स्वामित्व निजी होने के कारण इसको पाटा नहीं जा सकता है। नगर निगम द्वारा पम्पों के माध्यम से इस गड्ढे में जमा होने वाले पानी को समीपवर्ती नाले में डालकर निकाल दिया जाता है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना नहीं रहती है।

127-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के ब्लाक फतेहपुर मड़ाव की ग्राम सभा लउवा में कच्ची शराब के कारोबार को बन्द कराये जाने की मांग

128-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतेहपुर मड़ाव के ग्राम सभा लउवा साथ में प्रेमशंकर पुत्र खखलू, साहब दयाल पुत्र पप्पन, बनवारी, बाबूराम पुत्रगण दशरथ, सूर्यभान पुत्र किशोर आदि द्वारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब का कारोबार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध शराब के कारोबार को बन्द कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के स्थानीय पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है तथा समय-समय पर अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चला कर शराब बनाने वाले करोबारियों के यहां दबिश डाली जा रही है। दिनांक 17-10-2012 को दविश दी गई तो बाबूराम पुत्र दशरथ यादव, ग्राम-लौवासाथ, थाना मधुवन के यहां से 15 ड्रम तथा 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई।

जी हां।

बाबूराम पुत्र दशरथ यादव, ग्राम लौवासाथ, थाना-मधुवन के यहां से 15 ड्रम तथा 15 लीटर अवैध देशी शराब बरामद होने के प्रकरण में थाना-मधुवन में मु0अ0सं0-663/2012, धारा-60(2) आबकारी, अधिनियम पंजीकृत विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

129-श्री उमेश पाण्डेय-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर महानगर के मोहल्ला बजरंगनगर में सड़क एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

130-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के मोहल्ला बजरंग नगर, गोरखनाथ में सड़क एवं नाली निर्माण विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-5 नं0-111474, दिनांक 8-8-12 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण कर आगणन धनांक रु0 11.78 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के बरगदवा चौराहे पर धर्मराज चौहान के यहां चक्की के पास सड़क एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

131-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के बरगदवा चौराहे से पश्चिम धर्मराज चौहान के आटा की चक्की के बगल के रास्ते पर सड़क एवं नाली निर्माण विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0-111474, दिनांक 8-8-12 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कर आगणन धनांक रु0 3,88,000/-तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

132-श्री जय प्रकाश निषाद-

[2सरे बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के ग्राम खरगापुर के गुरुकुल विद्यापीठ के रास्ते पर प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने की मांग

133-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के ग्राम खरगापुर में कामाख्या धाम मन्दिर से गुरूकुल विद्यापीठ होते हुए रामजानकी मंदिर लेन (कौशलपुरी कालोनी) में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण आये दिन चोरियां व दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा में शामिल नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा में शामिल न होने के कारण नगर निगम द्वारा प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में पूर्व विधायकों की भांति उनकी विधवाओं को पेंशन दिये जाने का विचाराधीन प्रकरण

134-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी पूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

सभी पूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

कोई तिथि या समय निश्चित किया जाना संभव नहीं है।

गोरखपुर महानगर के मोहद्दीपुर में कतिपय सुविधाओं को पूर्ण करने की मांग

135-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के मोहद्दीपुर में श्री चन्द्रभान के घर से श्री विन्ध्याचल के घर तक एवं राजेन्द्र नगर पूर्वी में सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट के निर्माण विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0-111474, दिनांक 8-8-12 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण कराकर आगणन धनांक रु0 67,841/- तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्राम्य विकास अभिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार की भांति सेवानिवृत्त आयु बढ़ाये जाने की मांग

136-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु, सेवा शर्तों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समान किये जाने की विधिक व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 58 वर्ष में ही सेवानिवृत्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इनकी भी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी ऐक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इनके कार्मिक राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

प्रदेश के छोटे नगरों/शहरों के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने की नीति सम्बन्धी जानकारी

137-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छोटे नगरों/शहरों के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराने की क्या नीति है ? क्या सरकार शाहजहांपुर नगर के सुभाषनगर मोहल्ले की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

प्रदेश की स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। छोटे नगरों/शहरों के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराने के सम्बन्ध में निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर ऐसे मार्गों को चिन्हित करते हुए तदुपरान्त बोर्ड प्रस्ताव पारित कर धन की उपलब्धता के आधार पर वरीयता के क्रम में मरम्मत करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में अपराधों की रोकथाम के उपाय

138-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद में दिनांक 16-03-12 से दिनांक 31-10-12 तक घटित अपराधों के परिप्रेक्ष्य में कृत समीक्षा के आधार पर तुलनात्मक रूप से इस वर्ष अपराधों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। समस्त थानों पर सुसंगत धारा में अपराध पंजीकृत कराये जाते हैं। वांछित अभियुक्तों एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु नियमित दविशें दी जा रहीं हैं। गुण्डा एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। समय-समय पर पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन बरेली, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, व पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपराध एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। अपराध स्थिति नियंत्रण में है।

139-श्री सुरेश राणा-

[1ले मंगलवार के अता0प्रश्न सं0-102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

140-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1ले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

141-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1ले मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0-119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कौशाम्बी में प्रेस क्लब कार्यालय हेतु भूमि दिये जाने की मांग

142-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में प्रेस क्लब कार्यालय के लिये भूमि दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक प्रमुख निगोही की श्रीमती सरोज कुमारी गौतम आदि के समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज पर कार्यवाही की मांग

143-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-08-12 को श्रीमती सरोज कुमारी गौतम, ब्लाक प्रमुख निगोही, शाहजहांपुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में ब्लाक प्रमुख निगोही एवं उनके पति महेश गौतम व बी0डी0सी0 सदस्य श्री श्याम नारायण मिश्र व अन्य समर्थकों पर पुलिस द्वारा की गई लाठी चार्ज के सम्बन्ध में श्रीमती सरोज कुमारी गौतम द्वारा थाना निगोही में दिनांक 24-08-12 को तहरीर दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

दिनांक 24-08-12 को श्रीमती सरोज कुमारी गौतम द्वारा थाना हाजा पर कोई तहरीर अथवा प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया था, बल्कि थाना हाजा पर दिनांक 24-08-12 को सरकारी कार्य निर्वहन में बाधा डालने, चोट पहुंचाने तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने के बावत श्रीमती सरोज कुमारी गौतम आदि 07 नामित तथा 60-70 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध मु0अ0सं0-349/12 धारा-147/148/186/188/152/332/353/504 भा0दं0वि0 व क्रि0लॉ0 अधिनियम को अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो सम्प्रति विवेचनाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ शहर में सुरेन्द्र नगर पानी की टंकी की क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

144-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में सुरेन्द्र नगर तिराहे से सुरेन्द्र नगर पानी की टंकी तक रोड क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

नगर निगम अलीगढ़ के कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त व धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

145-श्री पूरन प्रकाश-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा के मानसी गंगा के जल को शुद्ध बनाये रखने की योजना सम्बन्धी जानकारी

146-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज की तलहटी में मानसी गंगा के जल को शुद्ध बनाये रखने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो, क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

मानसी गंगा के जल को शुद्ध बनाये रखने हेतु ''मानसी गंगा प्रदूषण नियंत्रण एवं पुनरोद्धार योजना'' राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत मानसी गंगा लेक के जल को निकाल कर तलहटी से सिल्ट की सफाई तथा गोवर्धन नगर का प्रदूषित जल पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से शोधन हेतु एस0टी0पी0 पर भेजने की व्यवस्था है। पानी की स्वच्छता का स्तर बनाये रखने हेतु 03 नग नये ट्यूबवेल मीठे जल के श्रोत से प्रतिदिन मानसी गंगा लेक में ताजा पानी प्रवाहित करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त नगर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य, घाटों की मरम्मत, शौचालयों का निर्माण कार्य, रफनिंग फिल्टर के भी कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के ग्रामों के पात्र एवं अर्ह निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

147-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के पात्र व अर्ह विधवाओं को पेंशन प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-5 नं0 138665/1042, दिनांक 19-08-12 क्षेत्र पंचायत अधिकारी पयागपुर, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-08-12 के क्रम में विकास खण्ड कार्यालय पयागपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-621 दिनांक 23-08-12 के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पात्र एवं अर्ह निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का प्रस्ताव

ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में चार आवेदन प्राप्त हुए है, जिन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी बहराइच को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर के सुलभ शौचालय व पेशाबघर की सफाई की व्यवस्था

148-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में कुल कितने सुलभ शौचालय व पेशाबघर हैं ? क्या सरकार किसी संस्था की देख-रेख में सफाई इत्यादि के लिये कोई विशेष व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

शाहजहांपुर नगर में 02 सुलभ शौचालय व 10 पेशाबघर हैं।

सुलभ शौचालयों की सफाई सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन द्वारा तथा पेशाबघरों की सफाई नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर द्वारा निरंतर कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने हेतु दिशा निर्देश

149-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस हेतु चरित्र प्रमाणित करने के सम्बन्ध में विधायकों के शपथ-पत्र के साथ आवेदकों को प्रार्थना-पत्र जमा करने का निर्देश/आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो विधायकों से शपथ-पत्र लिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार आवेदकों के प्रार्थना-पत्र के साथ मा0 सदस्यों से शपथ-पत्र न लेने हेतु प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 31-03-2010 को शासन द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों के अनुपालन हेतु दिनांक 27-04-2010 को प्रेषित किया गया है। शस्त्र लाइसेंसों के निस्तारण के संबंध में निर्गत उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पुनः शासन के पत्र संख्या-1189 आर/छ-पु-5-2012, दिनांक 12-07-2012 द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में राजटोला से घोसीपुरवा तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

150-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के राजभर टोला से घोसीपुरवा रेलवे क्रासिंग तक सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण से सम्बन्धित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र प्राईवेट कालोनी है। नगर निगम स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर के महावीरपुरम् मोहल्ले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

151-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0-19 में महावीरपुरम् मोहल्ले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं जल जमाव दूर करने विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कर आगणन धनांक रु0 28.34 लाख तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

152-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1ले मंगलवार के अता0प्रश्न सं0-120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद की अनेकों ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास व शौचालय निर्माण में पुरानी ईंटों के प्रयोग का कथित प्रकरण

153-श्री सन्त प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम पंचायत सिकटिहा, जैतीखेड़ा, सराय यूसुफ, उनसिया, सिपाह, खपूरा, रामपुर एवं जवाहरपुर में वर्ष 2010 से 2012 तक बने इन्दिरा आवासों तथा शौचालयों के निर्माण में खड़न्जे की पुरानी ईंटों का प्रयोग किया गया है तथा कुछ आवास बनाये ही नहीं गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां। ग्राम पंचायत सिकटिहा, जैती खेड़ा, सराय यूसुफ, उनसिया, सिपाह, खपूरा, रामपुर एवं जवाहरपुर में वर्ष 2010 से 2012 तक बने इन्दिरा आवासों तथा शौचालयों के निर्माण में खड़न्जे की पुरानी ईटों का प्रयोग नहीं किया गया। आवासों के सत्यापन के आधार पर 172 आवासों के सापेक्ष 157 आवास पूर्ण तथा 15 आवास निर्माणाधीन पाये गये। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु लाभार्थी स्वयं उत्तरदायी है। निर्माणाधीन आवासों से संबंधित 15 लाभार्थियों को आवास पूर्ण किये जाने हेतु नोटिस तामिल करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

154-श्री रमेश चन्द्र-

[1ले शुक्रवार के अता0प्रश्न सं0-69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

155-श्री रमेश चन्द्र-

[1ले शुक्रवार के अता0प्रश्न सं0-70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0 19 में सी0सी0 रोड बनवाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

156-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0-19 में मस्जिद के सामने अतीक अहमद के मकान से चुन्नू खां के मकान तक नाली बनवाने एवं नथमदपुर में बंटी शामियाना हाउस से लेकर बजरंगनगर पार्क तक सी0सी0 रोड बनवाने विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक-क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड नं0 19 में मस्जिद के सामने अतीक अहमद के मकान से चुन्नू खां के मकान तक नाली बनवाने एवं नथमदपुर में बंटी शामियाना हाउस से लेकर बजरंगनगर पार्क तक सी0सी0 रोड बनवाने हेतु क्रमशः आगणन धनांक रु0 1,50,000/- एवं 11,78,000/- तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

157-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[1ले गुरुवार के अता0प्रश्न सं0-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ग्राम महमदपुर कफारा में मिट्टी का कार्य कराये जाने की मांग

158-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ग्राम महमदपुर कफारा में पुलिया के पास मिट्टी का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

दिनांक 31 मार्च, 2013 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियमावली के अनुसार स्थाई पदों पर भरे जाने का प्रावधान

159-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1974 में चयनित लगभग 150 अवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो क्या उन सहायकों को अवर वर्ग सहायक पद पर स्थाई किया गया ? क्या यह सही है कि वर्ष 1974 में चयनित सहायकों को बिना अवर वर्ग सहायक के पद पर स्थाई किये नियमों को शिथिल करके प्रवर वर्ग सहायक पद पर स्थाई कर दिया गया है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

उ0प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 के नियम-21 में प्रवर वर्ग सहायक के 33 प्रतिशत पद पोषक संवर्ग के कतिपय अन्य पदों के साथ स्थायी अवर वर्ग सहायकों से भरे जाने का प्राविधान था। उ0प्र0 सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990 के नियम-4(1) में स्थानापन्न पदोन्नतियों के विनियमितीकरण के संबंध में यह प्राविधान किया गया कि आयोग द्वारा अवर वर्ग सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो और तत्पश्चात् दि0 1-04-1989 के पूर्व प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न हैसियत में पदोन्नत किया गया हो और इस रूप में निरन्तर कार्यरत हो। इस प्रकार उक्त नियमावली, 1990 में किये गये प्राविधान से प्रवर वर्ग सहायक पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत कार्मिकों को उक्त पद पर विनियमित किये जाने हेतु अवर वर्ग सहायक के पद पर स्थायी होने की अनिवार्यता नहीं रह गई थी। वर्ष 1974 में लोक सेवा आयोग से अवर वर्ग सहायक के पद पर चयनित कार्मिकों को उक्त नियमावली, 1990 के नियम-4(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवर वर्ग सहायक के पद पर दिनांक 23-7-90 को विनियमित किया गया।

लखनऊ के शिवानी विहार कालोनी कल्याणपुर की समस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

160-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी विहार कालोनी, कल्याणपुर, लखनऊ की समस्त सड़कें सीवर लाइन डालने हेतु खोदी गई थीं तथा मरम्मत कराने के बाद आंशिक/पूर्णतः धंस गई हैं ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत/निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सड़क में मेनहोल बाद में बनाये जाने के कारण मेनहोल के पास कहीं-कहीं पर सड़क धंस गई है, जिस पर कच्चा पैच कराकर आवागमन सुचारू कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

161-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[2सरे बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल में पात्र एवं अर्ह निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

162-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल में पात्र एवं अर्ह निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0/नं0 138669/1048, दिनांक 19-08-12 खण्ड विकास अधिकारी, जरवल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-08-12 के क्रम में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी जरवल द्वारा ग्राम पंचायत देवीदासपुर के 5 लाभार्थियों के आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी बहराइच को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति का प्रतिशत

163-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पुलिस विभाग में पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति का प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार पुरुष तथा महिला पुलिस कर्मियों के बीच के अन्तर को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 राज्याधीन सेवाओं में शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2-99 दिनांक 26-02-1999 द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में रिक्त के 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। पुलिस विभाग के कार्यकारी बल में उप निरीक्षक ना0पु0 एवं आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती होती है। उप निरीक्षक ना0 पु0 एवं आरक्षी के पद पर भर्ती में उपरोक्त शासनादेश के अनुसार 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर में पेयजल समस्या के निदान के उपाय

164-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में 400 फीट से नीचे खारा पानी होने तथा 400 फीट से ऊपर न्यूनतम जल स्तर होने से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु डीप बोर लगभग 2000 फीट की बोरिंग करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

फिरोजाबाद नगर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा नलकूप के लिए किये गये 220 मी0 (720 फिट) के ट्रायल बोर में खारा पानी पाया गया।

फिरोजाबाद नगर में 600 मी0 (2000 फिट) गहरी बोरिंग कराने के लिए केन्द्रीय भू-गर्भ सर्वेक्षण बोर्ड, लखनऊ को प्रकरण दिनांक 17-11-2012 को सन्दर्भित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही संभव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर नगर की बस्तियों एवं मजरे के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिये जाने की मांग

165-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में सुमेरपुर नगर से सटी बस्तियों एवं मजरे के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या इन बस्तियों व मजरों को नगर सीमा विस्तार में जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड हजूरपुर के ग्रामों में पात्र निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन प्रदान करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

166-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड हजूरपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के पात्र निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/ क-एस0/नं0 138667/1044, दिनांक 19-08-12 खण्ड विकास अधिकारी, हजूरपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-08-12 के क्रम में विकास खण्ड कार्यालय हजूरपुर द्वारा अपने पत्र सं0-673, दिनांक 26-08-12 के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पात्र निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में अभी तक कोई प्रस्ताव/आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के ग्रीनसिटी से रामपुर नये गांव में खड़ंजे लगाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

167-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के ग्रीनसिटी से रामपुर नये गांव के मार्ग के दाहिनी तरफ के खड़ंजे को बनाये जाने विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कराया गया। उक्त मार्ग पर वर्तमान में इण्टरलॉकिंग ब्लाक से फ्लोरिंग का कार्य हुआ है जो वर्तमान में ठीक हालत में है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0 19 में सड़क तथा नाली बनाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

168-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के वार्ड नं0 19 नकहा नं0 1 में नई बस्ती गांधी नगर की सड़क और नाली बनाये जाने विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111474, दिनांक 08-08-12 नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य स्थल का निरीक्षण कराया गया। प्रश्नगत क्षेत्र निजी कालोनी का है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिक्का में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

169-श्री सुरेश राणा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिक्का, ब्लाक-शामली का जल पूरी तरह दूषित हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त गांव में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के ग्राम सिक्का में द्वितीय स्ट्रेटा का पानी पूर्णतया शुद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

170-श्री रामहेत भारती-

[1ले मंगलवार के अता0प्रश्न सं0-121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

171-श्री रामहेत भारती-

[1ले मंगलवार के अता0प्रश्न सं0-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी बनाकर सप्लाई पाइप की स्वजल धारा स्कीम अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के अनेकों ग्रामों में स्कीम लागू करने की मांग

172-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के सहयोग से चल रही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी बनाकर पाइप सप्लाई की स्वजल धारा स्कीम शाहजहांपुर के ददरौल ब्लाक व भावलखेड़ा में रुकी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार चयनित ग्रामों टिकरी, नियामनपुर, घुसगवां का प्रस्ताव जिलों से मंगवाकर ददरौल तथा भावलखेड़ा ब्लाक में उक्त स्कीम चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-ददरौल एवं भावलखेड़ा के क्रमशः 02 एवं 05 ग्राम पंचायतों में भारत सरकार के सहयोग से स्वजलधारा स्कीम के अन्तर्गत सामुदायिक मांग व सहभागिता आधारित प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

विकास खण्ड ददरौल की ग्राम पंचायत टिकरी एवं घुसगवां एवं विकास खण्ड भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत नियामनपुर में स्वजलधारा स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित पेयजल योजना में से ग्राम पंचायत टिकरी की पेयजल योजना पूर्ण की जा चुकी है। अवशेष ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्धारित नगद अंशदान समुदाय द्वारा जमा न किये जाने के कारण उक्त स्कीम पर कार्य शुरू नहीं कराये जा सके।

उक्त स्वजलधारा कार्यक्रम एक समय विशेष तक प्रचलित था। वर्तमान में स्वजलधारा कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रचलित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश के 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की कार्य योजना बनाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के धर्मस्थलों को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराये जाने की मांग

173-श्री सुरेश राणा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आध्यात्मिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाले धर्मस्थलों तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के थानाभवन नगर में कस्बे से लेकर कचौरीनाथ मन्दिर तक डूडा द्वारा जर्जर सड़क का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग की संचालित योजनाओं से आच्छादित न होने के कारण।

जनपद हमीरपुर के नगर क्षेत्र के जेल तालाब के पास स्थित नाले का निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने की मांग

174-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद के नगर क्षेत्र के अन्दर जेल तालाब के पास स्थित बड़ा नाला के गन्दे पानी से निकटवर्ती मोहल्लों में गन्दगी एवं मकानों में दरारें पड़ गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाला का निर्माण/मरम्मत कराकर पानी निकालने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद हमीरपुर के नगर क्षेत्रान्तर्गत जेल तालाब के पास बड़े नाला नगर की बस्ती से होते हुये बड़े देव बाबा के नाले तक ह्यूम पाइप डालकर 32-33 वर्षों पूर्व में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 मौदहा बांध हमीरपुर द्वारा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि ह्यूम पाइप की लाइफ समाप्त हो चुकी हैं, जिसके कारण बस्ती में दो बार जल भराव हुआ, जिसका निस्तारण अधिशासी अभियन्ता, मौदहा बांध द्वारा कराया गया।

समस्या के तात्कालिक निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा समस्या के स्थायी समाधान हेतु समुचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-4536/नौ-5-12-74 एक्यू/2012, दिनांक 22-11-2012 द्वारा जिलाधिकारी, हमीरपुर को निर्देशित किया जा चुका है। प्रस्ताव प्राप्त होने तथा धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

175-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1ले बुधवार के अता0प्रश्न सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजियाबाद में विधायक कोटे से स्वीकृत हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने की मांग

176-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2007 से दिनांक 05-09-2012 तक विधायक कोटे से स्वीकृत/अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का विवरण क्या है तथा कितने अधिष्ठापित किये जाने शेष हैं ? शेष हैण्डपम्पों को कब तक अधिष्ठापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2007 से दिनांक 05-09-2012 तक विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत 230 नग हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं तथा स्वीकृत उक्त समस्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। अधिष्ठापित किये गये उक्त हैण्डपम्पों से सम्बन्धित विवरण विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकित किये जा सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार आवंटित धनराशि एवं जाब कार्ड धारकों का विवरण

177-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 से दिनांक 5-9-12 तक ग्राम पंचायतवार कुल कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने जॉब कार्ड धारकों (पुरुष/महिला) को रोजगार दिया गया है ? क्या सरकार उसका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गाजियाबाद में मनरेगा योजना दिनांक 01-04-2008 से लागू होने के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 में ग्राम पंचायतों को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। वर्ष 2008-09 से दिनांक 05-09-2012 तक ग्राम पंचायतवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2007-08 से दिनांक 05-09-12 तक कुल आवंटित धनराशि (रु0 में)
1	2
1. अगरौला	558700.00
2. अफजलपुर	279500.00
3. असालतपुर फरूखनगर	503000.00
4. औरंगाबाद रिस्तल	61800.00
5. कोतवालपुर	137000.00
6. खानपुर जप्ती	708400.00
7. खोडा	25000.00
8. चिरौडी	332500.00
9. जाफराबाद गनौली	109400.00
10. शरफुद्दीनपुर जावली	95800.00

11. टीला शहबाजपुर	25000.00
12. नसरताबाद खडखडी	25000.00
13. नानू	1126400.00
14. निठौरा	0
15. निस्तौली	1013000.00
16. पचायरा	125000.00
17. भनेडा खुर्द	396100.00
18. बदरपुर	308000.00
19. बन्थला	67000.00
20. बादशाहपुर सिरौली	521800.00
21. भूपखेडी	263900.00
22. मण्डौला	335000.00
23. मेवला भट्टी	431700.00
24. महमूदपुर	50000.00
25. मीरपुर हिन्दू	375000.00
26. शकलपुरा	62700.00
27. शरीफाबाद राजपुर	35000.00
28. सिखरानी	25000.00
29. सिरौरा सलेमपुर	105000.00

वर्ष 2007-08 से दिनांक 05-09-2012 तक 445 जाब कार्ड धारकों (345 पुरुष एवं 100 महिला) को रोजगार दिया गया है।

विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	कुल परिवार	पुरुष	महिला
1	2007-08	0	0	0
2	2008-09	95	77	18
3	2009-10	68	58	10
4	2010-11	110	85	25
5	2011-12	164	119	45
6	2012-13 (5-9-12 तक)	8	6	2
	कुल योग-	445	345	100

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की ग्राम पंचायत निगोही में पटरी दुकानदारों से अवैध वसूली की जांच

178-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की ग्राम पंचायत निगोही में पटरी दुकानदारों से पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जा रही है एवं वसूली न देने पर अतिक्रमण के नाम पर धारा-288 के अन्तर्गत उनका चालान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, जनपद शाहजहांपुर के कस्बा निगोही क्षेत्र में किसी भी पटरी दुकानदारों का चालान 288 भा0द0वि0 के अन्तर्गत नहीं किया गया, बल्कि रास्तों पर मूंगफली, केला, पकौड़ी के ठेले लगा कर मार्ग अवरूद्ध करने वाले तथा आम रास्ते व सड़क पर टैम्पों, घोड़ा, तांगा खड़ा करने वालों को कहने पर भी न हटाने वाले व्यक्तियों का चालान धारा-290 भा0द0वि0 के अन्तर्गत किया गया है और किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पांच बड़े नालों की सफाई कराये जाने की मांग

179-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी क्लास शहरों में नालों की सफाई की नीति क्या है ? क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर के पांच बड़े नाले यथा भारतद्वाजी वाला नाला, अंटा चौराहा वाला नाला, शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला, रोडवेज बस स्टेशन मो0 वाडजेई वाला नाला एवं भोलागंज के पूर्व वाला नाला की तलीझाड़ सफाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश की स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। निकायों द्वारा 'पब्लिक हेल्थ मैनुअल' एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के ग्रामों में पाइप पेयजल योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग

180-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के तृतीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-14 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर, शिवदहा व सोहरियावां तथा विकास खण्ड जरवल के ग्राम बिराहिमपुर,

बिल्हौरा में पाइप वाटर पेयजल योजना को पूरा करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के 02 ग्राम पंचायतों नामतः पयागपुर एवं सोहरियावां में पाइप पेयजल योजना के प्राक्कलन विरचन के कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम शिवदहन एवं विकास खण्ड जरवल के बिराहिमपुर बिल्हौरा में पाइप पेयजल योजना हेतु आवश्यक भूमि अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी है।

जनपद मऊ के थाना मधुबन के ग्रामों में अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

181-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के थाना मधुबन अन्तर्गत ग्राम सभा लउवासाथ व इसके आस-पास के गांवों में अवैध रूप से शराब बनाने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध भट्ठियां हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के थाना मधुबन अंतर्गत ग्राम सभा लौवासाथ व इसके आस-पास के गांव में चोरी से अवैध रूप से शराब बनाने की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी।

जनपद मऊ के थाना मधुबन अंतर्गत ग्राम सभा लौवासाथ व इसके आस-पास के गांव में चोरी से अवैध रूप से शराब बनाने वाले 41 अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई है तथा उनके कब्जे से प्राप्त गैलन/ड्रम को नष्ट करते हुए उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही अंतर्गत धारा-60(2) एक्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अवैध रूप से शराब न बनने पाये इस ओर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में कानपुर रोड के सेक्टर जी में कूड़े से बन्द नाली को खुलवाये जाने की मांग

182-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कानपुर रोड के सेक्टर जी में बड़े पैमाने पर ग्रीन बेल्ट के किनारे निर्मित आवासों के आस-पास गन्दगी रहती है एवं ग्रीन बेल्ट के निकट (एक्टीवीटी सेन्टर के सामने मेनगेट पर) निकली कालोनी की चौड़ी नाली पर कूड़ा डालकर नाली को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नाली को खुलवाने व साफ कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

वार्ड में उपलब्ध कर्मचारियों से सप्ताह में दो दिन सफाई कार्य कराया जाता है। नाली बन्द नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज के ग्रामों में पात्र अर्ह निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन देने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

183-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज के ग्रामों में पात्र एवं अर्ह निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0 नं0-138668/1045, दिनांक 19-8-12 खण्ड विकास अधिकारी, कैसरगंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-08-12 के क्रम में विकास खण्ड कार्यालय कैसरगंज द्वारा अपने पत्र सं0-459, दिनांक 24-08-12 के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पात्र निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में 50 लाभार्थियों के प्रस्ताव/आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। जिन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी बहराइच को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के निर्मल ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत में पाइप वाटर योजना को पूरा करने की मांग

184-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के तृतीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-23 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत निर्मल ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत सेमरौना की पाइप वाटर पेयजल योजना को पूरा करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत निर्मल ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत सेमरौना में पाइप पेयजल योजना के प्राक्कलन विरचन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत सरकार के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के ग्रामों में निर्मित पानी की टंकियों द्वारा पानी सप्लाई कराये जाने की मांग

185-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के ग्रामों में निर्मित पानी की टंकियों द्वारा आज तक पानी सप्लाई न होने से ग्रामीणों को अत्यन्त कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के 82 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित 37 पाइप पेयजल योजनाएं 43 टंकियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। एक योजना का नलकूप बन्द होने तथा पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण संप्रति 11 ग्रामों में जलापूर्ति उक्त योजना के माध्यम से नहीं हो पा रही है और उक्त ग्रामों में इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्पों से पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। इस प्रकार जलापूर्ति के दृष्टिगत उक्त विधान सभा क्षेत्र में विशेष कठिनाई नहीं है।

क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने तथा नलकूप को चालू करने हेतु मोटर लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण होने के पश्चात् पुनः 11 ग्रामों में जलापूर्ति टंकियों के माध्यम से प्रारम्भ हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में जल आर्सेनिक की मात्रा की जांच कराये जाने की मांग

186-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से दूषित जल पीने के कारण क्षेत्र में दिमागी बुखार से कई मौतें हुयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जल में आर्सेनिक की मात्रा की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन के समस्त आर्सेनिक प्रभावित मजरों में पाइप पेयजल योजना एवं अत्यधिक गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की अनेकों बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग

187-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ी ग्राम पंचायत धनौली, अजीजपुर, नैनाना जाट, रोहता को नगर पंचायत बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मानकों के अनुसार उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

188-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नक्सल प्रभावित गांवों को चिन्हित कर क्षेत्र में पेयजल, सड़कें, बिजली तथा शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

189-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[1ले मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर महानगर की ध्वस्त यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की कार्य योजना

190-श्री सलिल विश्नोई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर की ध्वस्त यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कानपुर महानगर के यातायात व्यवस्था को सुगम और अच्छा बनाने हेतु शासन द्वारा विशेष कार्य योजना के अन्तर्गत गम्भीर प्रयास किये गये हैं जिनमें से कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है :-

क-कानपुर महानगर के समग्र विकास हेतु सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर कार्यवाही किया जाना।

ख-प्रमुख चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाया जाना।

ग-विभिन्न स्थलों पर सेतु निर्माण।

घ-कई सड़कों को चौड़ा किया जाना।

च-उपयुक्त स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था।

छ-यातायात नियमों के पालन हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्य।

ज-पुलिस, परिवहन, नगर निगम व लोक निर्माण विभाग के परस्पर तालमेल से यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की कार्यवाही किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

191-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध रूप से कालोनी बनाकर राजस्व की हानि करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा स्थित दिल्ली, सहारनपुर रोड पर स्थित अवैध रूप से कालोनी की भूमि काट रहे भू-माफियाओं के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर से समय-समय पर जनपदों को निर्देश जारी किये गये हैं तथा विशिष्ट इकाई भी यथावश्यकता सहयोग प्रदान करती है। भूमि आवंटन अथवा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभागों द्वारा इस प्रकार के मामले पुलिस के संज्ञान में लाने पर उनमें तथ्यानुरूप विधिक कार्यवाही भी की जाती है।

इस सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस के समक्ष कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू-माफियाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

192-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-माफियाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक 148/पा0सा0 17-राजस्व/2012, दिनांक सितम्बर, 2012 जिलाधिकारी, पीलीभीत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में नियमानुसार वांछित जांच सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में "सर्वे" कराकर सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

अलीगढ़ महानगर में यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु अनेकों स्थान पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने की मांग

193-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अलीगढ़ महानगर में यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु महानगर के क्वार्सी, गांधी पार्क, एटा चुंगी रसलगंज, सारसौल सेन्टर, प्वाइन्ट सासनी गेट, अचल तालाब, मदार गेट, दुबे का पड़ाव व देहली गेट आदि सहित सभी चौराहों पर सिगनल लाइट एवं सी0सी0टी0वी कैमरा लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अलीगढ़ जनपद के सारसौल, नादा पुल, मसूदाबाद, रसलगंज, दुबे का पड़ाव, एटा चुंगी, सासनीगेट, क्वार्सी, दोदपुर, चौराहों तथा कवरकुत्ता, किशनपुर, गांधी आई तिराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाये जाने की कार्यवाही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा सेन्टर प्वाइन्ट चौराहे एवं बस स्टैण्ड चौराहे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में जनगणना का कार्य

194-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में आर्थिक आधार पर जनगणना की जा रही है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि कर्मचारीगण क्षेत्र में न जाकर केवल एक ही स्थान पर बैठकर मनमाने तरीके से जनगणना कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर क्षेत्र में स्वच्छ एवं निष्पक्ष जनगणना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनगणना कार्य प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ पुनः सदन के फ्लोर पर वेल में आ जाने और सरकार विरोधी नारे)

(इसी मध्य राष्ट्रीय लोक दल के श्री वीरपाल राठी सहित कतिपय अन्य सदस्य भी बनैर लेकर फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अब आप अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(12.22 बजे) नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-11-2012 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं, निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई हैं, इसमें पहली सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सरधना रोड पर आवासीय कालोनी डिफेंस इनक्लेव को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की शाहजहांपुर में सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में यमुना नदी पर मथुरा-वृन्दावन-मांट के बीच बने जर्जर पुल की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूटधाम के सभी मण्डलों में लो वोल्टेज के कारण जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे), सातवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर में मानक के अनुसार पूरे संसाधन के साथ ट्रामा सेन्टर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री कमाल युसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की ग्राम पंचायत अगया में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत गबन किये जाने के उपरान्त विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री काली चरन सुमन जी की (सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे), दसवीं सूचना श्री मदन चौहान जी की जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में प्राकृतिक व पौराणिक दो (कैथला झील व कल्याणपुर झील) झीलों में भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटवाकर मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार बंसल की मेरठ रोड सिहानी चुंगी गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य मार्ग की सड़क निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के क्षेत्र सैदपुर में अमवरा रजबहा तथा शारदा सहायक खण्ड-23 को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद जी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जल निगम द्वारा इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे जी की प्रदेश के सहकारी बैंक के बन्द होने के कारण निवेशकर्ताओं एवं कर्मचारियों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में केबिल की तारों को सही तरीके से न लगाये जाने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।

श्री रामचन्द्र यादव, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री काली चरन सुमन की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

(उपस्थित मा0 सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज के बस अड्डे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। बिलासपुर तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर स्थित है तथा उत्तरांचल राज्य का बार्डर है और नैनीताल व उत्तरांचल को जाने वाला प्रमुख मार्ग है। यहां पर रोडवेज का बस अड्डा न होने के कारण कई-कई घण्टे जाम लगा रहता है जिससे पर्यटकों व आम जनता को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां पर रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। यहां पर रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा जिसकी पत्रावली सभी औपचारिकताएं पूर्ण होकर शासन में काफी लम्बे समय से लम्बित हैं। यहां पर रोडवेज का बस अड्डा बनाये जाने के लिए जनता द्वारा अक्सर धरने-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाते रहे हैं। जनहित में तहसील बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा अविलम्ब बनना नितान्त आवश्यक है। यहां पर रोडवेज बस अड्डा न बनने से जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सरधना रोड पर आवासीय कालोनी डिफेंस इन्क्लेव को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सरधना रोड पर कंकरखेड़ा के पास एक आवासीय कालोनी डिफेंस इन्क्लेव विकसित की गयी थी। इस कालोनी के आवंटियों को नक्शे पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाकखाना पार्क आदि दिखाकर भू-खण्ड बेच दिये गये लेकिन आज तक लगभग 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है बल्कि कालोनी में एक लगभग 5000 मी0 जमीन में 15 फुट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। इसकी मिट्टी कहां ले जायी गयी है। इसका कोई अनुमान नहीं है। यह कालोनी एक गेट की कालोनी थी इसमें भी दूसरी कालोनी के लोगों ने रास्ता खोल लिया है। जिसे मेरठ विकास प्राधिकरण बन्द नहीं करा रहा है। पार्कों का विकास नहीं हुआ है। मेरठ विकास प्राधिकरण आवंटियों को लगातार गुमराह कर रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर में सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर जनपद में विद्युत आपूर्ति सरकार द्वारा घोषित नीति से बहुत कम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4-6 घण्टे तथा शाहजहांपुर नगर में 8-10 घण्टे तक ही सप्लाई हो रही

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। विद्युत आपूर्ति कम होने से पेयजल सप्लाई भी बाधित होती है तथा कृषि, उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लाक भावलखेड़ा तथा ब्लाक ददरौल में कई-कई महीनों तक फुकें हुए ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जाते हैं और न ही टूटे हुए तारों को बदलने के लिए कोई चिन्ता होती है।

दिनांक 27-4-2010 को भारत सरकार ने केन्द्रीय पावर प्लान्टों के लिए एक शासनादेश जारी किया जिसके अनुसार केन्द्रीय पावर प्लान्टों को 5 कि0मी0 रेडियश क्षेत्र में चारों तरफ 6 से 8 घण्टे अतिरिक्त विद्युत सप्लाई दी जायेगी परन्तु निजी क्षेत्र के पावर प्लान्टों पर यह व्यवस्था लागू नहीं है। शाहजहांपुर में रौजा पावर प्लान्ट निजी क्षेत्र का है जिससे तपन, जलन, राख और प्रदूषण सभी मिलता है परन्तु अतिरिक्त विद्युत सप्लाई नहीं मिलती जबकि मिट्‌टी, पानी, हवा सभी शाहजहांपुर का इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी केन्द्रीय शासनादेश की तरह एक शासनादेश ऐसा जारी करना चाहिए जिससे पावर यूनिट के 5 कि0मी0 रेडियश के अन्तर्गत मीटरिंग क्षेत्र में अतिरिक्त पावर सप्लाई की जा सके, इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और क्षेत्रवासियों को राहत भी मिलेगी।

मेरी सरकार से यह मांग है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को इस बात के लिए निर्देशित करें कि प्रदेश के निजी थर्मल पावर प्लान्टों के 5 किमी0 रेडियश क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत सप्लाई की जाय। विशेष रूप से शाहजहांपुर के रौजा पावर प्लान्ट से शाहजहांपुर नगर की सभी सब-स्टेशनों पर जहां विद्युत मीटर लगे हैं वहां 6 से 8 घण्टे अतिरिक्त विद्युत सप्लाई दी जाये क्योंकि रौजा पावर प्लान्ट को विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार नहीं है इसलिए यह कार्य उ0 प्र0 सरकार को ही करना होगा।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से शाहजहांपुर नगर को अतिरिक्त विद्युत सप्लाई हेतु केन्द्र की भांति एक शासनादेश जारी करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा में यमुना नदी पर मथुरा-वृन्दावन-मांट के बीच बने जर्जर पुल की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, जनपद मथुरा में यमुना नदी पर वृन्दावन-मांट के बीच बना पुल जो कि यातायात हेतु वृन्दावन-मांट, नौहझील, अलीगढ़, हाथरस तथा सैकड़ों गांव हेतु साधन है। वर्तमान में त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। गत वर्ष बरसात के समय यमनुा नदी में बाढ़ के कारण इस पुल का सम्पर्क मार्ग, वृन्दावन की ओर का लगभग 80 प्रतिशत कट चुका है। इस कारण इस पुल पर गत एक वर्ष से आवागमन अवरुद्ध है। अब यह रास्ता अस्थायी रूप से वृन्दावन के कैलाश नगर, आवासीय कालोनी से होकर जाता है। आवागमन अवरुद्ध होने के कारण खेती, व्यवसाय, शिक्षा एवं मेडिकल सुविधाओं के साथ ही साथ धार्मिक कार्य से आने-जाने वाले हजारों लोगों को असुविधा हो रही है। प्रति वर्ष बरसात के कारण यहां कटान होता रहता है। कटान होते-होते पूरा सम्पर्क मार्ग कट जायेगा। इससे भगवान श्रीकृष्ण जी की क्रीड़ास्थली वृन्दावन बाढ़ से प्रभावित हो जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु पहले भी विभाग को लिखा गया था। वृन्दावन-मॉट पुल के सम्पर्क मार्ग को कटान से रोके जाने हेतु यमुना नदी व सड़क के किनारे स्थायी समाधान के लिए गाइड बंधा बनाया जाना जनहित में आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उपर्युक्त कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम के सभी मण्डलों में लो-वोल्टेज के कारण जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[महोदय, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम के सभी मण्डलों में लो-वोल्टेज की वजह से कोई भी सरकारी व प्राइवेट नलकूप व लिफ्ट कैनालें समुचित रूप से नहीं चल पा रही हैं। लो-वोल्टेज की वजह से आये दिन ट्रांसफार्मर व मोटरें जल जाती हैं। इस समय सिंचाई (पलेवा) का समय है बुन्देलखण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इस समय मात्र 08-10 घण्टे ही विद्युत आपूर्ति हो रही है और उसमें भी लो-वोल्टेज की वजह से कोई सिंचाई नहीं हो पा रही है जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र बिजली कटौती से मुक्त है। इस समय ट्रांसफार्मर व बिजली के उपकरणों की भारी कमी होने से पलेवा दिन-प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। किसान बहुत ही दुःखी व चिन्तित हैं। जिला प्रशासन को बार-बार अवगत कराने के बावजूद तथा मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र द्वारा सूचित करने और धरना-प्रदर्शन के बावजूद भी अभी तक किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला। वैसे भी पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बेरोजगारी, सूखा व कर्ज तथा भुखमरी से परेशान होकर आये दिन कोई न कोई किसान आत्महत्या करता रहता है। मैंने पूर्व के बजट सत्र में यह बात उठायी थी। उपर्युक्त समस्याओं के सम्पूर्ण समाधान अतिशीघ्र कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी नगर में मानक के अनुसार पूरे संसाधन के साथ ट्रामा सेन्टर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय, अत्यन्त खेद का विषय है कि एक तरफ सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही हैं दूसरी तरफ ट्रामा सेन्टर न होने से पीड़ित दुर्घटनाग्रस्त मरीज और उनके परिजनों को आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध न हो पाने के कारण असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले भी मेरे द्वारा विधान सभा में इसकी मांग की गयी थी और पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर खोलने हेतु योजना बनायी गयी और कुछ उपकरण उपलब्ध भी कराया गया लेकिन मानक के अनुसार चिकित्सक सहित अन्य उपकरण अपर्याप्त होने के कारण उक्त ट्रामा सेन्टर दुर्घटना ग्रस्त लोगों को पर्याप्त सेवा उपलब्ध कराने में अक्षम हैं और जो भी उपकरण उपलब्ध कराये गये थे वह भी स्टोर में पड़े-पड़े खराब हो गये हैं। चिकित्सा हेतु दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के आवक एवं अपर्याप्त संसाधन को देखते हुए जनता तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की काफी समय से आवाज उठती रही है और समाचार-पत्रों के माध्यम से भी शासन तक मांग पहुंचती रही है परन्तु उक्त व्यापक जनहित के मुद्दे पर शासन स्तर पर संवेदनशीलता का परिचय न दिया जाना अत्यन्त खेद का विषय है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से वाराणसी स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में व्यापक जनहित ट्रामा सेन्टर चालू करने के सम्बन्ध में मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की ग्राम पंचायत अगया में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत गबन किये जाने के उपरान्त विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, उक्त के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र व ब्लाक डुमरियागंज के ग्राम-अगया में वर्ष 2012-13 में मनरेगा योजना के तहत कई परियोजनाओं पर बिना कार्य किये ही धनराशि निकाल कर गबन किये जाने के उपरान्त मण्डलीय प्राविधिक परीक्षक बस्ती मण्डल बस्ती एवं ब्लाक स्तर से भी एक टीम गठित कर अन्य कार्यों की जांच किये जाने पर भी बिना कार्य कराये ही धनराशि की निकासी कर लिया गया है। जांच आख्या में स्पष्ट हो गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धनराशि लाखों रुपये की गबन की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि दो-दो जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त भी ग्राम प्रधान के विरुद्ध अभी तक कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि व्यापक जनहित में जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त तात्कालिक प्रभाव से ग्राम प्रधान के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्राकृतिक व पौराणिक दो (कैथला झील व कल्याण झील) झीलों में भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटवाकर मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय, मेरी विधान सभा में दो झीलें प्राकृतिक व पौराणिक जो हजारों एकड़ की गंगा किनारे स्थित है। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व भू-माफियाओं ने तहसील प्रशासन से मिलकर सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध अवैध पट्टे अपने सगे सम्बन्धियों को काटकर बेच दिये तथा साथ-साथ तहसील से तमाम पत्रावली, रिकार्ड आदि गायब कर दिया तथा पट्टे धारकों ने उन्हें संक्रमणि कराकर (अवैध ढंग) से दुबारा बेच दिया जिससे इन दोनों कैथला झील (ग्राम शाहपुर चौ0) (2) कल्याणपुर झील (कल्याण ग्राम) में आज भी अवैध कब्जा बना हुआ है। पूर्व कुछ प्रयास उच्च प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने के किये गये थे लेकिन प्रशासनिक मिलीभगत से अभी भी इन उपर्युक्त झीलों पर कब्जा बना हुआ है। गंगा किनारे इन झीलों से कब्जा हटवाकर इनके सौन्दर्यीकरण हेतु मैं हरिद्वार की तर्ज पर विकास करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा कब्जाधारकों के विरुद्ध व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु भी मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ रोड सिहानी चुंगी गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य मार्ग की सड़क निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार बंसल-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में पंजाब आयल एक्सपैलर कम्पाउण्ड की सड़क जहां लगभग 108 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उनसे नगर निगम की अच्छी आय हो रही है। यहां पर फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को एवं वाहनों को आने-जाने में काफी असुविधा हो रही है। उक्त सड़क मेरठ रोड नियर सिहानी चुंगी गाजियाबाद के मुख्य मार्ग से सटी हुई है उक्त सड़क का टेण्डर भी निकाला जा चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सड़क के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के क्षेत्र सैदपुर में अमुवारा राजबहा तथा शारदा सहायक खण्ड-23 को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 व अमुवारा राजवाहा लगभग 13 वर्ष से बन्द पड़ी है। जिसमें पानी नहीं आने के कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उक्त नहर से लगभग 60 से 80 गांवों के किसान खेती करते हैं। नहर में पानी नहीं आने से नहर के किनारे बसे लोगों के जानवर (पशु) को भी परेशानी होती है। यह जनहित का लोक महत्व का गम्भीर विषय है। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार से उक्त नहर में तत्काल पानी छोड़ने का आदेश दिया जाय।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल उक्त नहर शुरू कराके किसानों को सुविधा दिलाये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जल निगम खीरी द्वारा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं, जिनमें बोरिंग एवं पाइप मानकों के अनुरूप प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण लगाये जा रहे इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पानी नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रीय जनता को पानी हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा जल निगम खीरी द्वारा लगाये जा रहे इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की उच्च स्तरीय जांच हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक उक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकरण की जांच हेतु शासन स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त प्रकरण की उच्च्व स्तरीय जांच कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

प्रदेश के सहकारी बैंक के बन्द होने के कारण निवेशकर्ताओं एवं कर्मचारियों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे-

[महोदय, बैंकिंग शाख का व्यवसाय है, विगत वर्षों में सरकारी उदासीनता के चलते प्रदेश के सहकारी बैंकों का शाख एवं व्यवसाय पूर्णतः प्रभावित है और ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों (देवरिया, सिद्धार्थनगर) में स्थित ये बैंक बन्द होते हैं तो प्रदेश में अन्य क्रियाशील सहकारी बैंक भी प्रभावित होंगे, क्योंकि इन बैंकों को राज्य के अन्य राष्ट्रीयकृत एवं प्राइवेट बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय करना है। सहकारी बैंकों के पास नवीनतम सुविधा जैसे ए0टी0एम0, नेट बैंकिंग आदि सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अन्य जिला सहकारी बैंक भी आने वाले कुछ वर्षों में बन्द होने की स्थिति में होंगे। 31 मार्च, 2013 तक आर0बी0आई0 के अनुसार जिला सहकारी बैंक यदि लाइसेन्स के लिए अर्ह नहीं होते हैं तो इनके बन्द होने की दशा में बैंक के निवेशकर्ताओं, कर्मचारियों व उनके परिजनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।

हमारे क्षेत्र का जिला सहकारी बैंक लि0 देवरिया प्रदेश का सबसे पुराना बैंक है जिसका निबन्धन संख्या-1 है, जिसमें क्षेत्र के निरीह, गरीब लोगों का 180 करोड़ रुपये जमा है, क्या सहकारिता के इस ऐतिहासिक धरोहर के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना विशेष है ?

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में केविल के तारों को सही तरीके से न लगाये जाने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा

[महोदय, जनपद पीलीभीत की नगरपालिका परिषद् बीसलपुर तथा नगर पंचायत बिलसण्डा के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था के समानान्तर पचासों जनरेटर अधिष्ठापित करके व्यवसाय के रूप में विद्युत आपूर्ति किये जाने का कार्य हो रहा है जिसमें विद्युत निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच सांठ-गांठ है, परिणामतः विद्युत निगम की विद्युत आपूर्ति अस्त-व्यस्त रहती है। मात्र बड़े-बड़े उद्योगों को विद्युत निगम के अधिकारी, कर्मचारी विद्युत आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार विद्युत निगम के कर्मचारी/अधिकारी भारी कमाई करने में लिप्त हैं। सम्पूर्ण नगर के मार्गों एवं गलियों में जनरेटर व्यवसाइयों ने केविल व तारों के गुच्छे विद्युत निगम व नगर क्षेत्रों के खम्भों पर लगा रखे हैं जिससे कि अनेकों बार दुर्घटनायें हो चुकी हैं तथा आवागमन भी बाधित रहता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा हेतु सम्मत प्रदान करने की कृपा की जाये।]

(12.24 बजे) औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री रामचन्द्र यादव की सूचना अस्वीकार की गई।

आज दिनांक 29 मई, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की उत्तर प्रदेश विधान सभा में लम्बित आश्वासनों का निस्तारण अभियान चलाकर एवं नये आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार स्थानीय विधायकों की संस्तुति के आधार पर समग्र विकास के लिये लोहिया ग्राम/जनेश्वर मिश्र ग्राम का चयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मा0 सदस्यों के प्रस्तावित कार्यों को कराने में टाल-मटोल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर जी की प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल सम्बन्धी शासनादेशों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा जी की जनपद पीलीभीत के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बीसलपुर आदर्श (नार्मल स्कूल) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सामूहिक प्रांगण में आरक्षित क्रीड़ा स्थल पर आवास निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इसमें तीन सूचनाएं सुनी जायेंगी। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे), दूसरी सूचना मा0 श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है, क्या आप बोलेंगे खन्ना जी ? (बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के सरकार विरोधी नारेबाजी के कारण व्यवधान की स्थिति)।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले इन्हें शांत तो करिए।

श्री अध्यक्ष-

ये ऐसा ही कर रहे हैं, बताइये क्या करें। तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की है, मा0 तिवारी जी क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बोलना चाह रहा हूं, पहले इनको तो चुप कराइये।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के द्वारा लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी के कारण व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोगों का विरोध प्रदर्शन बहुत हो गया। आप लोगों ने जितना विरोध करना था, उतना विरोध कर लिया है, अब आप लोगों से निवेदन है कि शांत हो जाएं। मा0 उपाध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि इन्हें वापस बुला लीजिए। मा0 मौर्या जी आप इन्हें वापस बुला लीजिए। मा0 सदस्य आप लोग अपने स्थानों पर चले जाएं। अब आपका विरोध-प्रदर्शन बहुत हो गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अब आप लोग 300 पर बोलेंगे, नहीं बोलना है। अगर शान्ति से बोलना है तो बोलिए। अब आप लोग चलिए, मा0 सदस्यगण। हो गया है आपका। मा0 मौर्या जी, बहुत देर हो गयी है, 12.20 हो गया, इतना हो गया, अब तो इसे बन्द कराइये। मा0 सदस्यगण, अब वापस चलें, ये नहीं बोल पा रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

बसपा द्वारा सदन में किये जा रहे विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले 5 बरसों में, बसपा सरकार में लुटेरों, डकैतों, हत्यारों की जो हिम्मत बढ़ी हुई थी, उसे टूटने में थोड़ा समय लगेगा, उन लुटेरों को पकड़ने में, उन डकैतों को पकड़ने में, उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को पकड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। 5 सालों में इन लुटेरों की, डकैतों की जो हिम्मतें बढ़ गई हैं, वो 5 दिन में खत्म नहीं हो पायेंगी। हमें मेहनत करनी पड़ रही है। ये सारी टीम जिसकी शिकायत बसपा कर रही है, ये सारे इन्हीं के [x x x] मान्यवर, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को लूटकर खा लिया है। मासूम लड़कियों की लाशें थानों के दरवाजों पर टांग दी थीं इन्होंने, जेलों में मार दिया इन्होंने। मान्यवर, इनसे बड़ा डकैत, इनसे बड़ा लुटेरा कोई नहीं था। वो डकैत, वो लुटेरे अभी सुधरे नहीं हैं, सारे पकड़े नहीं गये हैं, भागे हुए हैं, अपराध कर रहे हैं। उन्हें हम तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ कर जेलों में भेजेंगे तब ये विरोध नहीं करेंगे।

(12.28 बजे) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2012)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

(12. 28½ बजे) छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (अध्यादेश संख्या-4 सन् 2012)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (अध्यादेश संख्या-4 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन में लगातार घोर व्यवधान बना रहा)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† छापा नहीं गया।

(12.29 बजे) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2012)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

(12. 29½ बजे) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2012)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2012)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2012) †

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

(12.30 बजे) उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश सन् 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2012)†

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश सन् 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2012)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2012) को सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, वर्ष 2011-2012 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012 उत्तर प्रदेश सरकार††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, वर्ष 2011-2012 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(वेल में खड़े बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार की जा रही नारेबाजी के कारण घोर व्यवधान के मध्य)

(12.31 बजे) लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वर्ष 2010 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2010 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वर्ष 2011 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वर्ष 2011 के वार्षिक प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य-संचालन) नियमावली, 2004 प्रथम संशोधन-1, 2012††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनायी गयी ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य-संचालन) नियमावली, 2004 प्रथम संशोधन-1, 2012'' को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

---

†† छापे नहीं गये।

† छापा नहीं गया।

(12.32 बजे) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिए निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, संशोधन-3, 2012††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनायी गयी ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिए निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, संशोधन-3, 2012'' को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-564/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(78)-2012,दिनांक 30 जून, 2012††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-564/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(78)-2012, दिनांक 30 जून, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-855/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(80)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-855/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(80)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012 को उ0 प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-869/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(81)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-869/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(81)-2012, दिनांक 30 अगस्त, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-899/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश- (83)-2012, दिनांक 7 सितम्बर, 2012††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-899/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(83)-2012, दिनांक

7 सितम्बर, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1070/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश- (84)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1070/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश- (84)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1071/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश- (85)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1071/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(85)-2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को उ0 प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

उ0 प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 को उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 के नियम-19(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(12.35 बजे) श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 मार्च, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 मार्च, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 मार्च, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 जून, 2012 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से सिफारिश सहित दिनांक 27 जून, 2012 को वापस प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 जून, 2012 के उपवेशन में स्वीकार नहीं किया तथा जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 जुलाई, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 03 जुलाई, 2012 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 जुलाई, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2012 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-26 एवं 27 में कुछ नहीं है।

फ्लोर पर खड़े मा0 सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

(घोर व्यवधान)

(12.38 बजे) कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण विषयक प्रस्ताव की सिफारिशें

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जायें एवं प्रश्नकाल न हो तथा शून्य प्रहर अर्थात् नियम-51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें।

2-दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुतीकरण के तुरन्त बाद प्रश्नकाल लिया जाए।

3-दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को पूर्व निर्धारित असरकारी दिवस अब दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को विधायी कार्य के बाद लिया जाय (आधा दिन दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के स्थान पर)।

4-दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा तथा उसके बाद विशिष्ट महानुभाव के निधन के निर्देश लिये जायं।

5-दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>नवम्बर, 2012</u>

23 शुक्रवार — निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

24 शनिवार
25 रविवार } बैठक नहीं होगी।

26 सोमवार — 1-11.00 बजे पूर्वाह्न

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-11.05 बजे पूर्वाह्न

प्रश्नकाल।

3-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

4-अन्य कार्य, यदि कोई हो।

<u>नवम्बर, 2012</u>

27 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।
	2-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
28 बुधवार	गुरुनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा का अवकाश--बैठक नहीं होगी।
29 गुरुवार	1-विधायी कार्य।
	2-असरकारी दिवस आधा दिन दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के स्थान पर।
30 शुक्रवार	विधायी कार्य।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आये हुए मा0 सदस्यों में से राष्ट्रीय लोक दल के एक माननीय सदस्य श्री वीरपाल राठी द्वारा रिपोर्टर टेबिल पर चढ़कर बैनर दिखाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य मेज पर खड़े हैं, गन्ने की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, विकास की बात है, अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आपसे मेरा आग्रह है कि मेज से उतर जाएं, अब मेज पर न चढ़ें। बहुत हो गया, अब आप लोग नारा लगा चुके हैं, अब आप लोग अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहें। मद संख्या-29 में कुछ नहीं है।

(12.42 बजे) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

(12.43 बजे) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, (संशोधन) विधेयक, 2012†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

(12.44 बजे) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है।

(12.45 बजे) डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के नर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दे, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दे, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(12.46 बजे) डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निवार्चन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधान सभा में 26 नवम्बर, 2012 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। ''यह सदन डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानुपर की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xv) के अनुसार प्रत्येक के लिए, विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को स्वीकृत

हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की सभा में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासम्यक सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xv) के अनुसार प्रत्येक के लिए, विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की सभा में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी अब आप अपनी कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात करेंगे।

(12.48 बजे) वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर जायं। आपका विषय आ गया है। अब आप अपने नेता को बोलने भी नहीं देंगे।

बसपा द्वारा सदन में किये जा रहे विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी यह बसपा के सदस्य इसीलिए परेशान हैं कि इनके चोर डकैत पकड़े जा रहे हैं। यह उन्हें बचाने के लिए कोशिश में लगे हैं। एक नहीं छोड़ा जाएगा यह जितने हत्यारे, बलात्कारी, डकैत हैं सब पकड़े जाएंगे। पांच साल में इनकी बहुत हिम्मतें बढ़ गई हैं यह सूखे हुए थे इनके बड़े बड़े पेट निकल आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुल पांच (घोर व्यवधान)

(सदन की वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन है कि बसपा सरकार के जो मंत्री भगोड़े घोषित कर दिये गये हैं और भागे हुए हैं वह या तो सरेण्डर करें या जवाब दें यहां सदन में। बसपा सरकार के जो भगोड़े मंत्री हैं जिन पर मुकदमें कायम हैं ये उनको बचाना चाहते हैं। उन भगोड़े मंत्रियों के बारे में भी कुछ बतायें, बसपा दीदी बताये कि जो मंत्री भगोड़े हैं और पुलिस उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर चुकी है उन्हें कहां से ढूंढ कर लायें। अब उन्हें ढूंढते हैं तो ये यहां यह करते हैं।

(घोर व्यवधान)

(12.50 बजे) नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को नियम-311 के अन्तर्गत 05 सूचनायें प्राप्त हुईं जिन्हें अग्राह्य कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 में कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी है। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। पहली सूचना नम्बर एक- श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री संजय कपूर, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दूबे, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रदीप चौधरी, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री राधेश्याम, कुंवर कौशल सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री दिलनवाज खान, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री गयादीन अनुरागी, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री मो0 मुस्लिम, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री वंशी सिंह पहाड़िया, नम्बर 2-श्री बब्बन चौहान, श्री राजनारायण बुधौलिया, श्री वेदराम भाटी, श्री चन्द्र भान सिंह पटेल, श्री लोकेश दीक्षित, सुरेश बंसल, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, लल्लू सिंह, श्री चन्द्र भान सिंह, शमशेर बहादुर नम्बर-3, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, नम्बर-4 श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री कलराज मिश्रा, श्री लोकेन्द्र सिंह, डा0 संगीत सिंह सोम, श्री रामचन्द्र यादव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री सलिल विश्नोई, श्री सत्यदेव पचौरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री बावन सिंह की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर इसमें मुझे कुछ कहना है जो बसपा सरकार के जो मंत्री हैं, भगोड़े घोषित किये गये हैं, उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिये गये हैं। सम्भावना इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जा रही है जैसे मथुरा है, अलीगढ़ है, गाजियाबाद का मसूरी है, फैजाबाद है यहां इनके अपराधी तत्व सक्रिय हो गये हैं तो जब तक ये भगोड़े नहीं पकड़े जायेंगे उस वक्त तक इन चीजों पर अंकुश लगाने में समय लग रहा है तो यह आश्वस्त करना चाहते हैं हम सदन को कि इस तरह के तमाम अपराधी जो बसपा सरकार में बहुत ताकत पर गये थे और

जो भगोड़े हैं हाथ नहीं आये हैं, उन्हें जल्द ही पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर जेल के सीखचों के पीछे भेजेगी।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना, श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री कलराज मिश्रा, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री लोकेन्द्र सिंह, डा0 संगीत सिंह सोम, श्री राम चन्द्र यादव, श्री अगयश राम सरन वर्मा और श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का सत्र समय से आरम्भ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना ठा0 दलवीर सिंह एवं श्री भगवती प्रसाद की प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के अवैध खनन के सम्बन्ध में दिये गये आदेश से प्रदेश में ईट भट्ठों पर पड़ रहे प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

निम्न लिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई। पहली श्री सुरेश बंसल,, दूसरी श्री सुरेश कुमार खन्ना, तीसरी श्री धर्मपाल सिंह, चौथी डा0 धर्मपाल सिंह, पांचवी श्री पूरन प्रकाश, छठी श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, सातवीं श्री अगयश राम सरन वर्मा की नियम-311 में प्राप्त आठवीं श्री प्रमोद तिवारी, नवी श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री रामहेत भारती, श्री रमेशचन्द बिन्द, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, श्री जासमीर अंसारी, दसवीं ठा0 दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद, श्री पूरन प्रकाश, श्री त्रिलोकी राम, श्री वीरपाल राठी, श्री तेजपाल सिंह, श्री सुदेश शर्मा, ग्यारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की।

प्रथम सूचना कानून व्यवस्था पर है, माननीय मौर्या जी आप बोलियेगा।

(बेल में आये हुए सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाते रहने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

अब हो गया आप लोगों का, अब चलिये, मौर्या जी को बोलने नहीं देंगे।

अभी आपसे ज्यादा वह बोलेंगे, आप कितना बोल पाते हैं उनके मुकाबले।

(सदन में घोर व्यवधान के मध्य)

(सदन के फ्लोर पर खड़े बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे और नारे लिखे बैनर दिखाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने आसन पर वापस जायें।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर नेता विरोधी दल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रयास से बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये सदस्य अपने-अपने आसनों पर वापस चले गये)

चौ0 दलवीर सिंह-

मान्यवर, गन्ना मिलें नहीं चल रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी हाउस में बैठे हुए हैं उनका जवाब आ जाये मान्यवर। मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करते हुए गन्ने के विषय पर विचार विमर्श हो जाये। गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मानीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कानून-व्यवस्था के विषय पर हमारे द्वारा दी गयी सूचना को, नियम-56 और नियम-311 की सूचना को एक साथ करते हुए, बोलने का अवसर प्रदान किया।

(12.58 बजे) कानून-व्यवस्था विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर पहले बोलने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री प्रदीप माथुर व अन्य सदस्य भी बोलने के लिए खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपने मेरा नाम बुलाया है और मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं बोल भी रहा हूं तो इस तरह से बीच में कहां से व्यवस्था का प्रश्न और औचित्य का प्रश्न उपस्थित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब व्यवस्था का प्रश्न आ गया है, तो उन्हें सुन लेने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, [xxx] जब आपने मुझे एक बार बोलने का मौका दे दिया है तो इस तरह से बीच में अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है। मैं आपके हर आदेश का पालन करता हूं और आपकी अनुमति मिलने पर ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो फिर यह व्यवस्था का प्रश्न कहां से पैदा हो रहा है।

(इस बीच श्री हुकुम सिंह और उनके दल के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लिखे पोस्टर दिखाने लगे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज इस सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। हत्याओं और अपराधों की घटनायें बढ़ रही हैं। पूरे प्रदेश की जनता आज कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से त्रस्त हो गये है।

(श्री सतीश महाना सदन के फ्लोर पर खड़े होकर कहने लगे कि श्रीमन् जब हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो फिर इनकी भी नहीं सुनी जायेगी। ऐसे नहीं चलेगा।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था की रोज धज्जियां उड़ रही हैं।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मोर्या जी कृपया मुझे सुन लें। इसमें नियम-56 में जो सूचना आयी हैं, उसमें कांग्रेस दल की पहले नम्बर पर सूचना है। फिर दूसरे नम्बर पर श्री बब्बन चौहान, श्री राज नारायण बुधौलिया व अन्य की हैं। तीसरे नम्बर पर डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी जी की हैं। चौथे नम्बर पर श्री हुकुम सिंह जी की है। अगली सूचना श्री ठा0 दलबीर सिंह जी व अन्य की है। अब वहां से व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो रहा हैं तो उस पर सुनना तो होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं पहले से बोल रहा हूं मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें मान्यवर, [x x x]।

श्री अध्यक्ष-

इसमें उनका व्यवस्था का प्रश्न है। कांग्रेस की पहले नम्बर पर है। अब आप लोग राय कर लें कि पहले कौन बोलेगा इस पर।

(भारतीय जनता पार्टी के वेल में आये हुए मा0 सदस्य ''बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य'' सरकार द्वारा घोषित किये जाने की मांग करने लगे)

(घोर व्यवधान)

अरे मौर्या जी, आप कानून व्यवस्था पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। न विपक्ष कुछ कहना चाहता है। आप लोग अपनी बात न कह करके केवल शोर मचा रहे हैं। आपके पास कुछ है ही नहीं कहने को।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के फलोर पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अगर नहीं चलने देना चाहते हैं तो बतायें । काहे क्यों हम समय बर्बाद करें । हम अपना काम खत्म करके चलते हैं।

(लोक दल के सदस्य श्री वीरपाल राठी धरने पर बैठ गए)

(घोर व्यवधान के मध्य ही साध्वी निरंजन ज्योति, सुश्री सावित्री वाई फूले तथा श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने पर महिला सुरक्षा रक्षकों द्वारा बलपूर्वक रोका गया)

माननीय सदस्यगण आप लोग अपने स्थान पर जायं। अरे सोम जी, अपनी टेबुल पर जायं। महाना जी आप इतने बड़े नेता रहे है, आप बैठिये, इनका तो चलने दीजिये। अरे बाजपेई जी, आप लोग सुन रहे हैं। मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 02 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 01 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी।)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही सदन के फलोर पर बैठे बसपा तथा राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

सभी मा0 सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

(1.12 बजे) नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26, नवम्बर, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे।

आप लोग अपनी सीट पर जाएं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

पहली सूचना श्री विजय कुमार दुबे की प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में शिक्षा के प्रभावित होने एवं बी0एड0, टी0ई0टी0 पास बेरोजबार डिग्री धारकों को नियुक्त किये जाने के संबंध में तथा दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की शासन के सुस्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से नक्शा स्वीकृत करते समय 151 पार्क शुल्क की बैंक गारण्टी मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :-

पहली सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर चकफेरी मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में। दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में पूर्ण अधिष्ठापित पानी पीने के हैंडपम्पों का रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की उ0 प्र0 विद्यफत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी/विद्युत दरों में भारी वृद्धि को वापस लिये जाने के संबंध में। चौथी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन व चयनित, शादी अनुदान के पात्रों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। पांचवी सूचना प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी की उ0 प्र0 में उच्च न्यायालय एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा तम्बाकू गुटखा व सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। छठी सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्य की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराधू में पेयजल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।

पहली सूचना श्री सतीश महाना की प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के मानदेय प्रवक्ताओं को एक समान वेतन दिए जाने के संबंध में तथा (घोर व्यवधान) दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं पूर्व पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा के सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन का पुनर्निर्धारण कराए जाने के संबंध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती है :-

1-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

3-श्री दलजीत सिंह,

4-श्री पूरन प्रकाश,

5-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

6-श्री सुरेश बंसल,

7-श्री श्यामदेवराय चौधरी

8-श्री पंकज कुमार मलिक,

9-श्री बाला प्रसाद अवस्थी,

10-श्री राजबली जैसल,

11-श्री मदन चौहान,

12-श्री ठाकुर दलवीर सिंह,

13-श्री बब्बन चौहान,

14-श्री राजेश त्रिपाठी,

15-श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,

16-श्री प्रमोद तिवारी,

17-श्री सुभाष पासी,

18- (1) श्री जसमीर अंसारी,

(2) श्री रोमी साहनी,

(3) श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा,

(4) श्री फेरनलाल अहिरवार तथा

(5) श्री शमशेर बहादुर की,

19-डॉ0 धर्मपाल सिंह,

20-श्री रोशन लाल वर्मा तथा

21-श्री कालीचरन सुमन।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की करायी गयी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेश पति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

(घोर व्यवधान एवं नारेबाजी के मध्य)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा इस बिन्दु की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

(ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लेते हैं।)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वक्तव्य की मांग की गयी है कि उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता में प्रदेश सरकार द्वारा सी0बी0सी0आई0डी0 एंव विभागीय जांच कराई गयी तथा सी0बी0आई0 से भी इसकी जांच करायी गयी, अभी कुछ जांच चल रही है उस जांच द्वारा अभी तक कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई और क्या कार्यवाही हुई है ? और यदि जांच लम्बित है तो क्या वे अभी तक अपने पद पर बने हुये हैं ? और उस पद पर उस व्यक्ति के रहते हुये क्या निष्पक्ष जांच हो पाना सम्भव है ? इस संदर्भ में प्रदेश में अभी तक कितने अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ?

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना में किसी प्रकरण विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है, अपितु समाज कल्याण विभाग के संदर्भ में सूचना चाही गयी है। यद्यपि सूचना की विषय वस्तु अत्यन्त व्यापक है ? तथापि उपलब्ध एवं सज्ञानित अभिलेखों के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :-

(क) सी0बी0सी0आई0डी0 जांच के प्रकरण-

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं की धनराशि अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/पदेन जिला प्रबन्धक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम इलाहाबाद के फर्जी हस्ताक्षर से बैंक से आहरित कर गबन किये जाने विषयक प्रकरण की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराई गयी थी । सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा उपलब्ध कराई गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में दोषी पाये गये तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/पदेन जिला प्रबन्धक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम इलाहाबाद के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

(ख) सी0बी0आई0 जांच के प्रकरण-

(1) जनपद-कानपुर नगर में अस्तित्वहीन विद्यालयों में वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में छात्रवृत्ति प्रेषित किये जाने विषयक प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से कराई गयी थी। सी0बी0आई0 द्वारा उपलब्ध कराई गयी जांच रिपोर्ट में की गयी संस्तुति के आधार पर तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं 03 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में वाद चलाये जाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति शासन/निदेशालय स्तर से प्रदान की जा चुकी है यह प्रकरण ''अभी मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, इसके अतिरिक्त एक कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संस्थित की गई है ।

(2) वर्ष 1997-98 से वर्ष 2004-05 के मध्य जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय इलाहाबाद द्वारा अस्तित्वहीन विद्यालयों को छात्रवृत्ति प्रेषित किये जाने विषयक प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से कराई गयी थी। सी0बी0आई0 की जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये 04 तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृत्ति शासन स्तर से एवं 02 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के विरुद्ध निदेशालय स्तर से अभियोजन की स्वीकृत्ति प्रदान की जा चुकी है तथा यह प्रकरण अभी मा0 सक्षम न्यायालय में विचाारधीन है ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(ग) विभागीय जांच के प्रकरण-

(1) जनपद-सीतापुर में अपात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रेषित किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आने के फलस्वरूप इसकी विस्तृत जांच करायी गयी तथा प्रकरण में दोषी पाये गये अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी को सेवा से पदच्युत करते हुये गबन हुई शासकीय धनराशि की वसूली के आदेश दिये जा चुके हैं तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है, जो सम्प्रति गतिमान है।

(2) उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमिततायें किये जाने के फलस्वरूप 08 जिला समाज कल्याण अधिकारी/अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) को निलम्बित कर कार्यवाही की जा रही है। विभागीय योजनाओं में बरती गयी अनियमितताओं हेतु कतिपय दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये पूर्व में दण्डादेश निर्गत किये गये हैं। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं के लिये वर्तमान में अधिकारियों के विरुद्ध 54 विभागीय कार्यवाहियां संस्थित/गतिमान है।

(3) समाज कल्याण विभाग में अनियमितता के प्रकरण में 13 लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्तमान में निलम्बित हैं तथा 157 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है उन्हें यथा सम्भव संबंधित जनपद/कार्यालय में तैनात नहीं किया जाता। कतिपय अधिकारी/कर्मचारी मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर ऐसे जनपदों में कार्यरत भी हैं जहां इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश आदि को वैकेट कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है विभागीय कार्यों में उदासीनता लापरवाही बरतने/ शासकीय धनराशि के दुरुपयोग/गबन में लिप्त पाये गये सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी ढंग से कार्यवाही कराई गयी है।

(4) शुल्क प्रतिभूति में अनियमितता किये जाने के कतिपय प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है, जो भी अधिकारी/कर्मचारी इसमें दोषी पाये जायेगें, उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के हितों के दृष्टिगत विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा अनेकों प्रभावी कदम उठाये गये हैं। विभाग की किसी भी योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जा रहा है तथा दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड-मवई में साधन सहकारी समिति गनेशपुर में गेंहु क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में रवि विपणन वर्ष 2012-13 में गेहूं क्रय व्यवस्था संबंधी शासनादेश.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

मोहम्मद आजम खां-

[संख्या-155/29-5-2012-5(1)-2012 दिनांक 23 मार्च, 2012 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत जिलाधिकारी फैजाबाद ने अपने आदेश दिनांक 31-5-2012 द्वारा रवि क्रय वर्ष 2012-13 में गेहूं खरीद हेतु पी0सी0एफ0 फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मवई में स्थित साधन सहकारी समिति गनेशपुर में गेहूं क्रय केन्द्र खोलने का आदेश प्रदान किया था। परन्तु पी0सी0एफ0 के जिला प्रबन्धक व साधन सहकारी समिति गनेशपुर के सचिव की उदासीनता व लापरवाही के चलते उपरोक्त गेहूं क्रय केन्द्र पर एक भी किसान का गेहूं व तौल नहीं किया गया। पूरे विकास खण्ड मवई के किसानों का गेहूं अभी तक क्रय नहीं किया जा सका। पूरे क्षेत्र के किसानों में इस प्रकरण पर गम्भीर नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 व साधन सहकारी समिति के सचिव द्वारा जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना मात्र विचौलियों के प्रभाव में आकर नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जांच कराने व गेहूं क्रय से वंचित किसानों के गेहूं क्रय कराने की मांग क्षेत्र वासियों द्वारा की जा रही है इधर मुख्य सचिव के आदेश के क्रम में अन्य एजेन्सियों में गेहूं क्रय बन्द कर दिया गया है। केवल पी0सी0एफ0 व मार्केटिंग विभाग के गेहूं क्रय केन्द्र चल रहे हैं। विकास खण्ड मवई की इस गम्भीर समस्या से पूरे क्षेत्र के किसान आक्रोशित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

उक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रकरण की जांच महाप्रबन्धक पी0सी0एफ0 से करायी गयी। जांच में जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 श्री बी0एन0 सिंह की गेहूं खरीद में अनिमितता एवं लापरवाही प्रमाणित हुई है, परन्तु एक अन्य प्रकरण में श्री सिंह द्वारा की गयी लापरवाही व अनियमितता के कारण इनको निलम्बित कर दिया गया था और निलम्बन की अवधि में ही श्री सिंह दिनांक 31-7-2012 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री बी0एन0 सिंह, तत्कालीन जिला प्रबन्धक, फैजाबाद के विरूद्ध गेहूं खरीद के प्रकरण में वित्तीय अनियमितता, गबन, अपहरण आदि के कोई गम्भीर आरोप नहीं हैं। चूंकि श्री सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फलस्वरूप इन्हें लघु दण्ड नहीं दिया गया है।]

जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतूपुर संतपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री राधेश्याम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 29-06-2012 को सूचना दी गयी थी कि ग्राम सभा भगतूपुर संतपुर, मजरा राघवरामपुर.......

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ब्लाक मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के कोटेदार द्वारा कोटे का खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ज्यादातर ब्लैक कर दिया जाता है और जब बांटता है तो काफी कम मात्रा में उक्त सामग्री का वितरण किया जाता है। समय-समय पर कार्डधारकों द्वारा उक्त कोटेदार की शिकायत उच्चाधिकारियों से की गयी, परन्तु आज तक उक्त कोटेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

अतएव इस लोक महत्व के विषय पर शासन से वक्तव्य/ध्यानाकर्षण की मांग की गयी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री छोटे लाल, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत-भगतूपुर संतपुर, मजरा-राघवरामपुर, ब्लाक मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के विरुद्ध की गयी शिकायतों में प्रथम दृष्ट्या अनियमितताएं पाये जाने पर विक्रेता का अनुबन्ध-पत्र दिनांक 11-5-2012 को निलम्बित कर दिया गया था। उप जिलाधिकारी, बिलग्राम, जनपद हरदोई ने उचित दर विक्रेता के स्पष्टीकरण व प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त विक्रेता को चीनी के वितरण में कई कार्डधारकों से अधिक मूल्य लेने का दोषी पाया तथा आदेश दिनांक 16-11-2012 द्वारा श्री छोटे लाल, उचित दर विक्रेता की समस्त प्रतिभूति राशि रु0 5000/-शासन के पक्ष में जब्त करते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न किये जाने हेतु कठोर चेतावनी के साथ दुकान का अनुबन्ध-पत्र बहाल कर दिया गया है।]

(वेल में आये हुए बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 16 मिनट पर दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

प्रदीप कुमार दुबे,

दिनांक 26 नवम्बर, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45-46 पर।)

अतारांकित प्रश्न सं0 59 के उत्तरालेख का संलग्नक

हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, छेड़खानी के अपराधों में थानावार कृत कार्यवाही का विवरण

हत्या :-

1-थाना विजयनगर पर हत्या के 07 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 25 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

2-थाना सिहानीगेट पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

3-थाना कविनगर पर हत्या के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 04 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

4-थाना साहिबाबाद पर हत्या के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 05 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

5-थाना लोनी पर हत्या के 21 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 75 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 19 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है एवं 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा एक अभियोग विवेचनाधीन है तथा 11 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है।

6-थाना इन्द्रापुरम पर हत्या के 04 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 07 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 03 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है।

7-थाना लिंकरोड पर हत्या के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 05 अभियुक्त संलिप्त पाये गये जिनमें 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। बाद विवेचना 01 अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। एक अभियोग विवेचनाधीन है।

8-थाना मसूरी पर हत्या के 04 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 16 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

9-थाना मुरादनगर पर हत्या के 09 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 25 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 08 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। एक अभियोग विवेचनाधीन है।

10-थाना मोदीनगर पर हत्या के 03 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 05 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

11-थाना निवाड़ी पर हत्या के 01 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

12-थाना भोजपुर पर हत्या के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 12 अभियुक्त संलिप्त पाये गये, जिनमें से 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। बाद विवेचना 01 अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। एक अभियोग विवेचनाधीन है।

<u>शीर्षक डकैती</u> :-

1-थाना कोतवाली पर डकैती का एक अभियोग पंजीकृत है। विवेचना से 06 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त का पता तस्दीक न होने पर गलत पाया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गयी सम्पत्ति 10 लाख में से 08 लाख रुपये की सम्पत्ति बरामद की गयी। बाद विवेचना अभियोग में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है तथा सभी 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है।

2-थाना कविनगर पर डकैती का 01 अभियोग पंजीकृत है। विवेचना से 10 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से 09 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, 01 अभियुक्त पुलिस के दबाव के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। लूटी गयी सम्पत्ति 43 लाख में से अभियुक्तों से 13.50 लाख रुपये बरामद किये गये। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है।

3-थाना मुरादनगर पर डकैती का 01 अभियोग पंजीकृत है। विवेचना से 06 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 25 लाख में से अभियुक्तों से 10 लाख रुपये बरामद किये जा चुके है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन है तथा सभी 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है।

<u>चोरी :-</u>

1-थाना कोतवाली पर चोरी के 64 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 42 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 2952435 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 1543070 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 35 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 29 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

2-थाना विजयनगर पर चोरी के 73 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 34 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 2064500 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 1309350 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 41 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 32 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

3-थाना सिहानीगेट पर चोरी के 165 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 51 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 6521250 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 4207000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 74 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 91 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

4-थाना कविनगर पर चोरी के 223 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 61 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 9345000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 7095000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 97 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 126 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

5-थाना साहिबाबाद पर चोरी के 148 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 53 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 4829200 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 3504200 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 76 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 72 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

6-थाना लोनी पर चोरी के 109 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 60 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 6232000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 2969000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 54 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 55 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

7-थाना इन्द्रापुरम पर चोरी के 311 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 84 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 10010000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 7565425 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 135 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 176 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

8-थाना लिंगरोड पर चोरी के 49 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 18 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 2088000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 1885520 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 26 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 23 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

9-थाना मसूरी पर चोरी के 42 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 35 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 1272000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 774000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 23 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 19 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

10-थाना मुरादनगर पर चोरी के 45 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 22 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 1114060 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 505960 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 25 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 20 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

11-थाना मोदीनगर पर चोरी के 35 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 16 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 1365100 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 612000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 14 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 21 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

12-थाना निवाड़ी पर चोरी के 06 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 05 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 220000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 120000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 04 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 02 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

13-थाना भोजपुर पर चोरी के 06 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 08 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चोरी गयी सम्पत्ति 115000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 75000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 03 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 03 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

बलात्कार :-

1-थाना विजयनगर पर बलात्कार के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 05 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना दोनों अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

2-महिला थाना पर बलात्कार के 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें 01 अभियुक्त संलिप्त पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना उक्त अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

3-थाना सिहानीगेट पर बलात्कार के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना दोनों अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

4-थाना कविनगर पर बलात्कार 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 01 अभियुक्त संलिप्त पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना उक्त अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

5-थाना साहिबाबाद पर बलात्कार के 04 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 06 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 03 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

6-थाना इन्द्रापुरम पर बलात्कार के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना दोनों अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

7-थाना मसूरी पर बलात्कार के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना दोनों अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

8-थाना मुरादनगर पर बलात्कार के 03 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 03 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना तीनों अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

9-थाना निवाड़ी पर बलात्कार के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना दोनों अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

दहेज हत्या :-

1-थाना विजयनगर पर बलात्कार के 05 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 13 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 03 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

2-थाना सिहानीगेट पर बलात्कार के 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें 03 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

3-थाना कविनगर पर बलात्कार के 04 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 16 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

4-थाना साहिबाबाद पर बलात्कार के 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 11 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

5-थाना लोनी पर बलात्कार के 04 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 16 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 03 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 01 विवेचनाधीन है।

6-थाना मसूरी पर बलात्कार के 04 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 06 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 02 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 02 अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

7-थाना मोदीनगर पर बलात्कार के 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें 03 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना तीनों अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

अपहरण :-

1-थाना कोतवाली पर अपहरण के 03 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 04 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

2-थाना विजयनगर पर अपहरण के 16 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 27 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 13 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

3-थाना सिहानीगेट पर अपहरण के 08 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 17 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 05 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

4-थाना कविनगर पर अपहरण के 12 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 19 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 09 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

5-थाना साहिबाबाद पर अपहरण के 10 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 14 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 07 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

6-थाना लोनी पर अपहरण के 21 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 45 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 16 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 05 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

7-थाना इन्द्रापुरम पर अपहरण के 18 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 36 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 13 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 05 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

8-थाना लिंकरोड पर अपहरण के 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

9-थाना मसूरी पर अपहरण के 07 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 13 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 05 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

10-थाना मुरादनगर पर अपहरण के 10 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 12 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 06 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 04 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

11-थाना मोदीनगर पर अपहरण के 05 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 11 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना 04 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

12-थाना निवाड़ी पर अपहरण के 03 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 05 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

13-थाना भोजपुर पर अपहरण के 04 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 10 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

लूट :-

1-थाना कोतवाली पर लूट के 04 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 07 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 874800 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 785000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 03 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा एक अभियोग विवेचनाधीन है। 03 अभियुक्तों विरुद्ध गैंगस्टर ऐक्ट की कार्यवाही की गयी है।

2-थाना सिहानीगेट पर लूट के 04 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 15 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज गया। लूटी गयी सम्पत्ति 345000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 250000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र

प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। 03 अभियुक्तों विरुद्ध गैगस्टर ऐक्ट की कार्यवाही की गयी है।

3-थाना साहिबाबाद पर लूट के 05 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 08 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 476919 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 392400 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 04 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा एक अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

4-थाना लोनी पर लूट के 09 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 281 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 2138300 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे में से 1841150 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना 08 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है तथा एक अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। 04 अभियुक्तों विरुद्ध गैगस्टर ऐक्ट की कार्यवाही की गयी है।

5-थाना इन्द्रापुरम पर लूट के 04 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 12 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 1700000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 1305000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

6-थाना लिंकरोड पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 04 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 6300 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 6300 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना उक्त अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

7-थाना मसूरी पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें 09 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। लूटी गयी सम्पत्ति 1200000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 1200000 रु0 बरामद की गयी। अभियोग विवेचनाधीन है।

8-थाना मुरादनगर पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिनमें 04 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 18000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 18000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

9-थाना मोदीनगर पर लूट के 04 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 16 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त की मृत्यु हो गयी है। लूटी गयी सम्पत्ति 845000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 715000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

10-थाना निवाड़ी पर लूट के 02 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 06 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूटी गयी सम्पत्ति 150000 रु0 में से

अभियुक्तों के कब्जे से 150000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना सभी अभियुक्तों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

11-थानाा भोजपुर पर लूट का 01 अभियोग हुआ, जिनमें 03 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सम्पत्ति 130000 रु0 में से अभियुक्तों के कब्जे से 100000 रु0 बरामद की गयी। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

<u>छेड़खानी :-</u>

1-थाना कोतवाली पर छेड़खानी का 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 01 अभियुक्त संलिप्त पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना उक्त अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

2-थाना विजयनगर पर छेड़खानी के 02 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 05 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

3-थाना सिहानीगेट पर छेड़खानी के 02 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

4-थाना कविनगर पर छेड़खानी का 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 01 अभियुक्त संलिप्त पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना उक्त अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

5-थाना साहिबाबाद पर छेड़खानी के 03 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

6-थाना लोनी पर छेड़खानी का 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 01 अभियुक्त संलिप्त पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । बाद विवेचना उक्त अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

7-थाना इन्द्रापुरम पर छेड़खानी के 03 अभियोग पंजीकृत हुये जिनमें 04 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

8-थाना मुरादनगर पर छेड़खानी के 02 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 02 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

9-थाना मोदीनगर पर छेड़खानी के 04 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें 07 अभियुक्त संलिप्त पाये गये। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

उपरोक्त अपराधों को रोकने हेतु जनपद पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही का विवरण :-

1-उक्त अपराधों में लिप्त 112 शातिर/कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा गैगस्टर अधि0 एवं 220 के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

2-उपरोक्त अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु जनपद गाजियाबाद के नगर क्षेत्र के थाना कोतवाली, विजयनगर, सिहानीघाट, कविनगर, साहिबाबाद, इन्दिरापुरम, लिंकरोड में 25 पैट्रोल कार दिन में, 25 पैट्रोल कार रात्रि में तथा 36 लैपर्ड मोटर साइकिल दिन व 36 लैपर्ड मोटर साइकिल रात्रि में चलवाकर प्रभावी गश्त करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक एक्शन मोबाइल तथा एक आई0एस0वी0 (इण्डट्रीयल सिक्योरिटी पैट्रोल कार) से प्रभावी गश्त कराकर उक्त अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।

इसी तरह जनपद के देहात क्षेत्र के थाना मसूरी, मुरादनगर, निवाड़ी, मोदीनग, भोजपुर, लोनी थाना क्षेत्रों में 13 पैट्रोल कार दिन में, 13 पैट्रोल कार रात्रि में व 8 मोटर साइकिल दिन में, 8 मोटर साइकिल रात्रि में चलवाकर प्रभावी गश्त/पैट्रोलिंग करायी जा रही है। जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा उक्त शीर्षक के अन्तर्गत अपराधों में आंशिक कमी आयी है। जनता में सुरक्षा की भावना का संदेश पहुंच रहा है। जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था पूर्णरूप से स्थापित है।

<u>संलग्नक-1</u>

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या का उत्तर पीछे पृष्ठ 58-59 पर)

जनपद गाजियाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में स्वीकृत/निर्मित मार्गों की सूची

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	व्यय	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
			फेज-2 (वर्ष 2001-2002)		
1	भोजपुर	UP 2801	1. दतेरी गेट से दुहरी	14.8	जून, 2003
2	भोजपुर	UP 2801	2. मोदीनगर शाहजहांपुर मार्ग से बखरवा	7.79	जून, 2003
3	भोजपुर	UP 2801	3. डी0डी0जी0 मार्ग से ककराना	8.69	जून, 2003
4	भोजपुर	UP 2801	4. समाना नगलावासी से नगला गज्जू मार्ग	16.67	जून, 2003
5	भोजपुर	UP 2801	5. डिवाई ब्रिज से शरीफपुर मार्ग	11.73	जून, 2003
6	भोजपुर	UP 2801	6. खड़खड़ी खसरा से मुरादपुर	29.83	जून, 2003
7	लोनी	UP 2802	7. कैनाल पटरी से रजहैटी	5.45	जून, 2003
8	लोनी	UP 2802	8. हरौरा मार्ग से सैना मार्ग	12.03	जून, 2003
			फेज-2 का योग	**106.37**	
			फेज-3 (वर्ष 2003-2004)		
9	भोजपुर	UP 2803	1. मोदीनगर हापुड़ मार्ग से जहांगीरपुर पट्टी	27.51	अप्रैल, 2005
10	भोजपुर	UP 2803	2. मोदीनगर हापुड़ से नाहली	15.22	अप्रैल, 2005
11	भोजपुर	UP 2803	3. चूड़ियाला से मुरादाबाद सैदपुर	20.10	अप्रैल, 2005
12	भोजपुर	UP 2803	4. भोजपुर पिलखुआ मार्ग से महमूदपुर	30.22	अप्रैल, 2005
13	भोजपुर	UP 2803	5. गोविन्दपुरी सारा मार्ग	14.97	अप्रैल, 2005

14	भोजपुर	UP 2803	6. मोदीनगर शाहजहांपुर मार्ग से तलहैटा का शेष भाग	4.27	अप्रैल, 2005
15	लोनी	UP 2807	7. टीला मोड़ से निस्तौली	20.37	अप्रैल, 2005
16	लोनी	UP 2807	8. डी0वाई0 रोड से विकासनगर	12.05	अप्रैल, 2005
17	लोनी	UP 2807	9. डी0वाई0 रोड से नानू	15.55	अप्रैल, 2005
18	लोनी	UP 2807	10. डी0वाई0 रोड से नौरसपुर	14.71	अप्रैल, 2005
19	लोनी	UP 2807	11. डी0वाई0 रोड से सादुल्लाबाद	21.03	अप्रैल, 2005
20	लोनी	UP 2807	12. डी0वाई0 रोड से अलीपुर-नौरसपुर (शेष भाग)	17.77	अप्रैल, 2005
21	लोनी	UP 2807	13. खानपुर पुश्ता से इलायचीपुर	26.10	अप्रैल, 2005
22	मुरादनगर	UP 2808	14. रावली नेकपुर सुठारी लिंक मार्ग	28.16	अप्रैल, 2005
23	मुरादनगर	UP 2808	15. मेरठ रोड मोदी नाला ब्रिज से सिखेड़ा हजारी मार्ग	10.85	अप्रैल, 2005
24	मुरादनगर	UP 2808	16. रा0मा0 58 से रावली रोड (किमी0 1,2,3)	38.82	अप्रैल, 2005
25	मुरादनगर	UP 2808	17. मोदीनगर निवाड़ी मार्ग (किमी0 4,5,6)	54.41	अप्रैल, 2005
26	रजापुर	UP 2809	18. पाइपलाइंग से बहादुरपुर	15.70	अप्रैल, 2005
27	रजापुर	UP 2809	19. रा0मा0 24 से सिखरोड	19.04	अप्रैल, 2005
28	रजापुर	UP 2809	20. रा0मा0 58 से शाहपुर पाइपलाइन	89.53	अप्रैल, 2005
			फेज-3 का योग	**496.38**	

जनपद गाजियाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में स्वीकृत/निर्मित मार्गों की सूची

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	व्यय	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5	6

फेज-4 (वर्ष 2004-2005)

29	भोजपुर	UP 2811	1. नूरपुर वाया समयपुर मार्ग	44.86	जून, 2007
30	भोजपुर	UP 2811	2. भोजपुर पिलखुआ महमूदपुर मार्ग से सुजानपुर शामली	15.03	अप्रैल, 2007
31	भोजपुर	UP 2811	3. मोदीनगर-हापुड़ जहांगीरपुर मार्ग से नंगलाबेर	26.65	अप्रैल, 2007
32	भोजपुर	UP 2811	4. मोदीनगर-रघुनाथपुर मार्ग से मनकपुर सिखेड़ा	17.17	जून, 2007
33	भोजपुर	UP 2811	5. एन0एच0-58 से फफराना	20.45	जून, 2007
34	भोजपुर	UP 2811	6. सेदपुर से शकुरपुर मार्ग	26.43	जून, 2007
35	भोजपुर	UP 2811	7. तलेहटा से हृदयपुर भन्दौला	16.78	मई, 2007
36	लोनी	UP 2815	8. मन्डौला हिन्दु रोड मीरपुर से पचायरा	38.78	मई, 2007
37	लोनी	UP 2815	9. डी0वाई0 रोड पवी सादिकपुर	24.77	मई, 2007
38	लोनी	UP 2815	10. डी0वाई0 रोड से पचलोक अगरोला मार्ग	15.06	मई, 2007
39	लोनी	UP 2815	11. टीला कोटी मार्ग से भूपखेड़ी मार्ग	20.48	मई, 2007
40	लोनी	UP 2815	12. टीला कोटी सलेमपुर मार्ग से अफजलपुर सीती मार्ग	19.42	मई, 2007
41	लोनी	UP 2815	13. रिसतल से सकलपुरा मार्ग	38.47	मई, 2007
42	लोनी	UP 2815	14. जावली से कोतवालपुर	41.76	मई, 2007
43	मुरादनगर	UP 2816	15. राबली मार्ग से ग्यासपुर	29.59	अप्रैल, 2007
44	मुरादनगर	UP 2816	16. सरना से रावली मार्ग	7.74	अप्रैल, 2007
45	मुरादनगर	UP 2816	17. एन0एच0-58 से बसंतपुर सैथली	15.57	मई, 2007
46	मुरादनगर	UP 2816	18. एन0एच0-58 से मोहिउद्दीनपुर हिसाली	24.41	मई, 2007
47	मुरादनगर	UP 2816	19. काकरा ब्रिज से सलेमाबाद झाल	33.34	मई, 2007

48	मुरादनगर	UP 2816	20. सलेमाबाद झाल से सुलतानपुर	13.34	अप्रैल, 2007
49	मुरादनगर	UP 2816	21. मुरादनगर नहर ब्रिज से सौन्दा	64.90	अप्रैल, 2007
50	रजापुर	UP 2817	22. पाइपलाइन से मथुरापुर	14.88	मई, 2007
51	रजापुर	UP 2817	23. पाइपलाइन से शमशेरपुर	7.92	मई, 2007
52	रजापुर	UP 2817	24. पाइपलाइन से मकरेड़ा	11.98	मई, 2007
53	रजापुर	UP 2817	25. मसूरी नहल ब्रिज से मुरादनगर ब्रिज	73.13	मई, 2007
54	मुरादनगर	UP 2819	26. मुरादनगर सुराना मार्ग से खिन्दौड़ा	88.48	अप्रैल, 2007
			फेज-4 का योग	**751.39**	

फेज-5 (वर्ष 2005-06)

55	भोजपुर	UP 2820	1. भोजपुर से पिलखुआ मार्ग	211.63	नवम्बर, 2008
56	भोजपुर	UP 2820	2. मोदी नगर गोविन्दपुर से सारा	19.83	नवम्बर, 2008
57	लोनी	UP 2824	3. अलीपुर से मन्डौला (शेष भाग)	42.58	नवम्बर, 2008
58	लोनी	UP 2824	4. कोतवालपुर से रिस्तल	34.99	नवम्बर, 2008
59	लोनी	UP 2824	5. हिन्दू मीरपुर से बदरपुर	39.41	नवम्बर, 2008
60	लोनी	UP 2824	6. टीला मोड़ सलेमपुर मार्ग से महमूदपुर	19.83	नवम्बर, 2008
61	मुरादनगर	UP 2825	7. मुरादनगर रावली मार्ग से खैमावती	25.04	नवम्बर, 2008
62	मुरादनगर	UP 2825	8. मुरादनगर रावली मार्ग से बन्दीपुर	57.40	नवम्बर, 2008
63	मुरादनगर	UP 2825	9. रावली मार्ग से कुन्हैडा	48.27	नवम्बर, 2008
64	मुरादनगर	UP 2825	10. पाइपलाइन मार्ग से भदौली	54.16	नवम्बर, 2008
65	मुरादनगर	UP 2825	11. एन0एच0-58 से मुरादगांव पुर्सी	32.35	नवम्बर, 2008
66	मुरादनगर	UP 2825	12. पाइपलाइन मार्ग से शहजहांपुर डिडौली	85.23	नवम्बर, 2008

67	मुरादनगर	UP 2825	13. रावली मार्ग से नेकपुर	95.75	नवम्बर, 2008
68	मुरादनगर	UP 2825	14. खिन्दौड़ा से मौहम्मदापुर-अहमदपुर-बागपत (शेष भाग)	83.99	जून, 2008
69	रजापुर	UP 2826	15. एन0एच0-24 से पटियाला	63.85	जून, 2008
70	रजापुर	UP 2826	16. एन0एच0-24 से कल्लूगढ़ी कुशलियां	79.08	जुलाई, 2008
71	रजापुर	UP 2826	17. मुरादनगर पूर्सी से कन्नौज	34.71	अगस्त, 2008
72	भोजपुर	UP 2827	18. मोहिउद्दीनपुर सैदपुर से चूड़ियाला नया गांव	168.89	दिसम्बर, 2008
73	लोनी	UP 2831	19. टीला रोड से हिन्डन ब्रिज	125.96	दिसम्बर, 2008
74	मुरादनगर	UP 2832	20. मुरादनगर रावली मार्ग से नवीपुर	92.11	मार्च, 2008
75	रजापुर	UP 2833	21. हिन्डन ब्रिज से नवीपुर	230.82	नवम्बर, 2008
			फेज-5	**1645.88**	

फेज-6 (वर्ष 2006-07)

76	भोजपुर	UP 2835	1. मोदी नगर से तलहेटा	230.68	दिसम्बर, 2009
77	लोनी	UP 2840	2. मन्डौला हिन्दू मीरपुर से पचराया (शेष भाग)	88.62	अक्टूबर, 2009
78	लोनी	UP 2840	3. फारुखनगर से सिरौरा	222.09	अक्टूबर, 2009
79	लोनी	UP 2840	4. डी0वाई0 मार्ग से स्तौल (शेष भाग)	93.80	अक्टूबर, 2009
80	मुरादनगर	UP 2841	5. बरखा आरिफपुर से मुरादनगर ब्रिज	104.05	अक्टूबर, 2009
81	मुरादनगर	UP 2841	6. नवीपुर (सलेमाबाद झाल) से बिंहग वाया हुसैनपुर रियौरा मार्ग	149.49	अक्टूबर, 2009
82	मुरादनगर	UP 2842	7. रावली मार्ग से बहनरैड़ा, खैतावाड़ी इनक्लूडिंग खैमावती लिंक मार्ग	259.17	अक्टूबर, 2009

83	रजापुर	UP 2843	8. एन0एच0-24 से एन0एच0-58 वाया कुशलिया कन्नौजा	110.33	जून, 2009
			फेज-6	**1258.23**	

जनपद गाजियाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में स्वीकृत/निर्मित मार्गों की सूची

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	व्यय	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
			फेज-7 पार्ट-2 (वर्ष 2007-2008)		
84	भोजपुर	UP 2845	1. एन0एच0 58 से एन0एच0 24 वाया कलछिना	409.05	अगस्त, 2010
85	लोनी	UP 2849	2. बन्थला डिकौली मार्ग से कोतवालपुर	98.04	मार्च, 2010
86	मुरादनगर	UP 2850	3. शेष भाग नवीपुर से बिहंग वाया हुसैनपुर रिवारी, सुल्तानपुर	63.96	अप्रैल, 2010
87	मुरादनगर	UP 2850	4. एन0एच0 58 से निवाड़ी मार्ग वाया फतेहपुर	294.35	अप्रैल, 2010
88	रजापुर	UP 2851	5. एन0एच0 58 से पाइपलाइन वाया नगला अटौर फिरोजपुर-मोहनपुर	232.45	मार्च, 2010
89	रजापुर	UP 2851	6. एन0एच0 58 से मोदीनगर कलछीना वाया जलालाबाद	252.64	मार्च, 2010
			फेज-7 पार्ट-2 का योग	**1350.49**	
			महायोग	**5608.74**	

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3 (प्र0प0), लो0नि0वि0
गाजियाबाद।

पी0एस0यू0पी0-एल0 325 विधान सभा (583)-26-11-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।